Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १६६२ का ४०वां दिवस [संख्या २७

शनिवार, दिनांक २१ अप्रेल, १६६२

——

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर ६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

——

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वित्त, श्रम, राजस्थान केनाल, स्वायत शासन, सिंचाई, आयुर्वेद, चिकित्सा एवं वन-विभाग]

भूतपूर्व बैंक ऑफ जयपुर में सरकार के शेयर

२६२. श्री **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भूतपूर्व बैंक ऑफ जयपुर लिमिटेड, जयपुर में राजस्थान सरकार के कितने रुपये के कितने शेयर थे ?

(२) स्टेट बैंक ऑफ जयपुर बनने के समय राज्य सरकार ने अपने उक्त शेयरों का क्या किया ?

(३) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इन शेयरों में से बहुत बड़ी धनराशि के शेयर बेच दिये ? यदि हां, तो कितनी धनराशि के शेयर बेचे गये और किसको व किस भाव पर बेचे गये ?

(४) उक्त डील से सरकार को कितना लाभ या हानि हुई ? उक्त शेयरों को बेचने का कारण क्या था ?

(५) स्टेट बैंक ऑफ जयपुर बनने के समय भूतपूर्व बैंक ऑफ जयपुर लिमिटेड जयपुर के शेयरों के भाव क्या थे, उसके एक वर्ष पूर्व उन शेयरों की क्या कीमत थी एवं आज इन शेयरों की कीमत क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१)भूतपूर्व बैंक ऑफ जयपुर लिमिटेड में राजस्थान सरकार के २५,०००)शेयर्स में १००)रु० प्रति शेयर्स के हिसाब से २५,००,०००)रु० के थे। जिन पर ५०) रु० प्रति शेयर्स के हिसाब से १२,५०,०००) रु० दिये हुये थे।

Page No.2

(श्री बालकृष्ण कौल)

(२) स्टेट बैंक बनने पर राज्य सरकार ने दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सब्सीडियरी बैंक्स) कम्पेन्सेशन रूल्स, १६५६ की धारा ५ (१) (।) के अनुसार ४०) रु० प्रति शेयर के हिसाब से १०,००,०००) रुपये के शेयरों के एवज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले लिये।

(३) ऊपर (२) में बताए हुए अनुसार रुपया वापिस ले लिया गया।

(४) राज्य सरकार को दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सब्सीडियरी बैंक्स) रूल्स, १६५६ की धारा ५ (१) (।) के अनुसार वापिस लेने से २,५०,०००) रु० की हानि हुई।

(५) स्टेट बैंक ऑफ जयपुर बनने के समय भूतपूर्व बैंक ऑफ जयपुर लिमिटेड के शेयरों का भाव रु० ३६. ५० न. पै. प्रति शेयर था एवं उससे एक वर्ष पूर्व ३७) रु० प्रति शेयर था। आजकल इन शेयरों का भाव का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वे सब शेयर्स समाप्त हो चुके हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन शेयरों को बेचने का निर्णय क्यों लिया गया ?

श्री बालकृष्ण कौल : क्योंकि शेयरों के भाव गिर गये थे और यह दूसरी बैंक बन गया था तो उसमें इस तरह के रूल्स के मुताबिक एमलगेमेट हो गया था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कौन सा दूसरा बैंक बन गया था ?

श्री बालकृष्ण कौल : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह सब्सीडियरी बैंक हो गया था, इसलिए उसके जो शेयर्स थे उनकी वेल्यू उन्होंने ४० पर्सेन्ट कर दी थी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न यह नहीं है, उन्होंने वेल्यू ४० पर्सेन्ट कर दी। आपने शेयरों को बेचने का निर्णय क्यों लिया और किस आधार पर लिया ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिए कि अगर हम नहीं बेचते तो हमारी वेल्यू कम हो जाती शेयरों की।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आप बता सकते हैं कि जिस वर्ष यह बैंक स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सब्सीडियरी बैंक बना उस वर्ष इस बैंक में नुकसान हुआ या फायदा ?

श्री बालकृष्ण कौल : उस वक्त नुकसान था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह बिल्कुल गलत है। आप फरमा रहे हैं कि जिस समय सब्सीडियरी बैंक में कन्वर्ट हुई उस समय नुकसान था, यह गलत फरमा रहे हैं। मेरे पास बैलेन्स शीट मौजूद है, उस समय फायदा था। आपने आंकड़े दिये कि २॥ लाख का नुकसान था, आप इसको फिर से चैक करके बतावें कि कितना नुकसान था ?

श्री अध्यक्ष : पहले कृपया आप यह बतावें कि शेयर्स ट्रान्सफर स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया को किये तो उसमें घाटे की क्या बात थी ?

श्री बालकृष्ण कौल : स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया जब सब्सीडियरी बैंक बनाया गया तो कम्पन्सेशन रूल्स,, १६५६ को धारा ५ (१) (I) के अनुसार इसके शेयर्स की वेल्यू ४०) रु० प्रति शेयर रह गई। इसलिये यह जरूरी हो गया कि हम इसको कन्वर्ट करें रुपयों में और रुपयों की हमको जरूरत थी।●

श्री मानिकचन्द सुराणा:आप यह कह रहे हैं कि रुपयों की हमको जरूरत थी, ऐसी परिस्थिति में जब कि स्टेट ने बड़े बड़े कारखानों में लाखों रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं जैसे लाखेरी, सवाई माधोपुर के कारखाने में ६० लाख रुपये उधार दिये हुए हैं तो यह रीज़नेबल नहीं मालूम पड़ता है कि आपको रुपयों की जरूरत थी।

श्री बालकृष्ण कौल : इन्वेस्टमेंट के पोइन्ट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। जब शेयर वेल्यू गिर गयी तो कौन सी चीज़ मुनासिब होती है—बेचना मुनासिब है या शेयर वेल्यू को पूरा करने के लिये और दिया जाय? उस वक्त यह मुनासिब समझा गया कि वेल्यू गिर गयी है इसलिये कैश में कन्वर्ट कर लिया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसकी प्रेज़ेन्ट शेयर वेल्यू क्या है?

श्री बालकृष्ण कौल : ये आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि जिस वक्त आपके बैंक में १२॥ लाख रुपयों के शेयर्स थे उस वक्त आगरा बैंक में ३० लाख रुपयों का ऐसा ट्रान्ज़ेक्शन हुआ जिसे आपको Bad debts में लिखना पड़ा,इसलिये शेयर वेल्यू गिर गयी। स्टेट बैंक ने कहा कि या तो पेमेन्ट करें या हम शेयर वेल्यू कमती आंकते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इसके बारे में मालूम करूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपको जानकारी करनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रियेशन बिल पर डिबेट होगी उस समय आप इसकी चर्चा करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय,..............

श्री अध्यक्ष : आप फिर बहस करने लग गये। मैंने सुझाव दिया है कि एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस में पोइन्ट रेज़ करें, तब तक मन्त्री महोदय जानकारी करके उत्तर देंगे।

दूकानों के खुलने की कालावधि

२६३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि अन्य राज्यों में दूकानें खुलने एवं बन्द करने की कालावधि १२ घंटे हैं, जब कि राजस्थान में १३ और १४ घंटे हैं?

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि दिल्ली में यह समय अब ११ घंटे का कर दिया गया है?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(ग) क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि राजस्थान में यह समय अधिक है और इसे घटा कर १० घंटे किया जाना चाहिये ?

(घ) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि साप्ताहिक अवकाश एक ही दिन का रखा जावे या मार्केटवाइज़ (marketwise) रखा जावे ?

श्रम मन्त्री (श्री भीखाभाई) : राजस्थान में दूकानें खुलने और बन्द करने की कालावधि निम्न प्रकार है :—

१५ अक्टूबर से १५ मार्च तक प्रातःकाल ८ बजे से पहले और रात्रि में ६ बजे के पश्चात् दूकानें खुली नहीं रहेंगी।

१६ मार्च से १४ अक्टूबर तक प्रातः ८ बजे से पहले और रात्रि के १० बजे के पश्चात् दूकानें खुली नहीं रहेंगी।

(ख) अन्य राज्यों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

इस कार्यालय में सूचना प्राप्त नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) दूकान अधिनियम की धारा १ के अनुसार हर दूकानदार को सप्ताह में एक दिन दूकान बन्द करना आवश्यक है। किस दिन दूकान बन्द रखी जावे, इसका निर्णय करने के लिये दूकानदार स्वतन्त्र है। इस पर प्रतिबन्ध लगाना उचित मालूम नहीं होता। ऐसा कानून में प्रावधान नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यदि अन्य राज्यों में कार्य के घंटे १० या ११ हैं तो क्या राज्य सरकार आवश्यक नहीं समझती कि यहां भी कम किये जावें ?

श्री भीखाभाई : यहां इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ऐसा मालूम होता है कि मन्त्रीजी ने दूसरे प्रान्तों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, जब कि दूसरे मामलों में अन्य प्रान्तों से जानकारी प्राप्त की जाती है। यह मुश्किल नहीं था कि दूसरे प्रान्तों से जानकारी की जाती तो नहीं मिलती। यह सही है कि दिल्ली, पंजाब और यू० पी० में अवर्स (Hours) कम हैं और यहां ज्यादा हैं।

श्री भीखाभाई : अवर्स का सवाल है, ज्यादा कर सकते हैं·······

श्री गोकुलप्रसाद (माण्डल) : यह जो मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं यह विभाग उनके पास है नहीं, यह तो उद्योग मन्त्री के पास है; इनको मालूम है नहीं, पता है नहीं, गलत सूचना दे रहे हैं। यह गत साल उद्योग विभाग में चला गया है, इनके अण्डर में साल भर से नहीं है·······

श्री अध्यक्ष : विभाग किसी के पास हो। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि गलत उत्तर दे रहे हैं तो यह बतलावें कि कौनसा गलत उत्तर दिया ?

श्री गोकुलप्रसाद : यह विभाग इनके पास है नहीं·······

Page No.5

श्री अध्यक्ष : आप बतावें कि कौनसी गलत बात बताई ? गैर जिम्मेदारी की बात नहीं करनी चाहिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : दूकानें कब खुलती हैं, इनको पता नहीं है........

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये, कोई भी उत्तर दें। इस तरह से कह देते हैं, गलत इत्तला दी।

(विराम)

श्री भीमसेन।

भूमि आवर्न्टन तथा नवीनीकरण

२६४. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मन्त्री, राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान कॉलोनाइज़ेशन (टेम्पोरेरी कल्टीवेशन लीज़ेज़) कन्डीशन, १६५५ के अन्तर्गत भूमि आवर्न्टन एवं नवीनीकरण हेतु सलाहकार समिति की बैठकें बुला कर कृषि भूमि दिये जाने का प्रावधान है ?

(ख) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर योजना में बिना सलाहकार समिति की बैठक बुलाये कृषि भूमि का अलॉटमेन्ट अथवा रिन्युवल किया गया है ? अगर हां, तो क्यों तथा नियमों की अवहेलना करने वाले अफसरों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) जी हां, केवल आवर्न्टन हेतु।

(ख) सलाहकार समिति की सलाह लेकर आवर्न्टन करने का प्रावधान सरकारी विज्ञप्ति सं० ०६ (१६) रेवे० (बी) ।५८। आई. आर.-जी. दिनांक ३१-१०-६१ द्वारा किया गया है, जिसके बाद राजस्थान नहर क्षेत्र में कोई नया आवर्न्टन नहीं हुआ है। जिन लोगों को आरजी काश्त की जमीन पहले दी जा चुकी है उसी का नवीनीकरण किया जाता है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल एरिया में अब तक टेम्पोरेरी अलॉटमेन्ट हुआ वह बिना सलाहकार समिति के हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ३१-१०-६१ से सलाहकार समिति का निर्माण हुआ है, उसके बाद कोई अलॉटमेन्ट नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : अलॉटमेन्ट के लिये सलाहकार समिति की सलाह चाहिये या अलॉटमेंट और रिन्युवल दोनों के लिये चाहिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : केवल अलॉटमेंट के लिये।

श्री अध्यक्ष : आपने उसके लिये भी कहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : केवल अलॉटमेन्ट के लिये चाहिये।

थड़ियों का बकाया किराया

२६५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(१) जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में इस समय कुल कितनी थड़ियां हैं ? इनमें से कितनी अनधिकृत हैं और पुरुषार्थियों को अलॉट की गई थड़ियों की संख्या कितनी है ?

(२) इन थड़ियों से कितना किराया आता है ?

(३) किराये की कितनी रकम अब तक थड़ी होल्डर्स में बकाया है ? इसकी सूची सालाना विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) अभी तक कितने थड़ी होल्डर्स को कहां कहां पर पक्की दूकानें दी गई और शेष को कब तक और कहां कहां पर दिये जाने की योजना है ?

(५) बकाया रकम की वसूली की बाबत थड़ी होल्डर्स एसोसियेशन के साथ कोई समझौता हुआ है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(६) क्या यह सही है कि जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में बिना लाइसेन्स की अनेक थड़ियां लगाई गई हैं ? यदि हां, तो कितनी ? उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई या की जा रही है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में अधिकृत थड़ियों की कुल संख्या १,१३० है जिनमें पुरुषार्थियों को अलॉट की गई थड़ियों की संख्या वर्तमान समय में ७४१ है।

(२) इन थड़ियों से प्रति माह ७,१७६ रुपया फीस थड़ी के रुप में वसूल होता है।

(३) कुल २२,६०० रु. फीस थड़ी के बकाया हैं। इसका सालाना विवरण इस प्रकार है :—

१९५१ से ३१.३.५८	४,०५०.००
१.४.५८ से ३१.३.५९	२,२८०.००
१.४.५९ से ३१.३.६०	३,५०९.००
१.४.६० से ३१.३.६१	१२,७६१.००
टोटल	२२,६००.००

(४) अभी तक पुरुषार्थी थड़ी होल्डर्स को कुल ४३७ पक्की दूकानें अलॉट की गई हैं। इसका विवरण निम्न तालिका द्वारा प्रस्तुत है :–

नाम बाजार	कुल संख्या दूकान
(१) सांगानेरी गेट व प्रोसेशनल गेट के बीच (बापू बाजार)	१७७
(२) अजमेरी गेट व प्रोसेशनल गेट के बीच (नेहरू बाजार)	२८
(३) फतहटीबा ब्लॉक ए. व बी.	४६
(४) चांदपोल दरवाजे के बाहर	५३
(५) सिटी केम्प स्टेशन रोड	१८
(६) सी स्कीम	३
(७) अजमेरी गेट	४७
(८) सुभाष चौक	२९
(९) लिंकरोड बापू बाजार	३३
	४३७

शेष १५० दूकानें नेहरू बाजार के विस्तार की योजना में निर्माणाधीन हैं। शेष पुरुषार्थी थड़ी होल्डर्स को पक्की दूकानें अन्य स्थानों पर देने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

Page No.7

(श्री दौलतराम सारण)

(५) १५ माह, १. ८. ५१ से ३१. १०. ५२ तक की शेष फीस थड़ी की वसूल करने के लिये पुरुषार्थी थड़ी होल्डर्स यूनियन से जो समझौता किया गया था उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत है ।

(६) जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में बिना लाइसेन्स के कोई थड़ी नहीं है । उक्त प्रकार की थड़ियों की सूचना प्राप्त होते ही नगर-पालिका द्वारा उनको नियमानुसार हटा दिया जाता है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नेहरू बाजार में जो दूकानें बन रही हैं वे थड़ी होल्डर्स को दी जायंगी या पर्टीक्यूलर क्लास को दी जायंगी ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि १५० दूकानें नेहरू बाजार के विस्तार की योजना में निर्माणाधीन हैं । शेष पुरुषार्थी थड़ी होल्डर्स को पक्की दूकानें अन्य स्थानों पर देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस स्थान पर किसको दी जायेंगी-नेहरू बाजार में ?

श्री दौलतराम सारण : यह सूचना मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह होनी चाहिए, और क्या पूछा था ? यह जो आपने किराये के बकाया में कहा है कि २२, ६००) रु० के बारे में समझौता हुआ था वह सब थड़ी का बाकी था । उसके सम्बन्ध में आपने स्वयं ने कहा है कि २२,६००) रु. के बारे में समझौता हुआ है, यह जयपुर की सब थड़ियों के बारे में समझौता हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : एग्रीमेंट की कॉपी मैंने आपको दे दी है । आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं उसमें निवेदन कर चुका हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एग्रीमेंट में सब थड़ी होल्डर्स से या पुरुषार्थी थड़ी होल्डर्स से समझौता हुआ है । आपने कहा है कि २२,६००) रु० फीस के थड़ियों के बकाया हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जो समझौता हुआ है वह पुरुषार्थी थड़ी होल्डर्स से हुआ है या सब थड़ी होल्डर्स से हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : थड़ी होल्डर्स की यूनियन से हुआ है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपकी जानकारी के लिए बतादूं कि एग्रीमेंट पुरुषार्थी थडी होल्डर्स से हुआ है । आप देख लीजिए एग्रीमेंट ।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, सवाल के जवाब में आपने कहा है कि 'सी' स्कीम में दूकानें अलॉट की हैं । 'सी' स्कीम में जो थड़ियां हटा कर दूकानें अलॉट की हैं वे किसी पर्टीक्यूलर मार्केट में की हैं या चाहे जहां की हैं ?

श्री दौलतराम सारण : दूकानें बनी हुई होंगी तभी की हैं ।

Page No.8

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाकी की जो थड़ियां जयपुर में हैं, उनको कहां पर दूकानें देने का विचार करते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : आगे जो योजनायें बनेंगी और जहां दूकानें उपलब्ध होंगी वहां देने का विचार किया जायगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तक कोई योजना विचाराधीन है कि जहां पक्की दूकानों में इनको बसाया जा सके ?

श्री दौलतराम सारण : मैं निश्चित रूप से निवेदन नहीं कर सकता कि किस जगह दी जायगी । मैंने निवेदन किया है कि पुरुषार्थी थड़ी होल्डर्स को अन्य स्थानों पर देने की योजना विचाराधीन है और जब तक यह निश्चय नहीं हो जाय कि किस जगह पर दी जाय तब तक मैं नहीं बता सकता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह निश्चित कह सकते हैं कि नेहरू बाजार में बननेवाली दूकानें पुरुषार्थी थड़ी होल्डर्स को दी जायेंगी ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि किस जगह दी जायगी ।

प्रश्न संख्या २६६

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन ।

पौंग बांध

२६७. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पौंग बांध के निर्माण के लिये तीसरी योजना में कुल कितनी धनराशि रखी गई है तथा उस राशि के खर्चे के लिये प्रति वर्ष कितनी कितनी धन-राशि का प्रावधान रखा गया है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : पौंग बांध के निर्माण के लिये तीसरी योजना में २५ करोड़ की धनराशि रखी गई है जिसके खर्चे के लिये प्रति वर्ष निम्न प्रकार प्रावधान रखा गया था :

६१—६२	४ करोड़
६२—६३	५ करोड़
६३—६४	५ करोड़
६४—६५	५ करोड़
६५—६६	६ करोड़

उक्त प्रावधान के प्रथम दो वर्षों के आंकड़ों में निम्न प्रकार परिवर्तन किया गया है :

६१—६२	२. ४४ करोड़
६२—६३	४. ४० करोड़

श्री भीमसेन : जिस गति से प्रावधान रखा है, उससे पौंग बांध का निर्माण अब तक कर देंगे ?

श्री दौलतराम सारण : पौंग डेम का निर्माण शायद ७० तक हो जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पौंग डेम के निर्माण में कुल कितना एक्स-पेन्डीचर एक्सपेक्टेड है और उसमें राजस्थान का परसेन्टेज क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : ७६. २७ करोड़ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि १९६१-६२ के लिए जो धनराशि रखी गई थी । २. ४४ करोड़ वह खर्च नहीं हुई है ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो मैं निश्चित रूप से इस समय नहीं कह सकता कि कितनी खर्च हुई और कितनी नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स के मजदूरों के लिए आवास--व्यवस्था

२९८. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि सीमेन्ट वर्क्स लाखेरी के अधिकांश मजदूर झोंपड़ियों में रहते हैं तथा वहां पर रोशनी--पानी, टट्टियां आदि की कोई सुविधा नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि जहां इस प्रकार की सुविधाएं हों वहां पर वेतन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर किराया वसूल किया जावे ?

(३) क्या यह सही है कि लाखेरी में अधिकांश मजदूरों को कोई सुविधा न होते हुए भी वेतन बोर्ड के अनुसार किराया वसूल किया जा रहा है ?

श्रम मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां । रोशनी, पानी, टट्टी इत्यादि की सुविधा प्रत्येक भवन में नहीं है, पर कॉमन है ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है प्रश्न नम्बर (२) में । लाखेरी सीमेन्ट कम्पनी में मजदूर बस्तियों में रोशनी, पानी, टट्टी इत्यादि कीव्यवस्था नहीं है, जब कि वेतन बोर्ड की सिफारिश के अनुसार साढ़े सात रुपया माहवार झोंपड़ियों के किराये के लिए वसूल किया जाता है । तो क्या आप मैंनेजमेंट को बाध्य नहीं कर सकते कि मजदूरों के लिए स्नान घर, पेशाबघर बनाये ? क्या यह फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत नहीं आता है ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया, झोंपड़ियों के बारे में बात है, वह सही है । वेज बोर्ड की सिफारिश के अनुसार जो शिड्यूल कायम किये हैं, जिनमें कितने कितने रुपये खर्च किये जायं और उसके अनुसार रुपया वसूल किया जाता है । वह सही है । जो पक्के मकान हैं, उनमें साढ़े सात वसूल किया जाता है । उसके बाद जिसमें लेट्रीन हो, जो पक्के क्वार्टर्स विथ इलेक्ट्रिसिटी हैं, उसमें सात रुपये वसूल किये जाते हैं, वाटर एण्ड पक्का वाल्ट बट कच्चा रूफ के लिए पांच रुपया किया जाय और कच्ची झोंपड़ियों में रहने वालों से कुछ वसूल नहीं किया जाता है, उनको दो रुपया और दिया जाता है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मेरा प्रश्न अलग है, मजदूरों की बस्तियों में वेज एक्ट के अनुसार पानी, लेट्रिन इत्यादि सेनीटेशन

Page No.10

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। क्या ऐसी व्यवस्था फैक्ट्री में है ?

श्री भीखाभाई : झगड़ा दर और उसके अन्तर का है। मैंने निवेदन किया....

श्री अध्यक्ष : झगड़ा है, तभी तो आपको निश्चय करना है। भाग (२) में आपने 'हां' कहा। आपको निश्चय करना है कि शर्त पूरी होती है या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री भीखा भाई : मैंने निवेदन किया कि पक्की झोंपड़ियों के बारे में जो एडमिट किया है वह यह है कि पक्की झोंपड़ियों में कॉमन लेट्रिन्स हैं और रोशनी पानी का इन्तजाम शामिल है, लेकिन अलग अलग क्वार्टर्स में अलग अलग इन्तजाम है। यह वेज बोर्ड के अनुसार किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार जो झोंपड़ियां हैं, जिनमें कॉमन फेसिलिटी है, उनके लिए कितना किराया प्रेस्क्राइब किया गया है ?

श्री भीखाभाई : दो रुपया उनको और दिया जाता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कॉमन फेसिलिटी नहीं है। मजदूर बस्तियों में टट्टी और पेशाब-घर नहीं बने हुए हैं। यह बता दीजिये कि आपके ऑफिसर्स दौरे पर जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, जो भत्ता लेते हैं उनकी क्या रिपोर्ट रही है ?

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य को जांच कर सन्तुष्ट करने की कोशिश करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर झोंपड़ियों में सुविधा और व्यवस्था नहीं हो तो उसका किराया वसूल नहीं हो सकता ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपने इसके प्रश्न संख्या (२) में 'हां' कहा है, (३) में हां कहा है, जबकि दोनों में विरोधाभास है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए कह रहे हैं कि जांच करके सन्तुष्ट करने की कोशिश करेंगे।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : मेरे ख्याल से १६४६ में मजदूरों ने स्ट्राइक किया था और उस समय मजदूरों से एग्रीमेंट हुआ था कि झोंपड़ियों की जगह बंगले बनवाकर देंगे, सुविधायें दी जायेंगी। इन वर्षों में सुविधा न मिलने का क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। माननीय सदस्या ने बताया है, उनकी और प्रश्नकर्ता—दोनों की बात सुन कर पूरी जानकारी करने की कोशिश करूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : वेतन बोर्ड की सिफारिशों से ज्यादा रुपया वसूल किया गया है, उसको रिफण्ड कराने की कार्यवाही की गई ?

श्री भीखाभाई : जांच में सब चीजें शामिल हो जाती हैं। रिफन्ड करने का सवाल होता है तो वह भी होता है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : वेज बोर्ड के अनुसार सुविधायें नहीं दी जायं तो जितना ज्यादा वसूल कर रहे हैं उसको रोक दिया जाय।

श्री भीखाभाई : माननीय अध्यक्ष, मैंने निवेदन कर दिया, मैं इस सारे मामले को देखूंगा और जैसा माननीय सदस्या तथा और सदस्यों ने बताया है, उसकी जानकारी करूंगा और अगर एग्रीमेंट के खिलाफ किया है तो कार्यवाही की जायगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजस्थान का श्रम विभाग निकम्मा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

नगरपालिका नाथद्वारा का मास्टर प्लान

२६६. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, :—

(१) क्या यह सही है कि नाथद्वारा नगरपालिका की मास्टर प्लान की योजना सरकार के विचाराधीन हैं ?

(२) यदि हां, तो इस योजना को स्वीकृत करने में क्या कठिनाई है तथा यह कब तक कार्यान्वित हो जायगी ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) पुरानी कांकरोली सड़क और नेशनल हाइवे के बीच की जमीन पर नाथद्वारा नगरपालिका का विकास योजना का प्रस्ताव है।

(२) नगर विकास मंडल से काउन्टर प्लान तैयार नहीं हुआ है। प्राप्त होने पर शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

श्री विजयसिंह झाला : सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? क्यों तैयार नहीं हुआ, उसके लिए क्या समझा जाता है ?

श्री दौलतराम सारण : टाउन प्लानर ने एकीज़क्यूटिव इन्जीनियर, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, उदयपुर को लिखा है और उससे प्राप्त करने की चेष्टा की है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : वह टाउन प्लानर कौन है जिन्होंने लिखा है ?

श्री दौलतराम सारण : जो टाउन प्लानिंग के वास्ते टाउन प्लानर अपोइन्टेड है।

श्री विजयसिंह झाला : कब लिखा गया है, उस पर कब कार्यवाही हुई; यहां से कब लिखा है ?

श्री दौलतराम सारण : २०–५–६१ को लिखा गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : टाउन प्लानर विशेषज्ञ हैं टाउन प्लानिंग के या किसी ओवरसियर को नियुक्त कर रखा है ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, वह तो जो योग्यता प्राप्त अधिकारी है उसको नियुक्त किया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या योग्यता है ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है। इससे सम्बन्धित नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : टाउन प्लानर की योग्यता के बारे में सरक्युलर निकला है। आपने कहा कि टाउन प्लानर को दिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : क्या योग्यता है, क्या ग्रेड है, ये सब प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं हैं। माननीय सदस्य को जानकारी करनी है तो प्रश्न की सूचना दे दें। मैं निवेदन कर दूंगा।

श्री विजयसिंह झाला : यह २०-५-६१ को लिखा गया और अब तक इसका कोई जवाब नहीं आया, क्या यह देरी नहीं हो रही ? आप इसको क्या देरी नहीं मानते ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हरिप्रसाद शर्मा।

लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स के अस्थायी कर्मचारी

३००. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सीमेन्ट वर्क्स लाखेरी में कितने मजदूर स्थाई व कितने अस्थाई हैं ?

(ख) सीमेन्ट वर्क्स लाखेरी में इस समय कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो अस्थाई रूप से कार्य कर रहे हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि इन अस्थाई कर्मचारियों में ऐसे भी कर्मचारी हैं जो पिछले तीन-चार वर्ष से यही कार्य करते रहते हैं परन्तु ठेकेदारी प्रथा के कारण उनकी सेवाएं अस्थाई हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि अस्थाई कार्य की प्रथा इसलिए रखी गई है कि जिससे कर्मचारी बाकी की सुविधाओं से वंचित रहें ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) कम्पनी द्वारा नियुक्त डेली रेटेड मजदूरों में से १,७३६ मजदूर स्थायी हैं व १४ अस्थाई हैं।

(ख) केवल १४।

(ग) जी नहीं

(घ) जी नहीं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने बताया कि इस फैक्ट्री में केवल १४ ही अस्थाई मजदूर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर दो सौ से ज्यादा मजदूर हैं जो अस्थाई हैं, और वर्षों से काम करते आ रहे हैं।

श्री भीखाभाई : आपने ठेकेदारों के मजदूरों को भी शामिल किया है मगर मेरी जानकारी यह है कि सिर्फ १४ अस्थाई मजदूर हैं। ठेकेदारों के १०० आदमियों को भी शामिल करते हुए आपने कहा है। मेरे पास तो यही जानकारी है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या उनको पी. एफ. और बोनस मिलता है ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको बोनस और पी. एफ. नहीं मिलता और वे लोग लगातार १० वर्षों से बराबर काम करते आ रहे हैं। उनको महीने में एक-दो बार अलग कर दिया जाता है।

Page No.13

नगरपालिका कुचामन

३०१. **श्री हनुमानसिंह** (नावां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या नगरपालिका कुचामन की कोई बैठकें दिनांक ३१. १२. ६१. व १५.-१. ६२ को हुई हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त बैठकों में सदस्य श्री खेताराम आर्य की उपस्थिति दर्ज की गई है ?

(३) क्या यह भी सही है कि श्री खेताराम ने एक दरख्वास्त प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी से प्रमाणित करा कर श्री निरीक्षक, स्थानीय निकाय, जोधपुर को कुचामन केन्द्र पर उक्त बैठकों में अपने को अनुपस्थित बतलाते हुए उक्त बैठकों की कार्यवाही को अवैध करार दिये जाने बाबत पेश की थी ?

(४) क्या यह भी सही है कि निरीक्षक, स्थानीय निकाय, जोधपुर ने इस संबन्ध की अपनी जांच रिपोर्ट निर्देशक, स्थानीय निकाय, जयपुर के पास अपने पत्र नं० आर. आई. एल. बी. २४ ए. तारीख १. २. ६२ के जरिये भेज दी थी ?

(५) यदि हां, तो सरकार ने अध्यक्ष, नगरपालिका कुचामन के विरूद्ध उक्त झूंठी कार्यवाही दर्ज करने के लिये क्या कार्यवाही की ?

उप:मंत्री, स्वायत शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। दिनांक ३१. १२. ६१. की सभा स्थगित होकर दिनांक १५. १. ६२ को सभा बुलाई गई।

(२) जी हां, दिनांक १५. १. ६२ को सभा में श्री खेताराम आर्य उपस्थित थे।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं। पालिका की निरीक्षण रिपोर्ट जो निरीक्षक ने २५. १. ६२ को किया उसकी प्रतिलिपि निर्देशक, स्थानीय निकाय के कार्यालय में ६. २. ६२ को आई।

(५) इस सम्बन्ध में रेकॉर्ड प्राप्त न होने के कारण प्रादेशिक निरीक्षक म्युनिसिपेलिटीज़ पूर्ण छानबीन न कर सके। पूर्ण तथ्य मालूम होने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री हनुमानसिंह : क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि कौनसा रेकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : हाजरी रजिस्टर और वह रजिस्टर जिसमें साइन कराया जाता है वह प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री हनुमानसिंह : आप मिनट बुक तो जब चाहें तब मंगा सकते हैं और देख सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं निवेदन कर चुका हूं, जिस समय वे आये उनको रेकॉर्ड नहीं मिल सका क्योंकि चेयरमैन हाजिर नहीं थे और सेक्रेटरी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में था। रेकॉर्ड चेअरमैन के पास था।

श्री हनुमानसिंह : क्या निरीक्षक की रिपोर्ट भी मंगाई है ? उसको पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : अगर अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो तो मैं पढ़ देता हूं। रिपोर्ट बहुत बड़ी है।

श्री अध्यक्ष : पूरी रिपोर्ट पढ़ने से तो कोई लाभ नहीं है।

श्री हनुमानसिंह : जो जाली दस्तखत करवाये गये उसके संबन्ध में जो रिपोर्ट है उसको पढ़ दें।

श्री दौलतराम सारण : जाली दस्तखतों के लिये मैं निवेदन करूंगा कि जाली दस्तखत कराये या नहीं, इसकी इन्क्वायरी अभी नहीं हुई है और दूसरे जो तथ्य थे वे मैंने आपके सामने रख दिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बेटरमेन्ट लेवी

३०२. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार ने भाखरा क्षेत्र में बैटरमेंट लेवी किस हिसाब से लगाने का फैसला किया है ?

(२) क्या बैटरमेंट लेवी उन्हीं किसानों से ली जायेगी और उतनी ही जमीन पर लागू होगी कि जहां वास्तव में सिंचाई शुरू हो गई है ?

(३) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि बैटरमेंट लेवी भाखरा क्षेत्र के नॉन क्लेमेन्ट्स और क्लेमेन्ट्स शरणार्थियों से भी वसूल की जा रही है ?

(४) बैटरमेंट लेवी कितनी किश्तों में की वसूली जा रही है ?

(५) भाखरा क्षेत्र में बैटरमेंट लेवी के रूप में कुल कितनी धनराशि वसूल करने का सरकार का इरादा है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) भाखरा क्षेत्र में बारानी जमीन पर २०८) रु. प्रति एकड़ आसुधार-कर स्वीकृत किया गया है।

(२) आसुधार-कर पूरे सिंचित क्षेत्र से लिया जायेगा।

(३) जी हां।

(४) यह कर २४ अर्धवार्षिक किश्तों में में वसूल किया जायेगा।

(५) भाखरा क्षेत्र से लगभग १४,३३,२०,०००) रु. आसुधार-कर के रूप में वसूल किये जायेंगे।

श्री श्योपतसिंह : क्या सरकार की नीति सब जगह एक ही रेट की है या अलग अलग रेटस् कायम किये हैं ? सरकार ने एक ही रेट सब जगह के लिये तय किया है या अलग अलग रेटस् तय किये हैं ?

श्री दौलतराम सारण : अलग अलग रेटस् से आपका क्या मकसद है, मैं समझा नहीं।

श्री श्योपतसिंह : अभी आपने बताया कि २०८) रुपये प्रति एकड़ कर स्वीकृत किया गया है। क्या इससे ज्यादा भी कहीं है या भाखरा में सब जगह एक ही रेट है ?

श्री दौलतराम सारण : अगर वे एक ही मुश्त रुपया अदा कर देते हैं तो उनके लिये २०८) रु० हैं और अगर किश्तों में अदा करते हैं तो २६४) रु० अदा करने होते हैं।

श्री श्योपतसिंह : ज्यादा तो नहीं लेते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न (२) का उत्तर नहीं आया है। क्या बेटरमेंट लेवी उसी क्षेत्र से लिया जावेगा जहां पर एक्चुअल सिंचाई शुरू हो गई है या उनसे भी लिया जावेगा जहां पर एक्चुअल सिंचाई शुरू नहीं हुई है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने आपको निवेदन कर दिया कि २०८) रू० प्रति एकड़ आसुधार-कर स्वीकृत किया गया है। यह मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भाग (२) का उत्तर नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : भाग (२) का क्या उत्तर है ?

श्री रामामन्द अग्रवाल : भाग (२) : 'क्या बैटरमेंट लेवी उन्हीं किसानों से ली जायेगी और उतनी ही जमीन पर लागू होगी जहां वास्तव में सिंचाई शुरु हो गई है ?'

श्री दौलतराम सारण : मैं निवेदन कर चुका हूँ कि पूरे सिंचित क्षेत्र से लिया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is not clear. प्रश्न यह है कि जिस क्षेत्र में सिंचाई एक्चुअली शुरू हो गई है उससे लिया जावेगा या जहां पर सिंचाई शुरू नहीं हुई है उन किसानों से भी लिया जावेगा ?

श्री दौलतराम सारण : जिस क्षेत्र में पानी लगेगा उसी क्षेत्र से वसूल किया जायेगा।

श्री श्योपतसिंह : सरकार जो अभी वसूली करती है वह १ रु० ६ आना फी बीघा के हिसाब से वसूल करती है वह कितनी किश्तों में वसूल कर लेगी ? वह २४ अर्ध वार्षिक किश्तों में वसूल नहीं होगा। इसको ज्यादा करना पड़ेगा, इसके बारे में क्या खयाल है ?

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य जो जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री श्योपतसिंह : अगर एक मुश्त देगा तो २०८) रु० पर एकड़ वसूल करेंगे और किश्तों में देगा तो २६४) रू० वसूल करेंगे। अभी १ रू०, ६ आना फी बीघा के हिसाब से वसूल कर रहे हैं। यह कितने अर्से से वसूल करेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : मैं १ रू०, ६ आना फी बीघा की बात को नहीं समझ पाया।

श्री श्योपतसिंह : आप नहीं समझ पाये, यह भली बात है। इस वक्त जिस जमीन में पानी लगता है उसमें १ रू० ६ आना प्रति बीघा बैटरमेंट टैक्स वसूल किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : क्या माननीय

(एक माननीय सदस्य)

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखरा में बेटरमेंट लेवी किस तरह वसूल की जाती है ?

श्री अध्यक्ष : १ रू० ६ आना प्रति बीघा अभी आपने बताया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : २०८) रु० प्रति एकड़ और १ रू० ६ आना प्रति बीघा में बहुत अन्तर होता है ।

श्री दौलतराम सारण : यह २४ अर्धवार्षिक किश्तों में वसूल किया जा सकता है । अभी किस तरह से वसूली हो रही है, यह मैं जानकारी करूंगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि सरकार उन क्षेत्रों से बैटरमेंट लेवी वसूल नहीं करेगी जहां पानी नहीं दिया जाता है ?

सिचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : मुश्किल से दो लाख और कुछ वसूली....

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न बहुत सीधा सा है कि जहां पर भाखरा का पानी नहीं पहुंचता है उस क्षेत्र से भी क्या बैटरमेंट लेवी ली जावेगी ?

श्री भीखाभाई : यह तो कानून में है। लेकिन प्रेक्टिकल डिफिकल्टी इसमें आ रही है कि जहां पर पानी नहीं पहुंचता वहां से बैटरमेंट लेवी ली जाए, इस बात पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या विचार कर रही है ? जहां पर पानी नहीं पहुचे वहां से भी आप वसूल करना चाहते हैं क्या बैटरमेंट लेवी ?

श्री भीखाभाई : इसके लिए कानून है कि टोटल कमान्ड एरिया पर लेना चाहिये । लोगों का यह विरोध है कि जब तक पानी नहीं दिया जावे यह वसूल नहीं किया जावे और यह अभी वसूल नहीं हुआ है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): वसूल तो नहीं हुआ है पर । The possition is that the Government can, according to law, realise but because of agitation of Kisans, they have stayed it for the time being. The Government must commit itself to the policy whether in future also they are not going to realise from the area where the water does not reach. This is the question. The Hon'ble Minister is giving an evasive reply. He is not committing to a particular position.

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि जो प्रश्न आपने उठाया है वह विचाराधीन है कि आइन्दा लें या न लें ।

श्री श्योपतसिंह : जब तक निर्णय नहीं हो जाय तब तक जहां जहां वसूली हो गई है उस वसूली को कैन्सिल करने के आदेश देने को क्या सरकार तैयार है ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि वसूली नहीं की जा रही है, मेच्योर हो जाय वहीं वसूली की जाय । फिर भी माननीय सदस्य एजिटेशन की बात करते हैं, उनको शौक है एजिटेशन का, तो चम्बल में जाकर चाहें तो

(श्री भीखाभाई)

एजिटेशन कर सकते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) असेसमेंट किस प्रकार होता है ?....

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री अब्दुलजब्बार : यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेन्ट है....

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please !! Shri Harduttsingh.

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : मन्त्री महोदय ने फरमाया कि जिसमें पानी नहीं लग रहा है वहां विचार कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : वहां तो रोक दिया है। आगे के लिये क्या नीति हो, इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री हरदत्तसिंह : मेरा प्रश्न यह हैं कि जो स्थायी अलॉटीज़ हैं भाखरा एरिया में उनसे कीमतें ली जा रही हैं। उनकी मतों में बैटरमेंट भी शामिल है तो जब वहां बैटरमेंट लेवी को रोक दिया गया है तो कीमतों में जो बैटरमेंट की कीमतें शामिल हैं और उन लोगों से ली जा रही हैं उनको भी रोक दिया जाना चाहिये। पानी नहीं लग रहा है तो बैटरमेंट उन कीमतों में जो इन्क्लूडेड है वह कीमत भी वसूल नहीं की जानी चाहिये।

श्री भीखाभाई : यह सवाल, जो सूचना माननीय सदस्य दे रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। वे सूचना दे रहे हैं तो इस पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन।

श्री श्योपतसिंह : एक प्रश्न और पूछना है, बहुत जरूरी है....

श्री अध्यक्ष : Next question has been called Shri Bhimsen.

गैर सरकारी आयुर्वेद कॉलेज

३०३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): **क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-**

(१) राजस्थान में कुल कितने गैर सरसरकारी आयुर्वेद कॉलेज चल रहे है ?

(२) इन कॉलेजों को ग्रान्ट-इन-एड देने की क्या व्यवस्था हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त कॉलेजों को आयुर्वेद विभाग में स्थानान्तरण से पूर्व प्रतिमाह ग्रान्ट-इन-एड प्राप्त हो जाया करती थी ? अगर हां, तो इस समय उपरोक्त कॉलेजों को प्रति माह ग्रान्ट-इन-एड मिल कर वर्ष में एक बार मिलने के क्या कारण हैं ?

(४) क्या सार्वजनिक धन से संचालित की जाने वाली उपरोक्त संस्थाएं प्रति माह के बजाय प्रति वर्ष ग्रान्ट-इन-एड देने की व्यवस्था से आर्थिक कठिनाइयों में नहीं उलझती हैं ?

उप-मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) राजस्थाम में ६ गैर सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहे हैं।

(२) राज्य द्वारा बनाये गये नियमान्तर्गत इन कॉलेजों को अनुदान देने की व्ययस्था है।

(श्री दौलतराम सारण)

(३) जी हां। शिक्षा विभाग के नियमान्तर्गत प्रति माह अनुदान देने की व्यवस्था थी परन्तु आयुर्वेद विभाग में नियमान्तर्गत इन्हें प्रति तीसरे माह अनुदान देने की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में अन्य प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

(४) राज्य नियमान्तर्गत प्रति त्रैमासिक अनुदान देने की व्यवस्था है, अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भीमसेन : प्रति तीन माह देने की व्यवस्था है, पर वास्तव में दिया जा रहा है या नहीं, यह प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : अवश्य दिया जाना चाहिए, जब नियम में है।

श्री भीमसेन : नियमों का पालन होता है या नहीं होता है, यह प्रश्न है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सनातन धर्म कॉलेज, बीकानेर को पिछले सालों से सालाना आधार पर दिया जा रहा है।

श्री दौलतराम सारण : यह तो मेरी जानकारी में नहीं है। माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं तो मैं जानकारी कर लूंगा; पर नियमानुसार त्रैमासिक एड दी जानी चाहिये।

श्री भीमसेन : मेरे प्रश्न देने पर सरकार को जानकारी करके जवाब देना चाहिये था कि नियमों का पालन होता है या नहीं होता है।

श्री दौलतराम सारण : नियम इसीलिये बनाये जाते हैं कि उनका पालन हो।

श्री अध्यक्ष : और प्रश्न इसलिये पूछे जाते हैं कि आपके नोटिस में लाया जाय कि नियमों का पालन नहीं होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कितने परसेंट एड आप गैर सरकारी संस्थाओं को देते हैं?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गंगासिंह।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की स्थापना

३०४. **श्री गंगासिंह** (जायल) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि गांव जायल में तहसील हैड क्वार्टर व पंचायत समिति का हैड क्वार्टर होते हुए भी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर नहीं रखा गया है?

(२) क्या यह सत्य है कि जायल के ग्रामवासियों से दस हजार रुपयों की राशि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बनाने के निमित्त ली गई है व वह राशि अभी तक सरकार के पास जमा है?

(३) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति ने सर्व सम्मति से दिनांक २२।३।६१ को यह प्रस्ताव पास किया था कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर जायल में रखा जावे?

(४) क्या यह सत्य है कि राजनैतिक कारणों से प्राइमरी हैल्थ सेन्टर अब जायल में नहीं रखा जा रहा है?

(श्री गंगासिंह)

(५) क्या यह सत्य है कि चुनाव के दिनों में बजाय जायल के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर गांव डेह में रखने का हुक्म हुआ था ?

उप-मन्त्रिणी, चिकित्सा (श्रीमती प्रभामिश्रा) : (१) जी हां।

(२) जी हां। १०,००० रु० की राशि पंचायत समिति के पास जमा हो गई थी, सरकार के पास नहीं।

(३) जी हां।

(४) पंचायत समिति ने दिनांक २४।१०।६१ को अपने अन्तिम प्रस्ताव में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर डेह में ही खोलने का तय किया ।

(५) डेह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आज्ञा तारीख २।२।६२ को जारी हुई ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : पंचायत समिति ने २४।१०।६१ को डेह में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने का तय किया और पहले पंचायत समिति ने २२।३।६१ को जायल में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने का प्रस्ताव पास किया था, तो डेह में खोलने के लिये आज्ञा कब जारी की गई ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : २।२।६२ को आज्ञा दी गई।

श्री विजयसिंह झाला : २२।३।६१ को पंचायत समिति ने निर्णय लिया उसको दुबारा परिवर्तित करने का क्या आधार है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पंचायत समिति ने अपना निर्णय बदला है, सरकार ने नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : इसका कारण क्या है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह तो पंचायत समिति ही अच्छी तरह बता सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

छड़ियां काटने की चिट्ठियां

३०५. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बा-हेड़ा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) निम्बाहेड़ा में काश्तकारों को छड़ियां (भर) काटने की चिट्ठियां क्यों नहीं दी जाती हैं।

(२) निम्बाहेड़ा में जलाऊ लकड़ी का अधिकृत विक्रेता कौन है ?

वनमन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) निम्बा-हेड़ा के काश्तकारों को छड़ियां काट कर लाने की चिट्ठियां नियमानुसार बराबर दी जाती हैं।

(३) निम्बाहेड़ा में जलाऊ लकड़ी का राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकृत विक्रेता नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि ठेकेदारों को लकड़ी बेचने के लिए शरायत के अनुसार ठेके दिये जाते हैं।

श्री भीखाभाई : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : ठेका फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट से ठेकेदारों को दिया जाता है तो शरायत रखी जाती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न ठेकेदार के बारे में नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : 'ऑथोराइज़्ड टेन्डरर कोई नहीं है', इसका मतलब ही यह है कि इर्रेगुलेरिटी होती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ठेकेदार पर शर्त रखी जाती है कि नहीं कि उस कूप की जिसका कि उसे ठेका दिया गया है लकड़ी अमुक अमुक जगह बेचे....

श्री अध्यक्ष : ठेकेदार है ही नहीं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जलाने की लकड़ी अधिकृत विक्रेता किस तरह बेचे, इसकी शर्त तो रखी जाती होगी ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने जवाब दिया कि कोई अधिकृत विक्रेता है ही नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : तो क्या यह मान लिया जाय कि जो चाहे जहां लकड़ी ले जा सकता है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : कूप्स ठेके पर दिये जाते हैं तो यह पाबन्दी नहीं होती कि जहां लकड़ी काटी जाती है उसी जगह बेचे। उनकी लकड़ी किधर से निकलेगी, कहां जायगी, ये कुछ शर्तें ठेके में लिखी होती हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : एक तरफ तो कहते हैं कि लकड़ी लाकर नहीं बेच सकता व दूसरी तरफ कहते हैं कि जहां काटी है वहीं बेचे, इस प्रकार की पाबन्दी नहीं होती। मैं दूसरा सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन पुट-अप करता हूँ। क्या लकड़ी की आमद पर यह चैक होता है कि यह लकड़ी कहां से आई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हर ठेकेदार को कूप दिया जाता है तो शर्त होती है कि लकड़ी काट कर कहां से होकर किस किस जगह से जायगा, यह प्रेस्क्राइब्ड होता है।

श्री अब्दुलजब्बार : इसीलिए प्रश्न आता है कि अधिकृत विक्रेता ठेकेदार को मान लिया जाय तो दूसरे बेचते हैं वह कहां से आती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी पाबन्दी सरकार नहीं करना चाहती। ऐसे लोगों के लिए खोल दें तो ठेके की आमदनी कम आयेगी।

श्री अब्दुलजब्बार : तो क्या यह तसव्वुर कर लिया जाय कि चोरी से लकड़ियां लाकर बेची जाती हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चोरी से कोई लकड़ी ला नहीं सकता; लाये तो पकड़ा जाता है, जेल जाता है ?

श्री अब्दुलजब्बार : पचासों आदमी लकड़ी लाकर बेचते हैं और वह फोरेस्ट से आती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस तरह के चोरों को पकड़ाइये।

श्री अध्यक्ष : Order ! कोई कॉन्क्रीट केस है नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : निम्बाहेड़ा गांव के लिए लकड़ी लाने का क्या प्रावधान है, क्या व्यवस्था है ?

श्री भीखाभाई : निम्बाहेड़ा का पूछा गया कि क्या व्यवस्था है, उसका जवाब दे दिया गया। उत्तर स्पष्ट है। एक मैटर पर एक प्रश्न पूछा जाना चाहिये, पर इस प्रश्न में दो इश्यूज़ हैं। एक तरफ छड़ों का सवाल है, दूसरी तरफ कॉन्ट्रेक्टर का सवाल है। एक प्रश्न में एक ही इश्यू को पूछा जाना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : आपके उत्तर भी लम्बे होते हैं जिनसे प्रश्न पर प्रश्न निकलने लगते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : शब्द पर शब्द भी चढ़ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

जयपुर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट

३०६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में कितने लोगों ने सन् १६५७ से अब तक प्लॉट लेने के हेतु आवेदन-पत्र दिये ? इनमें से कितनों को प्लॉट्स दे दिये गये हैं और शेष को अब तक न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बाकी बचे हुए लोगों के साथ अथवा उनके बाद में आवेदन-पत्र दिये और उन्हें पहले ही प्लॉट दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : जयपुर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट।

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) दिनांक २७-१२-१६६० ईसवी से पूर्व इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड काम कर रहा था और उसके बाद ट्रस्ट का निर्माण हुआ। बोर्ड तथा ट्रस्ट के पास जनवरी, सन् १६५७ से अब तक लगभग २०,१०५ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए; इनमें से २,४०५ को प्लॉट दे दिये गये हैं। शेष को प्लॉट न देने का कारण इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के प्लॉट देने के अधिकार सरकार द्वारा १७-२-५६ से ले लिए गए थे और ये अधिकार ट्रस्ट को अगस्त १६६१ से दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सब प्रार्थियों को दिये जाने के लिए पर्याप्त योजनायें तथा भू-खण्ड उपलब्ध नहीं थे।

(२) जी हां, बोर्ड तथा ट्रस्ट द्वारा अलॉटमेन्ट प्राय: प्राथमिकता के सिद्धांत से ही किये गये थे, परन्तु राज्य कर्मचारियों को अन्य व्यक्तियों के मुकाबले प्राथमिकता देने का प्रावधान नियमों में था; अतः राज्य कर्मचारियों को इस प्रकार भूखण्ड अवश्य दिये गये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : राज्य के कर्मचारियों के अलावा तो किसी को प्लॉट्स नहीं दिये गये हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी जानकारी के अनुसार जैसी मैंने सूचना दी है, नहीं दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : राज्य कर्मचारियों में क्या ऐसे कर्मचारी हैं जो इनकम टैक्स पेनहीं करते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : यह आप नये रूल्स की बात कह रहे हैं। नये रूल्स लागू होने के पहले राज्य कर्मचारियों को प्राथमिकता का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : नये रूल्स में प्रायोरिटी के बेसिस पर दिये हैं, चाहे उनमें सरकारी मुलाजिम हों या दूसरे आम लोग हों ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां, प्राथमिकता के अनुसार दिये जाते हैं। जो डबल प्राइस रूल २ (५) (६) के अन्तर्गत दे सकते हैंउ नके अलावा सब को प्राथमिकता दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : डबल प्राइस के लिए कोई एडवर्टाइज़मेन्ट कराया जाता है कि उनको इस प्राइस पर प्लॉट्स दिये जा सकते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : पब्लिसिटी होती है। जरूरतमन्द लोग इसके लिए एप्लाई करते हैं और जो आते हैं उनको नियमानुसार अलॉटमेन्ट करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : डबल प्राइस पर भी प्रायोरिटी के आधार पर दिये जाते हैं या जो लेते हैं उनके अनुसार दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री अब्दुलजब्बार।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, only one question; ५७ से बाद की एप्लीकेशन्स के बारे में या उससे पहले की एप्लीकेशन्स के बारे में ?

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी बहस हो चुकी है दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में।

(विराम)

श्री अब्दुलजब्बार।

आयुर्वेद औषधालय, कनेरा

२०७. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(१) क्या कनेरा (निम्बाहेड़ा) आयुर्वेदिक औषधालय का बजट वहां की जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त है ?

(२) क्या सरकार कनेरा औषधालय का विकास करने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। पर्याप्त है।

(२) कनेरा औषधालय की रोगीसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए हाल में औषधालय का विकास करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री अब्दुलजब्बार : मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कनेरा की जनसंख्या कितनी है ?

श्री दौलतराम सारण : करीब २॥ हजार के।

श्री अब्दुलजब्बार : मरीजों की संख्या रोजाना कितनी रहती है ?

श्री दौलतराम सारण : ६१-६२ में २० औसत है प्रतिदिन की।

श्री अब्दुलजब्बार : दवाइयों का वार्षिक बजट कितना है ?

श्री दौलतराम सारण : ६००) रुपये सालाना।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : २॥) रु. रोज।

श्री अब्दुलजब्बार : औषधालय की कोई बिल्डिंग है या छप्पर के नीचे औषधालय लगा हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो मैं नहीं कह सकता कि किस प्रकार खुला हुआ है। औषधालय है तो कोई मकान होगा ही।

श्री अब्दुलजब्बार : 'विकास' शब्द सब को कवर कर लेता है, तो विकास करना किस प्रकार अनिवार्य नहीं समझा गया ?

श्री दौलतराम सारण : बजट पर्याप्त है रोगी संख्या और जन संख्या को देखते हुए। इसलिये सब को 'ब' से 'अ' श्रेणी का औषधालय बनाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न संख्या ३०८

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

दिनांक ६-४-६२ का स्थगित प्रश्न

श्री लक्ष्मणप्रसाद।

बरसाती नाले की मरम्मत

१३५. श्री लक्ष्मणप्रसाद (सिकराय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि छोई नाम का एक बरसाती नाला क्षेत्र सिकराय की हर साल हजारों एकड़ भूमि की फसल नष्ट कर देता है, जिससे काश्तकारों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त सोचनीय हो गई है ?

(२) क्या यह भी सही है कि काश्तकारों की आर्थिक स्थिति से अवगत करते हुए वहां की पंचायत समिति द्वारा लगातार २--३ वर्षों से सम्बन्धित विभागों में लिखा-पढ़ी की गई है ?

(३) यदि हां, तो सम्बन्धित विभागों की ओर से काश्तकारों को राहत के लिए क्या कदम उठाया गया है ?

(४) क्या सरकार आगामी वर्षा तक इस कष्ट का निवारण करने का विचार रखती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : इसका उत्तर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से दिया जावेगा। डेवलपमेंट मंत्री देंगे।

श्री अध्यक्ष : पहले यह प्रश्न स्थगित हो चुका है, फिर पोस्टपोनमेंट चाहते हैं।

श्री भीखाभाई : सेक्रेटेरियट से लिख दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : समय पर लिख देना चाहिये था।

श्री भीखाभाई : समय पर ही लिखा गया था।

श्री अध्यक्ष : You should have informed us also that it does not pertain to your epartment, and not just tht you come here and casually tell that you have told so and so.

(श्री अध्यक्ष)

(विराम)

Shri Sheopat Singh.

दिनांक १६-४-६२ का स्थगित प्रश्न

हनुमानगढ़ मंडी का विस्तार

२२६. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार को विदित है कि हनुमानगढ़ जंक्शन की नई आबाद होने वाली मंडी के सैंकड़ों मजदूरों और गरीबों के मकानात को तोड़े जाने तथा उन्हें मंडी एरिया से बाहर बसाने का आदेश दिया गया है ?

(२) क्या सरकार ने भाखरा क्षेत्र की नई मंडियों के मजदूरों और छोटे व्यापारियों को मकानात बनाने और प्लॉट्स खरीदने के लिए ऋण देने की भी योजना बनाई है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्रीरामप्रसाद लड्ढा): (१) मंडी क्षेत्र में आये हुए नाजायज़ मकानों को तुड़वाने के लिए नोटिस दिया गया है। उन मकानों में रहने वालों को दूसरे स्थानों पर बसाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(२) जिन लोगों की वार्षिक आय तीन हजार से कम है और अल्प आय योजना में आते हैं उनको रिहायशी प्लॉट्स रियायती शर्तों पर दिये जाते हैं और उनके प्रार्थना-पत्रों पर ऋण देने की व्यवस्था की जाती है।

श्री श्योपतसिंह : जब तक सरकार यह तय नहीं करती है कि उनको कहां बसाना है तो क्या पहले ही उनके मकान ले लेती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कहां बसाना है। चक नं० १०५, मुरब्बा ११३. २६२। चक नं० ११२. २६४ तय किया है।

श्री श्योपतसिंह : यह मंडी एरिया से बाहर है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मंडी एरिया के नजदीक है।

श्री श्योपतसिंह : बाहर तो है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बाहर से क्या मतलब ?

श्री श्योपतसिंह : मंडी एरिया से बाहर है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बहरहाल जरूरत तो होगी।

श्री श्योपतसिंह : सरकार उनको मंडी एरिया में बसाये, इसके लिए सरकार के सामने क्या दिक्कत है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मंडी एरिया में अवेलेबल ऐसी लैंड दिये जाने योग्य नहीं है।

श्री श्योपतसिंह : गरीबों, मजदूरों के लिए भी क्या कोई जगह अवेलेबल नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि

Page No.25

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उनको जमीन देकर व इतना समय देकर कि वे मकान बना लें उनके मकानों को डिस्मेन्टल नहीं किया जावेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी नोटिस दिये गये हैं। इस गरज से दिये गये हैं जो लैंड सुरक्षित रखी गई है उनके लिए उसमें से लैंड लेने की कार्यवाही कराये और उसको ले।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार आश्वासन दे सकती है कि उनको रीज़नेबल टाइम देकर कि जिस टाइम में वे जमीन ले लें, जिस जमीन पर वे रह रहे हैं उनसे छुड़वायेंगे नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सुविधा का ध्यान रखा जावेगा।

श्री श्योपतसिंह : सुविधा किस प्रकार की देंगे ? बिजली नहीं पहुंचेगी, पानी नहीं पहुंचेगा, यह अनकमान्डेड जमीन है और अलग पड़ती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे मालूम नहीं है कि वहां पर बिजली पहुँचेगी या नहीं। उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए जो व्यवस्था है वैसी व्यवस्था की जावेगी।

श्री श्योपतसिंह : मंडी एरिया में क्यों उनको जमीन नहीं दी जाती है। किश्तों पर उस जमीन की कीमत लेना चाहते हैं तो वे देने के लिए तैयार हैं। उनको मंडी एरिया में ही क्यों नहीं बसाते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर वे लो इनकम स्कीम के अन्तर्गत आते हैं तो दरख्वास्तें दे सकते हैं और नियमानुसार उनको लोन मिल सकता है कन्सेशनल रेट्स पर और रेज़िडेन्शियल प्लॉट्स मिल सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने फरमाया कि मंडी एरिया में नहीं है। मंडी एरिया बनाया है तो गरीब लोगों को बसाने के लिए क्या कोई जमीन नहीं रखी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य को मालूम होगा कि इस जमीन पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। नाजायज़ कब्जा करने वालों को कानून के अनुसार हटाना चाहिए। लेकिन उनके लिए जो जमीन निश्चित की गई है कन्सेशनल रेट्स पर, उनको वे ले लें और यदि उस स्कीम के अन्तर्गत आते हैं तो ऋण ले सकते हैं जिससे कि वे बस सकें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस एरिया में उनको बसाने की योजना है जो सिविक एमिनिटी मंडी एरिया में देंगे वहां उनको प्रोवाइड करेंगे या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां क्या एमिनिटीज़ हैं और क्या होंगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन दूसरे नागरिक भी तो वहां पर रहेंगे, जो सुविधा दूसरों को पहुंचायी जावेगी वही उनको भी।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, जागीरी बॉन्ड्स।

जागीरी बॉन्ड्स

२६६. श्री गंगासिंह राठोड (जायल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि नागोर ट्रेज़री में जागीर बॉन्ड्स की चढ़ी किश्तों का भुगतान हर महीने की २५ तारीख को व ४ तारीख के बीच नहीं होता है ?

(२) क्या सरकार मानती है कि बॉन्ड्स के पेश करते ही उन बॉन्ड्स की चढ़ी किश्तों की रकम न देना कानूनन गलत है ?

(३) क्या यह सत्य है कि ट्रेज़री नागोर में स्टाफ की कमी के कारण इन तारीखों में भुगतान नहीं किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) जी नहीं, बॉन्ड पर दी हुई राशि का भुगतान नियत समय पर होता है ।

(२) बॉन्ड्स के पेश करते ही किश्तों का भुगतान कर दिया जाता है ।

(३) जी नहीं, भुगतान समय पर ही होता है ।

किसानों से अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

३०८. श्री महेन्द्रसिंह [(दीगोद)-श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) द्वारा, पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि अमरपुरा माइनर, तहसील दीगोद, मोरपा माइनर, तहसील बड़ोद दीगोद डिस्ट्रिब्यूटरी, तहसील दीगोद के अन्तर्गत जितनी जमीन किसानों की आई है उसका मुआवजा अभी तक उन्हें नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ? अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : जी हां । अमरपुरा माइनर व दीगोद मोरपा माइनर की भूमि अवाप्ति के लिये धारा ६ (१) में व दीगोद डिस्ट्री-ब्यूटरी के लिये धारा ४ में प्रकाशन हो चुका है और मुआवजा शीघ्र ही दे दिया जायगा ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : इस तरह का प्रश्न पहले भी आया है । क्या कानूनी जटिलता है जिसके कारण हमेशा यही उत्तर दिया जाता रहा है कि मुआवजा शीघ्र ही दे दिया जायगा, लेकिन उन लोगों को मिल नहीं रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया....

श्री अध्यक्ष : आप तो हमेशा निवेदन करते रहते हैं, लेकिन काम आगे बढ़ता नहीं है । यह जो स्थिति है वह गम्भीर स्थिति है । भारत के किसी भी नागरिक की आप जमीन लेते हैं और उसमें मुआवजा देने में देरी करते हैं । It is a very big human as well as legal problem. आपके पास स्टाफ नहीं है तो और लगाइये इस काम के लिए ।

Page No.27

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस सम्बन्ध में निश्चित समय एक वर्ष, छः महीने या इसी तरह की और कोई अवधि निर्धारित करने के लिये तैयार है जिसके अन्दर इस प्रकार के मुआवजे दे दिये जायेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : लैन्ड एक्विज़ीशन एक्ट के अन्तर्गत जमीन एक्वायर होती है। लैन्ड एक्विज़ीशन ऑफिसर का जब तक अवार्ड नहीं होता है तब तक मुआवजे का पेमेंट नहीं किया जा सकता। जब तक अवार्ड नहीं आता है तब तक मुआवजा पेमेन्ट करना सम्भव नहीं है। इसलिए जो भी प्रावधान है उसके अन्तर्गत कार्यवाही होने में देरी होती है। इस बारे में मैं पहले भी हाउस में निवेदन कर चुका हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : कानूनो तकमील में क्या तीन तीन वर्ष लग जाते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : इसका फाइनल नोटिफिकेशन हो गया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : तो फिर मुआवजा देने में क्यों देरी हो रही है ? क्या आप स्वयं उस इलाके में जाकर वहां के लोगों को जो इस बारे में तकलीफ है उसको दूर करने की चेष्टा करेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : २२ तारीख से लेकर २८ तारीख ; मैं उधर ही आ रहा हूँ। जो भी मामले इस तरह के होंगे उनको देख कर निराकरण करने की कोशिश करूंगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या आप वहां के जन-प्रतिनिधियों को भी साथ में लेने का कष्ट करेंगे ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप लैन्ड एक्विज़ीशन एक्ट का बारबार हवाला देते हैं उसके अनुसार पहले भी जमीन कब्जे में ली जा सकती थी और बहुत अर्से के बाद भी ली जा सकती है। तो क्या आप इस तरह की नीति बनायेंगे जिससे जमीन पर कब्जा करने से पहले लैन्ड एक्विज़ीशन के बारे में कोर्ट द्वारा फैसला न हो जाय उससे पहले जमीन पर कब्जा न करें ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(६.१० म. पू.)

बजट-पत्रों में अशुद्धियों के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करने विषयक औचित्य प्रश्न

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैंने जो प्रिविलेज मोशन दिया था उसके बारे में आपके क्या आदेश हैं ?

श्री अध्यक्ष : उसके लिये निर्णय दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, जिस एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस शुरू की जा रही है उस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कल विधान सभा में इस बजट के सम्बन्ध में एक एरेटा प्रस्तुत किया गया था। उसको माननीय अध्यक्ष, आपने भी मुलाहिजा किया होगा। उसमें इंग्लिश के

(श्री भैरोंसिंह)

आय-व्ययक अनुमान में करीब ३० आइटम्स में और हिन्दी के आय-व्ययक अनुमान में २०-२१ आइटम्स में फर्क बतलाया गया है। जिस दिन यह प्रश्न उठा था उस समय मुख्य मन्त्री महोदय ने सदन में कहा था कि बहस के लिए इंग्लिश वर्शन को ठीक मान लिया जाय और इंग्लिश वर्शन को ठीक मान कर बहस आरम्भ की गई थी। लेकिन कल जो एरेटा प्रस्तुत किया गया उसमें इंग्लिश वर्शन पर भी एरेटा आया है। उस एरेटा का टोटल लगाया जाय जिसमें करीब १८ करोड़ रुपये की गलतियां रह गई हैं; उन पर विचार किया है और अलग अलग हैड्स पर विचार किया है। मुख्य मन्त्री महोदय के स्टेटमेन्ट के बाद में जो यह एरेटा आया है उस आधार पर बजट को देखा जाय तो भी उसमें डिस्क्रेपेन्सीज़ मालूम देती हैं। वैसे मैं विस्तार से इस पर निवेदन न कर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल जो पेश किया गया है उसमें सारे आइटम्स दिखाये गये हैं, उसके साथ इस एरेटा को पढ़ा जाय। आइटम्स में ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बारे में कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं, इस एरेटा के आधार पर भली प्रकार से नहीं कहा जा सकता। इस सम्बन्ध में जो यह एप्रोप्रियेशन बिल है यह फाइनल बिल है और इस बिल को इसी रूप में पास करते हैं तो मुझे इस प्रकार की सम्भावनायें प्रतीत होती हैं कि इस बजट में एप्रोप्रियेशन बिल में और जो एरेटा निकाला है इन तीनों को एक रूप से पढ़ा जाय तो कई प्रकार की त्रुटियां नजर आयेंगी। यह जिस समय दिया गया उसके बाद भी मेरे ध्यान में, और भी गलतियां इसमें हो सकती हैं। इसलिए इस पर पूरी तौर से जानकारी करने के लिये और ध्यान से देखने के लिए सदन को कुछ और समय दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बावजूद भी माननीय मन्त्री महोदय इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं तो इस आधार पर सही स्थिति सामने आ जायगी, जिसके ऊपर विचार किया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर ! ऑर्डर !! पहले जब तक एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक आप दूसरे पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ नहीं कर सकते।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद) : Mr. Speaker, Sir, it is more of a constitutional implication. If I may be permitted, I may explain the position of the Constitution.

श्री अध्यक्ष : Please explain it briefly.

श्री निरंजननाथ आचार्य : The demands cannot be re-opened now and again analysed and corrected. As far as the Constitution is concerned it is clear in Article 204 that no amendment to this Bill can be introduced. Therefore, the point of order raised at this stage does not deserve any consideration.

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो पोइन्ट ऑफ

Page No.29

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ऑर्डर रेज़ किया है उसके बारे में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह बात सही है, इस बजट में जिस प्रकार की गलतियां पोइन्ट आउट की गईं। इसके अलावा भी दूसरी प्रकार की बहुत सी गलतियां हैं, जैसा कि सदन को विदित है, जो डिमान्ड्स वोट हो चुकी हैं। a very serious thing has occured in the budget. Inspite of the fact that an errata has been issued there are certain very material defects in the budget with which we are concerned. In his speech, the Hon'ble Minister has given certain figures-may be, they are misprints or so, though they do not appear to be misprints. In the statement of expenditure, Sir, the figure is different, and in another statement itis still different. Then a certain item has been voted and that has been wrongly voted. I may be permitted to quote the instance, Sir.

In the speech of the Hon'ble Minister, I find at page 9 of the Hindi version, "आमदनी खाते में खर्च का तखमीना ६,१५२ लाख रुपये हैं"। He gives the figure of Rs. 6,152 lakhs. Now, Sir, if you look to the statement in the detailed budget, in the extract statement, the figure is Rs. 6,152 lakhs, but in the schedule of demands for grants the figure is 6,480 lakhs and 30 thousand, and in the Appropriation Bill the figure is 6,480 lakhs. In another case, in demand No. 4, Item No. 12-Sales Tax, the demand which has been voted is Rs. 55.86 lakh, while in the detailed statement the demand actually comes to about Rs. 20 lakhs.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : पेज क्या है ?

श्री बृजसुन्दर : Page 53। This is a serious thing, Sir. I think it is my duty to bring it before the notice of the House. What would be itse consequences, whether it would require the amendment of the Appropriation Bill or anything else, it is for the consideration of the House.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में ही स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, इन सारी गलतियों को देखने के कारण ही मैंने एडजोर्नमेन्ट मोशन....

श्री अध्यक्ष : जिस पर एक बार निर्णय दे दिया गया, उसे आप फिर रेज़ न करें; आपसे निवेदन कर दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : ये गलतियां होती रहें और क्या हम उसका उल्लेख भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते....

श्री अध्यक्ष : जिस पर एक बार निर्णय हो गया, आप उसका उल्लेख भी नहीं कर सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं गलतियां तो बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप फिर एडजोर्नमेन्ट मोशन का हवाला क्यों देते हैं ? जिसकी

Page No.30

(श्री अध्यक्ष)

आपको इत्तला दे दी जावे उसका उल्लेख न करें ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इसलिये हवाला देता हूं कि जो शुद्धिपत्र दिया गया है, उसके बावजूद भी....

श्री अध्यक्ष : आपको उसका उल्लेख नहीं करना चाहिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : पर गलतियां अगर फिर भी रहें तो उनका तो उल्लेख कर सकता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : पर गलतियों का उल्लेख आप उसमें कर चुके हैं। और हैं तो और और तरीके से आप उसे रेज़ करें। पहले से पोइन्ट ऑफ ऑर्डर चल रहा है, उसके सपोर्ट में बोल सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं उसी के सपोर्ट में बोल रहा हूँ । तो, यहां जो शुद्धिपत्र दिया गया है वह हिन्दी और अंग्रेजी में, दोनों में, दिया गया है और जिस समय चर्चा चल रही थी उसमें जिक्र आया था कि किसको ऑथेन्टिकेटेड माना जाय तो माननीय मुख्य-मंत्रीजी के जरिये और अध्यक्षीय आसन से सभापति ने जो निर्णय दिया तो अंग्रेजी को ही आधार माना गया था। जब अंग्रेजी को ही आधार माना जावे तो उसमें भी गलतियां हैं। उसकी भी कुछ गलतियां मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : They are self evident. इसमें दो राय नहीं है। गलतियां हैं। इसकी डिटेल में बहस की जावे, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है जैसा कि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर में कहा गया है कि इस बहस को जारी रखा जावे या नहीं रखा जावे। तो इसमें सिर्फ यह बात है। आप मिसालें दें और विस्तार में जावें, इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : एप्रोप्रियेशन बिल विचारार्थ लिये जाने से पहले इतनी भूलें बताई गईं। उसके बाद शुद्धिपत्र आया। फिर भी अब भी करोड़ों रुपयों का फर्क है । कहा गया प्रिन्टिंग मिस्टेक है। हो सकता है, ये चालीस, पचास हों। इनको भी अलग रख सकते हैं, पर फिर भी हैं। इसलिये बड़ा भारी अहम्मसला हो जाता है। इस दृष्टिकोण से मैंने शुद्धिपत्र को जांचा। चार जगह पर गलतियां अब भी हैं। अगर इनको सुधारते हैं तो इनकी टोटल में गलतियां हो जाती हैं। जैसे कहा गया कि न्यू आइटम ऑफ एक्सपेन्डीचर में ६० लाख की जगह ७२ हजार मान लिया जावे। वहां ७२ मानते हैं तो जो टोटल है वह बतलाई जाती है, ५६,७५ हजार रुपये। जैसा शुद्धिपत्र दिया गया वैसा ही रखते हैं तो वह टोटल हो जाती है और पारित होता है ६०,२७ हजार रुपया । तो शुद्धिपत्र आने के बाद भी गलती रहती है और देखिये १७६ में ललित कला अकादमी में ७ हजार की जगह कहा गया ७५ मान लिया जावे, पर इसमें भी नीचे फिर टोटल में गलती आती है। तो आखिर कोई भी आधार मान लें, इसके बावजूद भी बार बार गलती सामने आती है तो सारा बजट, ऐसा मालूम होता है, गलतियों से भरा है। कोई मामूली से मामूली दूकानदार का मुनीम भी अगर ऐसी गलतियां कर दे तो दूकानदार उसे नाकाबिल

(श्री मुरलीधर व्यास)

कहकर अपनी दुकान में रखना पसन्द नहीं करेगा। एक जगह तो यहां तक फिगर बदल दिया है कि ३.५० लाख की जगह ४,४०,३४ हजार पढ़िये। अब इसको कोई कहे कि प्रिन्टिंग मिस्टेक मान लो तो इसको कैसे मान लें? प्रिन्टिंग मिस्टेक में बिन्दियों की गलतियां इधर से उधर हो सकती हैं पर इस तरह से आंकड़ों में फर्क नहीं पड़ सकता।

इतनी सब गलतियों के, हिन्दी और अंग्रेजी वर्शन दोनों में होने के बावजूद फिर भी एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस करते हैं तो ये सारे तथ्य जब तक ठीक नहीं हो जाते और यह सारा बजट बहस हुआ मान भी लें, पर कानूनी दृष्टिकोण से सही नहीं माना जावेगा। इसलिये इस पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का मैं समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मन्त्री महोदय, जो और गलतियां बताई गईं उनको भी मद्दे नजर रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में एक स्पष्टीकरण कर दूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। माननीय सदस्यगण खास मुद्दा शायद ले नहीं पाये हैं। जो एप्रोप्रियेशन का बिल है इसमें पर्टीकुलर डिपार्टमेन्ट के पर्टीकुलर हैड्स हैं। सारे हैड्स को हमने सदन में पास किया है, कुछ कट मोशन्स पर बहस करने के बाद और कुछ गुलेटिन सप्लाई करने के बाद और ये हैड्स पास किये हैं एरेटा इश्यू करने से पहले। इसके बाद में एरेटा इश्यू किया गया है वह कल किया गया है। अब कल के पहले जितनी डिमान्ड्स हमने यहां पास की हैं उन डिमान्ड्स की टोटल को दुरूस्त करने की कोशिश करें, पर चूंकि एरेटा कल पेश हुआ है, परसों का यह एरेटा नहीं है, तो परसों तक हमने एरेटा के मुताबिक पास नहीं की हैं, बल्कि करेक्ट फिगर्स पास की हैं जो उनमें थीं, अब उनको कुल टोटल को आप मिला कर उसमें यदि एरेटा इश्यू करना चाहते हैं तो वह एरेटा किसी तरह कॉन्स्टीट्यूशनल नहीं हो सकता। आज आपने एक हैड पांच लाख का पास कर दिया डिमान्ड में और कल आप एरेटा इश्यू करें कि यह पांच करोड़, पांच लाख का था। तो इसको कैसे वोटेड माना जा सकता है, जब कि हमने वोट दिया है केवल पांच लाख पर? वोट हुआ है पांच लाख पर, पांच करोड़, पांच लाख पर नहीं हुआ। वैसी हालत में या तो एरेटा परसों इश्यू करना चाहिये था या जब जो डिमान्ड पास हुई उससे पहले करना चाहिये था। प्रारम्भ में ही एरेटा इश्यू करना चाहिये था। अगर प्रारम्भ में एरेटा इश्यू करते और उसके अनुसार डिमान्ड पर वोट होता तो उन फिगर्स को एप्रोप्रियेशन बिल में उसी तरह लाना कॉन्स्टीट्यूशन हो सकता है। पर जो डिमान्ड जितनी रकम की पहले वोट के लिये आई उनसे अधिक की रकम की डिमान्ड का आइटम आज आप इस एप्रोप्रियेशन बिल में लाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल अन कॉन्स्टीट्यूशनल है और ऐसी हालत में यह एप्रोप्रियेशन ऐसा समझा जाना चाहिये कि वह डिमान्ड, जो पास की गई सदन में, उसके अनुरूप नहीं आया। अगर जो डिमान्ड वोट लेकर या मुखबन्द लगा कर यहां पास की गई उतनी ही रकम के लिए, उतने ही फिगर्स के लिए आप इस एप्रोप्रियेशन बिल को लाना चाहते हैं तब तो ठीक

(श्री भैरोंसिंह)

है, वर्ना इस समय इसको कन्सीड्रेशन में नहीं लिया जावे। यह मेरा स्पष्टीकरण है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Mr. Speaker, Sir, I would just draw your attention to Article 204 of the Constitution—

"(1) As soon as may be after the grants under article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State all moneys required to meet—

(a) the grants so made by the Assembly,..." This is a provision of the Constitution which clearly says that the Appropriation Bill shall relate to the grants so made by the Assembly.

Therefore, so far as the Appropriation Bill is concerned we cannot have any change in the demands which have been passed in the Assembly.

I may also raise another point and it is this that with regard to the introduction of Appropriation Bill, the recommendation of the Governor is necessary.

Article 207 is :

"A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clause (a) to (f) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor..."

So far as the present Bill is concerned it is stated in the Statement of Objects and Reasons-

"The present Bill which provides that Law is, therefore, introduced in pursuance of the aforesaid provisions of the Constitution on the recommendation of the Governor."

The Governor has given his recommendation in respect of the bill in its present form without any amendments and without any rectifications. So I will submit that this House will not be competent to discuss a Bill which the Governor has not recommended, to make any amendments which may change the recommendation of the Governor.

This may also be considered simultaneously.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर इस वक्त सदन के सामने प्रस्तुत है वह कुछ एक दो मुद्दों को लेकर है। जिस तरीके से चीज सदन के सामने उठाई गई है उससे यह जाहिर होता है कि जो डिमान्ड हमने पास की वह कुछ और थी जो कि बजट में दी हुई है यानि कि एरेटा। उन डिमान्ड्स में भी एरेटा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो डिमान्ड्स हमने पास कीं उनके टोटल में कोई गलती नहीं है और न

Page No.33

(श्री बालकृष्ण कौल)

कोई एरेटा है । अगर कोई एरेटा था तो उसको डिटेल में था न कि टोटल में। यह बदकिस्मती थी कि जहां डिटेल्स आई उनमें कुछ गलतियां रह गई । इस तरीके से यह तस्वीर रखना आपके सामने कि जैसे डिमान्ड कुछ और है और एप्रोप्रियेशन के बिल के जो मुद्दे हैं वे कुछ और हैं इसलिए इसको रोक देना चाहिए, मैं समझता हूं कि पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर का सवाल नहीं उठता क्योंकि जो एप्रोप्रियेशन बिल के मुद्दे हैं वही डिमान्ड्स में हैं । इसलिए दोनों में अन्तर नहीं है । इसके बाद में एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया गवर्नर की एप्रूवल के बारे में । मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह गवर्नर की एप्रूवल ऑलरेडी आ चुकी है । उसके बाद में कुछ डिटेल्स में गलतियां पाई और उनके लिए गवर्नर की एप्रूवल की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिमान्ड्स हैं और जो एप्रोप्रियेशन के मुद्दे हैं वे सब बराबर हैं । उनमें फर्क न पहले था और न अब है ।

एक माननीय सदस्य, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो किसी जमाने में वित्त मन्त्री रह चुके हैं उन्होंने बड़े जोरों से एक मुद्दा उठाया, इस तरीके का जिससे इसके लिए कुछ ऐसा समझें कि बहुत कॉमाफ्लेज्ड हो गया है । मैं माननीय सदस्य से अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने दो मुद्दों में फर्क नहीं पाया । एक जगह तो ग्रोस आंकड़े दिए हुए हैं और एक जगह नेट आंकड़े दिए हुए हैं । उन्होंने अपनी बात इस तरीके से रखी है कि जैसे ग्रोस और नेट में कोई अन्तर हो ! अन्तर तो होता है, लेकिन जब हम किसी हैड से रुपये की मांग रखते हैं तो वह ग्रोस में रखते हैं, नेट में नहीं । इसलिए मैं माननीय सदस्य से अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरीके से तस्वीर उलझाई जा रही है उसमें कोई असलियत नहीं है । इसलिए जो डिमान्ड्स के मुद्दे पेश किये हैं वे बिल्कुल सही हैं और जो एप्रोप्रियेशन बिल है वे ही मुद्दे उसमें हैं । इसलिये मैं आप से अर्ज कर देना चाहता हूँ कि इसमें कोई अन्तर नहीं है । इसलिये इस पोइन्ट ऑफ ऑर्डर को रद्द कर दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : यह मन्त्री महोदय ने जो एरेटा निकाला है उसमें डिमान्ड की फिगर में तो कहीं वेरी नहीं किया है ।

श्री बालकृष्ण कौल : नहीं जनाब ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर........

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस प्रश्न का उत्तर अभी माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने दिया उसके विषय में....

श्री अध्यक्ष : अब कोई बहस नहीं होगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो कुछ निवेदन किया....

श्री अध्यक्ष : उस पर तो माननीय सदस्य बोल चुके हैं । काफी विवाद इस पर हो चुका है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ । I am raising a new point of order.

श्री अध्यक्ष : Hon'ble Member can not raise another point of order while one is pending.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : अध्यक्षमहोदय, मुझे निवेदन करना है कि जो माननीय मंत्री महोदय ने सूचना दी है....

श्री अध्यक्ष : निवेदन बहुत हो चुका है। अब इस पर और ज्यादा बहस नहीं होगी।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं अपनी तरफ से एक अर्ज कर देता हूँ....

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जवाब दिया है उसके संबंध में एक बात पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : केवल मंत्री महोदय ने जो बात कही है जो डिमाण्ड्स पास हुई हैं उसमें एरेटा की आवश्यकता नहीं है—नम्बर एक और दूसरी बात यह है....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बोल रहा हूँ। मंत्री महोदय ने दो बातें सदन के सामने रखी हैं। एक तो यह कि जो एरेटा इश्यू हुआ है वह केवल डिटेल्स के बारे में है लेकिन मांग का जो टोटल है उसके बारे में नहीं है। नम्बर दो यह है कि जो एप्रोप्रियेशन बिल में मांगें दर्ज हैं वे वही हैं जो सदन ने पास की हैं। इस विषय में माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं और दूसरी बहस नहीं होगी।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सदन में जो मांगें पास की गई हैं उनके जोड़ों में गलतियां हैं। टोटल एन्ट्री कर दी गई है....

श्री अध्यक्ष : आप फिर बहस बढ़ा रहे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जितनी रकम पास की है वह गलत करवाई गई है।

श्री अध्यक्ष : 'गलत करवाई' इस तरह से बहस नहीं करनी चाहिए। मैंने जो आपको कहा उसके बारे में कहे तो ठीक है वर्ना अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जैसा आपने फरमाया उस हिसाब से जो डिमाण्ड ११–एक्साइज़ ड्यूटी की है और उसके अन्दर जो टोटल दिया है उस टोटल में गलती है और वह गलती इस प्रकार से है कि जैसा आपने बताया है कि इसके अन्दर ६० लाख की जगह ७२ हजार माना जाये। तो जब ७२ हजार लिखा गया तो उसके बाद जैसा ग्रान्ड टोटल दिया है इसी के अन्दर वह ५६ लाख, ७३ हजार दिया है और वह टोटल उस हिसाब से होता है ६० लाख २७ हजार। तो यह जो फर्क है, जैसा बताया कि इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है....

श्री अध्यक्ष : किस मांग के बारे में कह रहे हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : ११–स्टेट एक्साइज़ ड्यूटीज़।

श्री अध्यक्ष : वह तो जेल के लिए है।

श्री मुरलीधर व्यास : ग्रान्ट नं० २–स्टेट एक्साइज़ ड्यूटी।

Page No.35

श्री अध्यक्ष : हां, अब आप कहें।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा आपने फरमाया इसके अन्दर जो टोटल है उसके अन्दर फर्क पड़ता है और आपने कहा कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता....

श्री अध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा कि फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तो यही पूछा है कि इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि जो मांग पास की गई है वह सही नहीं की गई, उसमें एरेटा होना चाहिए या नहीं ?

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा आपने कहा वह बिल्कुल गलत है, ऐसा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : वह आप स्पष्ट कीजिए, कैसे हो रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय ने जो रिप्लाई दिया है उसके सम्बन्ध में यह कहना है कि जो ग्रान्ड टोटल एक्साइज़ ड्यूटीज का है उसमें जैसा परिवर्तन किया है, शुद्धिकरण किया है और शुद्धिकरण में भी ६० लाख की जगह ७२ हजार शुद्ध किया है। अब ७२ हजार को उसी में रखते हैं तो इसका जो टोटल होता है जैसा इसमें बताया गया है ५६ लाख, ७३ हजार रुपया होता है। लेकिन जैसा परिवर्तन किया जाता है उसके बाद में वह ६० लाख, २७ हजार होता है। तो इसमें यह बड़ा भारी फर्क हुआ। इसी प्रकार से दूसरी जो ग्रान्ट्स रखी हैं, ललित कला अकादमी, यह एजूकेशन की ग्रान्ट नं० १५ है, पेज १६६ पर इसके अन्दर जैसे ६० लाख की जगह ७५ हजार एड किया है उसका टोटल माना है। वह मानते हैं तो फिर जनरल डिमाण्ड के अन्दर जो टोटल है उसके अन्दर फिर परिवर्तन होता है। तो यह जो भी शुद्धिकरण किया गया है इसको दो डिमान्ड्स में तो देख लिया है और भी कई ४-५ आंकड़े हैं जो जोड़ की गलतियां बता सकते हैं लेकिन टोटल जो है १६६२-६३ बजट एस्टीमेट्स के पेज ६५ पर....

श्री अध्यक्ष : ठीक है। आपने दो बातों की मिसाल दे दीं उसमें।

श्री मुरलीधर व्यास : इन्डस्ट्रीज़ वाले में जो बजट एस्टीमेस्ट्स हैं, १६६२-६३ में जो परिवर्तन करते हैं तो उसमें ८,५३,६१०) रु० इस प्रकार से यह होता है तो यह जो ग्रान्ट है उसमें जबकि मूल ग्रान्ट जो होती है उसका टोटल बतलाया है ८,५३,६१०) रु० के बजाय ८,५४,६१०) रु० पढ़िये तो जैसा कि आपने बतलाया उसके अनुसार परिवर्तन आता है....

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूँ कि जो मैंने आपके आगे निवेदन किया कि जो डिमान्ड्स में टोटल थे वह टोटल और जो एप्रोप्रियेशन का बिल इसका पेश किया है वह बराबर है। फिर वही माननीय सदस्य पेश करते हैं कि बीच में गल्तियां हुई हैं। उन गल्तियों को लेकर साबित कर रहे हैं कि डिमान्ड का टोटल जो हमने पास किया है उसमें गलत साबित होना चाहिए..

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि शुद्धि-पत्र से मांगों में जो २-३ जगह हेरफेर हुआ है उस हेरफेर के बाद टोटल डिमान्ड पास किया है वह कम होती है या ज्यादा होती है, उसमें फर्क पड़ा है, प्रश्न यह है।

श्री बालकृष्ण कौल : फर्क नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप और सोच लीजिये। You should know what you are saying.

मामला पेचीदा है और सरकारी पक्ष को समय चाहिए। इसलिए १० बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही एडजर्न की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही ६ बज कर ३२ मिनट पर आज १० बजे तक के लिए स्थगित की गई।]

(१०.२ म. पू.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

श्री सभापति : I call the House to order.

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जावे ताकि सब चीजों को और देख लिया जावे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : Who would dispose of the point of order which was raised by one of the Members of this side, Sir ?

श्री सभापति : Which point of order you are referring to ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : Which was raised by Shri Satish Chandra Agrawal.

श्री सभापति : I do not know. I have simply called the House to order. Mr. Harideo Joshi has requested the Chair to adjourn the House for one hour. Has any Member got to say something with regard to that ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I also support that the House may be adjourned for an hour.

श्री सभापति : सभा की कार्यवाही ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १० बज कर ६ मिनट पर ११ बजे म. पू. तक के लिये स्थगित हुई)

(१०.५८ म. पू०)

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री महोदय।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के दौरान में माननीय सदस्य ने बजट के ४६वें सफे में एक प्रश्न उठाया और उन्होंने यह फरमाया, क्योंकि उसमें जो फीगर्स दिये हुए हैं, उनमें गलती है इस सबब से जो टोटल डिमान्ड का था उसमें गलती मुमकिन है। मुझे अर्ज करना यह है कि ४६वें पेज पर वहां ७२,००,०००) रु० जो दिया हुआ है और एरेटा के लिहाज से वह ७२,-०००) रु० होना चाहिये और एक जगह ६० लाख दे रखा है वहां ६४,०००) होना चाहिये, जैसा कि एरेटा में दिया हुआ है। इन आंकड़ों को अगर जोड़ा जाय तो जो आपकी मांग है ५६,७३,०००) रुपये की वह पूरी बैठती है। तो मुझे अर्ज यह करना था कि जो आंकड़े उसमें दिए हुए हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, वित्त मन्त्री महोदय अभी....

श्री अध्यक्ष : एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर चल रहा है अभी तक।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसीलिए अर्ज कर देना चाहता हूं कि एरेटा का जो रेफरेन्स आया है तो यह errata has not been laid on the Table of the House.

श्री अध्यक्ष : But it has been circulated.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It may have been circulated. It has been cyclostyled in the Secretariat and come from the Secretariat.

श्री अध्यक्ष : It has been circulated to Hon'ble Members through our Secretariat and it should be taken as authentic.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : Budget has been laid on the Table of the House and so the errata with regard to the budget must also be laid on the Table of the House.

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, इसलिए इसी तरीके से दूसरी डिमान्ड के संबंध में कुछ बात थी वह कला एकेडमी की थी। उसमें भी जो फीगर्स हैं उनके सम्बन्ध में मुझे इतना अर्ज करना है कि पेज १६६ का जो एरेटा दिया हुआ है उसमें बताया है कि ७,०००) रु० के बजाय ७५,०००) रु० होना चाहिए। अगर आप इसको केल्क्यूलेट करें, सारे को एडीशन करें तो आप देखेंगे कि जो हमारे फीगर्स हैं टोटल वे बराबर बैठते हैं बावजूद इसके कि वहां ७,०००) रु० लिखा हुआ है।

तो मुझे इन सब बातों को देखते हुए इतना अर्ज करना है कि जो डिमान्ड्स पास की हैं उन डिमान्ड्स में कोई गलती नहीं है। उनके डिटेल्स में कहीं गलती हुई है, वे भी एक तरह की गलतियां कही जा सकती हैं। इसलिए मैं सदन में ही विश्वास दिलाता हूं कि जो डिमान्ड्स हमने पास की हैं कल उसमें कोई गलती नहीं है और जो एप्रोप्रियेशन बिल मेरा इन्ट्रोड्यूस किया हुआ है वह उसी पर आधारित है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, एक सूचना का सवाल है कि जो डिमान्ड एक क्रम के रूप में पास की गई है और उसके बजट के अन्दर जो आइटम्स दिये गये हैं कि इतने रुपये इस मद में इस इस तरह से खर्च होंगे, अगर उनमें गल्तियां हैं तो क्या यह बहुत बड़ा अहम सवाल नहीं है। क्योंकि यह जो ललित कला एकेडेमी के लिये उन्होंने रकम रखी, बजट को जो देखेंगे तो उसमें ७,०००) रु० की रकम दी जाती है और एरेटा के अनुसार उसको ७५,०००) रु० कर दिया गया। अगर ७५,०००) रु०........

श्री अध्यक्ष : उसकी आपने जानकारी नहीं चाही। यह सारी बहस हो चुकी है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : बहस का सवाल नहीं मैं एल्यूसिडेट कर रहा हूँ।

Page No.38

श्री अध्यक्ष : इल्यूसिडेशन का सवाल नहीं है। आपकी चीज़ आपने रख दी। इस संबंध में मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : आइटम्स में शुद्धि होने की जरूरत नहीं है क्या ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष, मंत्री महोदय ने यह फर्माया कि इसका एरेटा उस तरह से आया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह एरेटा किसी आॅथोरिटी या कोई लीगल प्रोसेस से इश्यू नहीं किया गया। जो एरेटा आपने प्रसारित किया है उस एरेटा के अन्दर न तो लेजिस्लेटिव असेम्बली के सेक्रेटरी के हस्ताक्षर हैं और न उसके अन्दर फाइनेन्स सेक्रेटरी के हस्ताक्षर हैं और गवर्नमेंट ने इसको प्रसारित किया है यह उस एरेटा को देखने से किसी तरह से नहीं साबित होता है और न प्रतीत होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रसारित किया गया है। यह विधान सभा के कार्यालय से जरूर प्रसारित किया गया है, लेकिन इसके बहुत से कम्प्लीकेशन्स बाद में खड़े हो सकते हैं। तो मेरा पहला एतराज यह है कि एरेटा जो इश्यू किया गया है वह आॅथोराइज्ड तरीके से नहीं किया गया है........

श्री अध्यक्ष : यही पोइन्ट पहले किसी एक माननीय सदस्य ने उठाया था, जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि बावजूद इसके कि सरकार के सेक्रेटरी के हस्ताक्षर नहीं हैं; चूंकि इस सेक्रेटेरियेट के मार्फत इसका वितरण किया गया है इसलिये इसको अधिकृत मानना चाहिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दूसरा मेरा निवेदन यह है कि वित्त मंत्री महोदय ने यह कहा कि डिटेल्स में फर्क हो सकता है। ७,०००) रु० जो ललित कला एकेडेमी के लिए हैं उनके बजाय ७५,०००) रु. पढ़ना चाहिए और बजट का, एज्यूकेशन का टोटल बिल्कुल ठीक है और उसमें एप्रोप्रियेशन बिल के टोटल में कोई फर्क नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एज्यूकेशन में जो आपने यह ग्रान्ट पास करवाई है उसके और एप्रोप्रियेशन के टोटल्स में चाहे फर्क नहीं हो, वे चाहे एक ही हों, इसके बावजूद भी एक पर्टीक्यूलर आइटम के लिये यदि आप ७,०००) रु० मांगते हैं, लेकिन यदि हमको यह ज्ञान होता कि इसके लिए ७५,०००) रु० की रकम रखी गई है तो कटमोशन दे सकते थे, बहस कर सकते थे........

श्री अध्यक्ष : आप वही दोहरा रहे हैं जो कि माननीय सदस्य ने एक बात कही है आपसे पहले।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं इसको एम्फेसाइज़ इसलिए कर रहा हूं, अन्यथा ऐसा निष्कर्ष निकलेगा कि टोटल्स की ओर ध्यान रखा गया है और सारी अलग अलग मदों में कितने कितने रुपये रखे गये इन बातों को भूल गये। क्योंकि टोटल देखने के पहले यह आवश्यक है कि गवर्नर साहब ने जो मन्जूरी दी है एप्रोप्रियेशन बिल की और टोटल की इसमें मन्जूरी दी है और अलग अलग इन बातों को देखते हुए दी है कि किन किन मदों में कितना कितना रुपया रखा गया है; इसलिए हैड्स और सबडिविज़न्स को नहीं भूल सकते हैं। यदि भूलेंगे तो सरकार के पास इतना बड़ा हथियार आ जायगा कि जितनी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

रकम चाहे जिस मद में कर सकेंगे और इस हाउस में जो बहस हुई है हैड्स को देखते हुए और सब डिविज़न्स को देखते हुए वह सारी बहस निरर्थक हो जायगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टोटल्स ही महत्वपूर्ण नहीं हैं; बल्कि सब हैडिंग्स वगैरह की जो....

श्री अध्यक्ष : आप बहस को लम्बी न कीजिये, संक्षेप में कहियेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बात है वह भी महत्वपूर्ण है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपने जैसा फर्माया कि टोटल्स में फर्क नहीं है तो मैं निवेदन करूंगा कि एक्साइज़ डिपार्टमेंट की ग्रान्ट को जो हमने मन्जूर किया है और जो शुद्धिकरण पेश किया है उसके सब-हैड्स को यदि जोड़ा जाय तो वह उससे भिन्न है। जो आप एप्रोप्रिएशन बिल ला रहे हैं वह उससे भी भिन्न है। इसलिए यह जानते हुए कि एक्साइज़ डिपार्टमेंट की जो डिमान्ड आप मांगते हैं वह अनलेस आपके द्वारा शुद्धि कृत रुपये से कम हो....

श्री अध्यक्ष : आप यहां सारी बहस को दोहराने की बात करते हैं और बहस को लम्बी कर रहे हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं या सूचना चाहते हैं तो कीजिये। बहस को बढ़ाइये नहीं। बहस समाप्त हो चुकी है। उस पर रूलिंग बाकी है। मंत्री महोदय उत्तर दे चुके हैं। इस तरह से तो बहस समाप्त नहीं होगी

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा निवेदन यह है कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसको इस तरह से इस सदन के सामने मंत्री महोदय ने जितना लाइटली रखा है उसको उतना लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। इससे सदन के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है। इस सारी कार्यवाही के दौरान में उसके लिए यह आवश्यक है कि यह सारा मामला प्रीविलेज़ कमेटी को सुपुर्द किया जाय जिससे इसकी महत्वपूर्ण तरीके से जांच हो। मैंने बहुत ही कोशिश की इस बात को देखने की कि दूसरे प्रान्तों में........

श्री अध्यक्ष : आप फिर बहस को बढ़ा रहे हैं। अब इस पर बहस नहीं होगी। पोइन्ट ऑफ आर्डर पर बहस हो सकती थी वह समाप्त हो चुकी है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। एक पर दूसरा पोइन्ट निकाल रहे हैं। बहस हो चुकी है और उसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऐसी भूलें हुई हैं तो उदाहरण नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : उस बहस को आप लम्बी करना चाहते हैं। ऑर्डर प्लीज़।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दो, एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। एक तो क्लेरिफिकेशन यह चाहता हूँ कि जो एरेटा इश्यू किया गया है उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा या नहीं ? मैं समझता हूँ कि कल जो हाउस ने डिमान्ड्स पास की हैं उन पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता और अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता तो जिन आइटम्स में गल्तियां हैं, चाहे उनके सम टोटल्स को किसी भी प्रकार से सरकार ने दुरुस्त मान लिया हो, लेकिन सबहैड्स में जितनी भी

Page No.40

(श्री भैरोंसिंह)

रकमें दी हुई हैं उन रकमों को एरेटा से दुरुस्त करना चाहते हैं तो उसकी दुरुस्ती होगी या नहीं ? अगर नहीं होती है तो हालांकि इसमें वह है, लेकिन बिना रीएप्रोप्रियेशन के उन हैड्स में खर्च करने का अधिकार रहता है या नहीं ? मेरे यह तीन पोइन्ट्स हैं।

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं ?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन पर में यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ हैड १५ है इसमें राजस्व वोट पर जो हाउस ने वोट आउट किया है वह २,५०,०००) रु. है, जब कि एप्रोप्रियेशन बिल में २,२५,०००) रु. लिखा गया है। इस तरह से जो डिमान्ड यहां हाउस में पास की गई है उसमें और एप्रोप्रियेशन बिल में फर्क है। क्या यह सही फर्क है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, टोटल्स की गलती के बारे में यों तो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने सबसे पहले जिस समय यह वादविवाद प्रारम्भ हुआ था उस समय यह कहा था कि टोटल्स में कोई गलती होती है तो यह बात जायज़ हो सकती है। जहां तक टोटल ऑफ हैड में किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो टोटल में काफी खामियां निकल रही हैं। शुद्धिकरण जो दिया गया है उससे स्पष्ट हो चुका है कि जैसा कि मुख्य मंत्री फर्मा रहे थे कि सब-हैड में किसी प्रकार की टोटल की गल्तियां हैं तो स्वयं कह रहे थे कि इस प्रकार की गल्तियां नहीं हैं लेकिन शुद्धिकरण से यह बात स्पष्ट हो चुकी है। इसके बावजूद हिन्दी और अंग्रेजी में जो अलग अलग बजट दिये गये हैं उनमें भी नाना प्रकार की गल्तियां आज भी मौजूद हैं।

समझिये टोटल्स में परिवर्तन किया। इस प्रकार टोटल शुद्धिकरण के अन्दर बतलाया गया है कि १७१ पृष्ट के अन्दर ७,६८,०००) रु० के बजाय ५,२८,०००) रु० पढ़ा जाय। हमने उसको ५,२८,०००) रु० पढ़ लिया और पढ़ने के बावजूद भी उसमें जो हैड्स दिये गये हैं तो फलाना ओपन कास्ट के लिए दिया गया है १,२०,०००) रु. और मंडो की पाल के लिये दिया गया है १२,०००) रु. और फिर प्लान विषयक अन्य के लिये दिया गया है ६,३६,०००) तो १,२०,०००), १२,०००) और ६,३६,०००) इन तीनों को मिला कर टोटल होता है ७,६८,०००)। यह उसकी जगह कहते हैं कि हमने शुद्धि की है कि उसको पढ़ा जाय ५,२८,०००)। अब नीचे का हम ५,२८,०००) रु. पढ़ भी लेते हैं और उसके हैड्स को वैसे का वैसा ही रहने देते हैं और उन हैड्स में कोई चेन्ज नहीं होता है तो आपका जो शुद्धिकरण निकला है वह तो उसी प्रकार बेकार गया क्योंकि १,२०,०००) १२,०००) और ६,३६,०००) रु० के आइटम्स तो उसमें उसी प्रकार से रहे। तो अगर उनमें परिवर्तन नहीं होता है और सिर्फ नीचे के टोटल में परिवर्तन करके बताते हैं तो कैसे शुद्धि हो गई ?

आखिर बजट को शुद्ध करने के लिए ऊपर के जो हैड्स हैं उनमें परिवर्तन नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

करते हैं और वैसे का वैसा रखते हैं तो सारा बजट गलत होता है । इसलिए अर्ज करना चाहता हूं, कि ठीक बात है, जो शुद्धिपत्र दिया गया है, देना चाहिये था तो बजट आया उस समय शुद्धिपत्र भेजते । लेकिन उस समय शुद्धिपत्र मिला नहीं, डिमान्ड्स पर बहस हो चुकी, वोट हो चुके, मंजूरी हो चुकी, बाद में शुद्धि-पत्र दिया तो कैसे मान लें ? जिन डिमान्ड्स पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके, बहस हो चुकी, प्रारम्भ में आता तो समझते कि सारी कार्यवाही ठीक हो रही है, अब सारी कार्यवाही में नाना प्रकार की त्रुटियां प्रारम्भ से अंत तक रहती हैं । आज भी मौजूद हैं । ऊपर की शुद्धि नहीं होती तब तक बजट गलत होगा । इसलिये मैं समझता हूँ, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किये हैं उस तरह की और भी कमियां हैं । ठीक है, आखिर जनता का बजट है, हमको ठीक तरह से पास करना चाहिए । यह तो समझिये गलती हमारे यहां पर हो रही है, हमारे मंत्रीजी के डिपार्टमेंट की समझिये । मैं तो यह भीम ानता हूँ, वित मंत्रीजी ने यह कहा कि अंकों की गलती है, अंकों की गलतियां वैसे होती हैं । लेकिन ४ की जगह ६ नहीं कर सकते, ५ की जगह २ नहीं हो सकता । लेकिन इसमें अंकों की गलतियां इतनी भयंकर हैं, नीचे से समझा जाय, होनी चाहिये नहीं । टोटल में ८ लाख, ५३ हजार के बजाय ८ लाख, ५६ हजार करते हैं तो अंकों की गलती नहीं हो सकती; टोटल की है, टोटल की गलतियां हुई हैं । इस प्रकार की आज भी मौजूद हैं । ऐसी हालत में जहां तक मैं समझता हूं, वित्त मंत्रीजी खुद समझ पाये होंगे, आखिर सदन का सवाल है, बजट का सवाल है । बजट सदन का नाक होता है । नाक कट जाता है, गलतियां रहती हैं । तो आखिर लोकतन्त्र को चलाने वाली सरकार का बजट हमारी नाक है । उसको ठीक नहीं कर सकें तो अच्छा प्रोसीज़र नहीं है । हमको आखिर बजट को महत्व चाहिये । जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किये गये हैं, कई साथियों ने रेज़ किये हैं, होना यह चाहिये........

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : सारी गलतियां दुरुस्त होनी चाहिये । आखिर एप्रोप्रियेशन बिल हमारे पास आता है, सारी चीजें वैधानिक तरीके से मिलनी चाहिये । पुरानी गलतियों को ठीक करना चाहिये । यदि ठीक नहीं करते हैं तो भविष्य में गलत परम्परा कायम होगी जो सदन के लिए अच्छी नहीं होगी, देश के लिये अच्छी नहीं होगी, राज्य के लिये अच्छी नहीं होगी । ब्रीच ऑफ प्रीविलेज का सवाल है, दूसरा सवाल है, कट मोशन्स मूव हो चुके हैं, डिमान्ड्स पास हो चुकी हैं, इन सारी बातों को मद्दे नजर रखते हैं तो उसके शुद्धिकरण की आवश्यकता है, ठीक करने की आवश्यकता है, वैधानिक रूप देने की आवश्यकता है । जब तक वैधानिक रूप नहीं होता तब तक एप्रोप्रियेशन बिल लाने का समय बढ़ाना चाहियें, यदि नहीं बढ़ाते हैं तो ठीक नहीं है । सब बातें ठीक होंगी तो अच्छी परम्परा बनेगी । माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं उन पर गौर करना चाहिये ।

श्री दुर्गालाल वाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : मौजूदा एप्रोप्रियेशन बिल है वह डिमान्ड्स पास्ड बाइ दी हाउस प्लस एरेटा; यह समझ कर चलते हैं । यदि डिमान्ड

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

पास्ड बाइ दी हाउस सही नहीं है तो मौजूदा जो एप्रोप्रियेशन बिल है उसके लिये यह कहा जाय कि "Demands passed by the House on each and every Head plus errata means the present Appropration Bill and my respectful submission is that if the emands are passed by the House and an errata which is subsequently added to it, that errata has no significance. That is a point which requires clarification.

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : एक सूचना मैं यह भी चाहूँगा....

श्री अध्यक्ष : जी नहीं, आप पहले बोल चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का एरेटा सदन के समक्ष पेश किया गया है वह कल....

श्री अध्यक्ष : जो आर्ग्युमेन्ट्स आ चुके है उनको रिपीट न करें, नई बात हो तो रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय जो भी बजट की स्थिति है और जो एरेटा पेश किया गया है सदन के समक्ष, उसके सम्बन्ध में निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता कि अब इस बजट के डिटेल्स में या टोटल में कोई गलती नहीं रही। बजट की एक सेंकटिटी होती है और जब हम इस बजट को मंजूर करते हैं तो न सिर्फ टोटल हैड्सको मंजूर करते हैं बल्कि तमाम डिटेल्स को मंजूर करते हैं। आज यदि जो डिमान्ड्स मंजूर हुई है उनकी बिना पर जो एप्रोप्रियेशन बिल पेश किया जा रहा है उसको हाउस कन्सीडरेशन में ले ले तो फिर यह स्थिति रहेगी कि यह बजट उन गलतियों सहित होगा। एप्रोप्रिएशन बिल उनके आधार पर मंजूर हो जायगा तो बहुत एनोमलस पोज़ीशन होगी। यह सही होते हुए भी गवर्नमेंट को रीएप्रोप्रियेशन का अधिकार होगा....

श्री अध्यक्ष : आप फैक्ट्स रखें, आर्गुमेन्ट्स न रखें, I won't give any more time for elaborating those arguments.

(विराम)

Shri Bhag Raj.

श्री भगराज (रानीवाड़ा) : एरेटा जो कुल हैड्स का जारी किया गया था लेकिन उसमें अब भी हैड्स और डिटेल्स में त्रुटियें मौजूद हैं, जिसका मैं उदाहरण, प्रस्तुत करके साबित करने की कोशिश करूंगा कि अब भी गलती मौजूद है, जैसा कि 'Payments of compensation to landholders etc., on the abolition of Zamindari system'. इस पर ३ करोड़ रुपयों की कल मंजूरी ली गई थी। जब ३ करोड़ के अनुसार यदि ३ करोड़ के अनुसार आज एप्रोप्रियेशन बिल उसके अनुसार प्राप्त होता है तो टोटल १६२ करोड़ रुपये बनते हैं। लेकिन कल जो मंजूरी ली गई थी वह था ३० करोड़....

कई माननीय सदस्य : ३० करोड़ नहीं, ३ करोड़ ।

श्री भगराज : इसकी जोड़ बनती है १८० करोड़। मेरे ख्याल से डिटेल्स में फर्क पड़ता है और आम तौर से पूरे हैड में फर्क पड़ता है। मन्त्रीजी ने कहा है कि केवल डिटेल्स में फर्क है, हैड में नहीं है। हैड में अगर फर्क नहीं है तो पास करने में क्या एतराज है ? लेकिन हैड में और डिटेल्स में दोनों में फर्क है । मन्त्रालय को पूरा टाइम मिल जाय तो फिर से पूरा चैक करलें। इसमें ३० करोड़ लेते हैं तो टोटल आती है १८० करोड़, १ लाख ६४ हजार........

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : पेज कौनसा है ?

श्री भगराज : १ अरब ६२ करोड़ आता है....

श्री बालकृष्ण कौल : कौनसे पेज की बात कर रहे हैं ? आप पेज कोट करें।

श्री भगराज : पेज १५ है। इसमें मांग की गई है उसमें ३ करोड़ रुपये हैं, लेकिन हमसे कल मंजूरी ३० करोड़ की ली गई है....

कई माननीय सदस्य : ३ करोड़ की ली गई है ।

श्री भगराज : २८ करोड़ का फर्क आता है....

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आप फिर बोलना चाहते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं तो एक शंका के लिये अर्ज कर रहा था उसका समाधान हो जाय तो ज्यादा अच्छा है....

श्री अध्यक्ष : Order please ! You had your chance.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री ने एक आर्ग्युमेन्ट दिया कि जो डिमान्ड सदन से पास करवाई गई हैं उनमें और एप्रोप्रियेशन बिल में फिगर्स एक है । डिटेल्स के आधार पर एरेटा और एप्रोप्रियेशन बिल में किये हैं कुछ अन्तर–इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता है। मैं इतना स्पष्टीकरण चाहूंगा कि रूल १४० सब रूल (३) में है।

"Each demand shall contain first a statement of the total grant proposed and then a statement of the detailed estimate under each grant divided into items".

After all, what is the demand ? Demand is not the total of a particular grant for a particular Ministry.

श्री अध्यक्ष : Please continue.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No demand for a grant shall be made except on the recommendation o the Governor. A seporate demand shall ordinary be made in respect of the grant proposed for each department, provided that the Finance Minister

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

may include in one demand grants proposed for two or more departments or make a demand in respect of expenditure which cannot readily be classified under particular departments.

Now most important, Sir, each demand shall contain first a statement of the total grant proposed and then a statement of the detailed estimate under each grant divided into items.

This is demand. A demand has been defined like this.

और इसके साथ में, अध्यक्ष महोदय, मैं कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टीकल ११३ की कमेन्ट्री जो पेज १५६ पर है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा:-

How grants are voted and what is voted ? The total of a grant or each item constituting a grant is voted and if every item constituting a grant is voted, then I would respectfully submit that this errata is as useless as a waste paper, nothing more than that.

अध्यक्ष महोदय, पेज १५६ में रूल २५ ऑफ दी रूल्स ऑफ हाउस का हवाला दिया है, जिसमें आइटम नं० २ में लिखा है :-

"A seprate demand shall ordinarily be made in respect of the grant proposed for each ministry, provided that the Finance Minister may include in one demand grants proposed for two or more ministries or make a demand in respect of expenditure which cannot readily be classified under particular ministries"

अब नम्बर २ पार्ट दिया है :-

"Each demand shall contain first a statement of the total grant proposed and then a statement of the detailed estimate under each grant divided into items."

और फिर हवाला दिया है, वोटिंग ऑफ ग्रान्ट्स, उसमें देखिये कि वोटिंग ऑफ ग्रान्ट्स किस चीज का होता है। उस पैरा में लिखा है:-

"After the General discussion is over, the items of expenditure other than those that are charged, shall be submitted in the form of demands for grants. Demand for grants is constituted by different items of expenditure. The items of expenditure constituting a demand for grant cannot be seporated. A demand for grant is constituted by different items of expenditure and the House by voting a defferent demand for grants, has voted different items of expenditure that constitute those demands. So I would submit that this particular errata, which has come before the House, has no competence of this House.

और इसलिये जो कुछ सदन ने, जिस मांग-को अनुदान को जिस तरह से पारित किया है वह आइटम ऑफ एक्सपेन्डीचर के हिसाब से पारित किया है। उदाहरण के तौर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पर ललित कला अकादमी का ७ हजार का आइटम ऑफ एक्सपेन्डीचर पारित किया है वह आइटम ऑफ एक्सपेन्डीचर उस हिसाब से किया है। अब किसी एरेटा के हिसाब से आइटम ऑफ एक्सपेन्डीचर में चेंज नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति में ऐसी पोज़ीशन आती है कि यह केवल रीएप्रोप्रियेशन के आधार पर हो सकता है। अब यह रास्ता है कि एक महीने के लिए वोट ऑफ अकाउन्ट पारित करा लें और उसके बाद में एक महीने में मशीनरी लगा कर इस सब को चैक कर लें और खास तौर से चीफ मिनिस्टर देख लें क्योंकि नये वित्त मन्त्री आये हैं, वे भले ही पांच-छः साल पहले मंत्री थे, लेकिन अब भूलभाल गये और फिर ऐसी चीज आये जिससे कठिनाई न हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह कार्य अधिक एफीशियेन्ट आदमी को दिया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने यह चाहा था जानना कि क्या एरेटा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, रिट्रोस्पेक्टिव डेट से लिया जायगा। तो मैं उनको यह अर्ज कर दूं कि वे रिट्रोस्पेक्टिव करेक्शन्स हैं। ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कैसे हो सकता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Without the sanction of the House ?

श्री अध्यक्ष : Please listen to him, Let him say. You may agree with him or not, is a different matter.

श्री बालकृष्ण कौल : वह अमेंडमेंट नहीं है, करेक्शन है और रिट्रोस्पेक्टिव करेक्शन है।

दूसरा, एक माननीय सदस्य ने फर्माया था कुछ रजिस्ट्रेशन फीस के सम्बन्ध में और उन्होंने उसमें कोई गलती दिखाई थी और जो हमने पेज ५६ पर, जो एरेटा दिया है, उसमें करेक्ट कर दी है। उस करेक्शन को, अगर वे देखना चाहें तो पेज ५८ पर वे देख सकते हैं कि वहां जो हैड है, वह २ लाख २५ हजार में है और इधर छपा है इसकी डिटेल्स हैं, वह पच्चीस लाख छप गया है। इसलिए हमने जो डिमान्ड मांगी है, उसमें कोई गलती नहीं है। माननीय अध्यक्ष, एक प्रश्न हमारे आगे है, वह है डिमान्ड के सम्बन्ध में। डिमान्ड कल पास हो........

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, जो मांग स्वीकार हुई है....

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सुनिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वह २ लाख ५० हजार की हुई है........

श्री अध्यक्ष : You had your say. The Minister has replied. It is not necessary that you should be satisfied on every point that you raise.

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज कर रहा हूं........

श्री राधाकृष्ण गोयल : अध्यक्ष महोदय,

Page No.46

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

इसमें बेसिक और इमपोर्टेन्ट पोइन्ट रह जाता है। जो डिमान्ड पास हुई है और एप्रोप्रियेशन बिल पेश हुआ है उसके आइटम में और इसमें अन्तर है। यह महत्वपूर्ण पोइन्ट है....

श्री अध्यक्ष : यह तो........

श्री राधाकृष्ण गोयल : डिमान्ड २ लाख ५० हजार की है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने पहले भी यह कहा था। यही पोइन्ट रखा था।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मंत्री महोदय ने फर्माया कि २ लाख २५ हजार की मंजूर हुई है, वह २ लाख, २५ हजार की नहीं लेकिन २ लाख, ५० हजार की हुई है और अब एप्रोप्रियेशन बिल में २ लाख, २५ हजार रखा गया है। यह अन्तर है। यह एप्रोप्रियेशन बिल में अमेंडमेंट नहीं हो, जब तक कि हाउस उसे स्वीकार नहीं कर सकता। वर्ना इसमें और जो डिमान्ड पास हुई है और एप्रोप्रियेशन बिल पेश हुआ है उसमें अन्तर रहेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : जो प्रश्न सदन के सामने रख रहे हैं वह जितनी दिलचस्पी के साथ पेश कर रहे हैं वे होने चाहिए डिमान्ड के वक्त और जिस वक्त एरेटा हाउस में बैट रहा था उस वक्त डिमान्ड चल रही थी....

श्री रामानन्द अग्रवाल : ७० हजार की जगह ७५ हजार हो जायगा, यह हमें क्या पता था।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! कृपया सुनिये।

श्री बालकृष्ण कौल : उस वक्त प्रश्न उठाना चाहिए जब डिमान्ड पास हो रही थी। अब डिमान्ड पास हो चुकी है, एप्रोप्रियेशन बिल इन्ट्रोड्यूस हो गया है। मैं अध्यक्ष महोदय से जानकारी करना चाहूँगा, यह चीज जो पास हो चुकी है, जिस पर कोई अख्तियार नहीं है........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह कौन कहता है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : This is our contention.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सारा मामला तो यही है।

श्री बालकृष्ण कौल : जरा शांति से समझें।

इसलिए जैसा माननीय सदस्य का कहना है, वह जब एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस हो उस वक्त ये बातें सामने लायें, न कि उन चीजों पर जिन चीजों पर हम फैसला कर चुके हैं। इसलिए मुझे इतना अर्ज करना है कि जो एक माननीय सदस्य ने रूल्स के लिहाज़ से कुछ बातें कही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह समझ लें कि जब वोटिंग होता है, वह एक प्रस्ताव होता है एक पर्टीक्यूलर अमाउन्ट के लिए और उस पर्टीक्यूलर अमाउन्ट के लिए आपने अपनी स्वीकृति दे दी। तो क्या जब उसकी स्वीकृति हो चुकी है तो क्या यह मुनासिब है....

श्री भैरोंसिंह : वही हम कह रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिए मेरा

(श्री बालकृष्ण कौल)

कहना है कि कोई सवाल उठता नहीं है, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठता नहीं है····

श्री भैरोंसिंह : इस सम्बन्ध में हममें और आपमें अन्तर नहीं है ।

श्री मथुरेशबिहारी (बांदीकुई) : क्या आप कोई इंग्लिश या इन्डियन मिसाल देंगे कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट माना गया है ? क्या कोई मिसाल देंगे कि एरेटा से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं माननीय सदस्यों को कह चुका हूँ कि जो डिमान्ड पास हुई है जितने लाखों की, उसमें कोई अन्तर नहीं है । इसलिए अगर कोई····

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एरेटा से कर सकते हैं, इस प्रकार का कोई इंग्लिश या इंडियन प्रिसिडेंट बता सकते हैं ? सिर्फ आपकी राय है, इसलिए दिया जा सकता है ?

श्री बालकृष्ण कौल : अगर आप अरौ स्टेट्स के बजट देखें तो उसमें देखेंगे कि उनमें भी एरेटा है और उसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट माना जाता है । वह एरेटा····

श्री रामकिशन (वैर) : कौनसी स्टेट का है ?

श्री बालकृष्ण कौल : आपकी स्टेट का है; मैं अर्ज कर देना चाहता हूं, पिछले साल का है । गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के बजट में था ।

श्री मुरलीधर व्यास : कौनसे दिन पेश किया गया था, आठ दिन बाद किया गया था या उसी दिन किया गया था ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : Mr. Speaker, two points have been raised.

One is about the errata that has been issued and No. 2 is...

श्री रामकिशन (वैर) : हिन्दी में बोलिये, हम समझते नहीं हैं अंग्रेजी ।

श्री मथुरादास माथुर : मननीय अध्यक्ष, दो प्रश्न इस सदन के सामने इस वक्त रखे गये । एक प्रश्न के ऊपर तो माननीय वित्त मन्त्री ने सदन को सन्तोष दिलवाने की कोशिश की है जो डिमान्ड इस सदन ने पास की हैं और जो स्टेटमेन्ट ऑफ अकाउन्ट्स इस सदन के सामने पेश किया गया है उसमें एरेटा के इश्यू होने के बाद में, करेक्शन्स करने के बाद में, उसके टोटल में और जो टोटल डिमान्ड सदन ने पास की है उसमें अन्तर नहीं है । जब यह चीज साफ है तब, माननीय अध्यक्ष, प्रश्न इतना ही रह जाता है गोया कि सदन ने जिस वक्त डिमान्ड पर गौर किया था उस वक्त एरेटा इश्यू नहीं हुआ था, इसलिए माननीय सदस्यों का कहना है कि उस वक्त जिन डिटेल्स में आंकड़े बताये गये और बाद में एरेटा में करेक्शन शाया किया गया तो इतना हम इस बात को महसूस करते है अगर यह एरेटा इमीजिएटली इश्यू हो जाता तो शायद सदन में कन्ट्रोवर्सी नहीं होती । मगर जो कुछ भी स्टेटमेन्ट ऑफ अकाउन्ट्स में एरर है उनको हम क्लेरिकल एरर्स कह सकते

(श्री मथुरादास माथुर)

हैं। कोई फन्डामेन्टल एरर्स नहीं हैं। जो स्टेटमेन्ट ऑफ अकाउन्ट्स हिन्दी और अंग्रेजी में हैं और जो एरैटा के आइटम्स अलग अलग हैं उनको देखने से यह साफ साबित है कि जो स्टेटमेन्ट ऑफ अकाउन्ट्स पेश किया गया है बेसिकली तो वह करेक्ट था लेकिन छपने की वजह से छपने में कुछ गल्तियें हुईं और जिनकी वजह से यह कन्ट्रोवर्सी पैदा हुई। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें रिटोस्पेक्टिव इफेक्ट का प्रश्न पैदा नहीं होता। सदन ने जो डिमान्ड पास की है वह टोटल डिमान्ड के फिगर्स पास किये हैं। जिस समय हम टोटल डिमान्ड पास करते उसी समय यह कहते कि टोटल इतनी निकलती है तो यह गल्ती साफ हो जाती। मगर मेरा खयाल है कि यह ऐसा नहीं हुआ और उस समय माननीय सदस्यों के दिमाग में यह बात नहीं आई। पेजेज़ १३, १४ और १५ पर टोटल जितना हमने पास किया है उतना ही रुपया खर्च करेंगे, जितने रुपयों की सदन ने मन्जूरी दी है, एक पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। और भी अगर ज्यादा डिटेल्स में जावें तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सदन के सामने मौजूद नहीं हैं, मगर सदन में जो वोट दिया गया है और सदन ने जो रकम पास की है उससे ज्यादा सरकार कुछ भी खर्च करना नहीं चाहती। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि आपसे हमने जो डिमान्ड पास कराई है उसकी टोटल व एप्रोप्रिएशन बिल में रकम की टोटल एक है। इसलिये आज इस एप्रोप्रिएशन बिल पर, जो फाइनेन्स बिल हमने रखा है उसको पास करने के लिये आप से निवेदन करता हूँ और जो कुछ भी गल्तियें उसमें रह गई है उनको क्लेरिकल और प्रिन्टिंग एरर्स समझ कर समाप्त करना चाहिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अभी इसमें काफी फर्क है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह ने एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के द्वारा एक आपत्ति उठायी है कि चूंकि बजट-पत्रों में कई अशुद्धियें थीं जिनके विषय में शुद्धि-पत्र बहुत देरी से दिया गया और उससे सम्बन्धित जो स्थिति पैदा हो गई है उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट की बहस जिस स्टेज पर है, उसके आगे नहीं बढ़ाई जावे और जो गल्तियें हुईं और जो दुरुस्तियें ठीक तरह से नहीं हुईं उनको दुरुस्त करने के लिये इस कार्यवाही को स्थगित किया जावे।

सदन के समक्ष प्रश्न यह है कि जो शुद्धि-पत्र आया है उसका क्या प्रभाव पड़ता है और जो मांगें सदन ने पास कर दी हैं उन पर इसका क्या असर पड़ता है। किस हिसाब से हम मान सकते हैं कि सारी मांगें सदन ने शुद्धि-पत्र के अनुसार पास कीं या और किस तरह से पास कीं। इस विषय में एक माननीय सदस्य ने हमारे संविधान व सदन के रूल्स का हवाला दिया है। मैं उस रूल को पढ़ कर सुनाता हूं।

"Each demand shall contain first a statement of the total grant proposed and then a statement of the detailed estimate under each grant divided into items."

इसका मतलब यह होगा कि हर डिमाण्ड

(श्री अध्यक्ष)

के दो हिस्से हैं । पहला यह है कि जो statemeut of the total grant proposed है और दूसरा हिस्सा यह है कि statement of the detailed estimate under each grant divided into items·

अब प्रश्न यह है कि सदन द्वारा जो मांगे पास की गई हैं उनमें भी कोई हेरफेर कर सकते हैं या नहीं ? मांग का पहला हिस्सा सदन के समक्ष आता है जिसमें ग्रान्ट का टोटल फिगर (Total figure of the gront) होता है जो सदन द्वारा पास किया जाता है । मांग का जो दूसरा भाग है उसको लीगल और कॉन्स्टीट्यूशनल (legal and Constituti-oal) स्थिति क्या है ? मेरे ख्याल से जो इफेक्टिव पार्ट (effective part) डिमाण्ड का है वह पहला स्टेटमेंट है और जो दूसरा है वह डिटेल्ड डेस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट (detailed descriptive statement) के तौर पर है और जिसका पर्पज (purpose) एक्सप्लेनेटरी (explanatory) है ।

मेरी व्यवस्था देने का कारण यह है, अगर हम सारी स्थिति को एक साथ देखें और हम यह मानें कि सारे डिटेल्ड एस्टिमेटस् (deatiled estimates) को पास किया गया है तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि वे रीएप्रोप्रियेशन (re-appropriation) के द्वारा नहीं बदले जा सकते । सदन जो पास करता है वह सदन के द्वारा ही बदला जा सकता है । इसलिये इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सेन्क्टिटी (sanctity) तो केवल ग्रान्ट के उस टोटल फिगर की है जिसको बढ़ाने के लिये सप्लीमेंटरी ग्रान्ट (supplementary grant) के द्वारा सदन के समक्ष आना पड़ता है । जहां तक दूसरे हिस्से का प्रश्न है वह तो डिटेल्ड एस्टिमेट (detailed estimate) है । इसमें ज्यादा डिटेल्स (detailes) होती हैं । इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि उतनी ही सेन्क्टिटी (sanctity) है जितनी कि पहले भाग की । इसलिये मैं समझता हूँ कि जो भी कार्यवाही हुई वह उचित ढंग से हुई है, वैधानिक ढंग से हुई है । जो शुद्धिपत्र आया है उसमें कुछ गल्तियें मालूम हुई । संभवतः कुछ और भी गल्तियें मालूम हो सकती हैं, परन्तु जैसा कि मैंने कहा सेन्क्टिटी (sanctity) ग्रान्ट के टोटल अमाउन्ट (total amount of the gront) की है जिसको पास किया गया और जो सदन के सामने आया है । यह बिना सदन में आये वेरी (vary) नहीं किया जा सकता । इसलिए जो शुद्धि-पत्र आया है उसका उन मांगों पर जो सदन ने पास की हैं कोई असर नहीं पड़ता–इस व्यवस्था के साथ मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठायी है वह स्वीकार नहीं की जा सकती । अब सदन आगे काम करे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Point of order, Sir, I have sent breach of...

श्री अध्यक्ष : This is no point of order.

श्री मानिकचन्द सुराणा : I have sent "breach of privilege" motion,

श्री अध्यक्ष : Hon'ble Member can not raise this point through point of order. You may have sent any motion.

श्री मानिकचन्द सुराणा : All right. I withdraw my point of order but I can submit...

श्री अध्यक्ष : You cannot even submit.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपकी इजाजत लेकर निवेदन करना चाहता हूं।....

श्री अध्यक्ष : इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, कुछ आइटम्स के बारे में एरेटा इश्यू हो गया है और जिनके बारे में अभी एरेटा इश्यू नहीं हुआ है उनके बारे में क्या स्थिति रहेगी ?

श्री अध्यक्ष : This is no point of order.

मैंने अपनी व्यवस्था में साफ कहा है कि उसका कोई असर नहीं पड़ता है और कोई रह सकती हैं, लेकिन उनको अपने यहां बैठ कर तय नहीं कर सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बजट के फिगर्स और एप्रोप्रियेशन की टोटल्स में भिन्नता है....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि सदन को जो स्थगित किया गया था तो इन्हीं दो मुद्दों पर विचार करने के लिये स्थगित किया गया था। जो दो मुद्दे बहस में आये उनमें से पहला तो यह था कि जो डिमान्ड पास की है वह फीगर्स ठीक हैं या नहीं। दूसरा यह कि एरेटा को ध्यान में रख कर उन फीगर्स को कम या ज्यादा किया जा सकता है या नहीं, एप्रोप्रियेशन बिल में वही फीगर्स हैं जो डिमान्ड्स में, ग्रान्ट्स में पास किये गये हैं या और। इन्हीं दोनों बातों की जानकारी के लिये समय रखा था। वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन किया गया कि सारी स्थिति से अवगत करायें। माननीय सदस्य उनसे मिले भी, आपत्तियां बताई और बात-चीत की। उन्होंने कहा है। दोनों स्थितियां हैं उनमें मैंने जो व्यवस्था दी है वह ठीक है। इसलिये इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, आपकी आज्ञा को मान कर एप्रोप्रियेशन बिल के बारे में पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है जो सही है। वह यह है कि उन डिमान्ड्स में, जो सदन पास कर चुका, एरेटा इश्यू कर दिया जाय तो वह इफेक्टिव है या नहीं। बिक्री कर की डिमान्ड में सदन ने ५,५८६ हजार की मांग पास की। उसमें एरेटा से २८ लाख की कटौती कर दी है। ५५ लाख की डिमान्ड सदन ने पास की उसमें से २८ लाख दूसरे हैड में ट्रान्सफर कर दिया है और इसका नतीजा यह हुआ कि ५५ लाख की डिमान्ड पास की है उसमें एरेटा से २८ लाख की कमी कर दी है और एप्रोप्रियेशन बिल में जितने काम रहने चाहिये उतने काम नहीं रह कर एप्रोप्रियेशन बिल में ५५ लाख है। एरेटा का असर डिमान्ड पर हो गया और एप्रोप्रियेशन बिल पर नहीं। तो किसे सही समझा जाय; एप्रोप्रियेशन बिल में जो ला रहे हैं वह ठीक है या एरेटा में जो है वह ठीक है या डिमान्ड में जो हम पास कर चुके हैं वह ठीक है ? किस प्रोसीजर को एडोप्ट

(श्री भैरोंसिंह)

करें ?

श्री अध्यक्ष : मैं बहुत विस्तार से अपनी व्यवस्था दे चुका हूं। एरेटा और डिमान्ड्स को इक्वेट न करें। इसका इस पर क्या असर पड़ता है, यह हमें नहीं देखना चाहिये। जो मांगें पास की हैं वही सदन के सामने एप्रोप्रियेशन बिल में आ रही हैं, एरेटा का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संक्षेप में मैंने जो व्यवस्था दी ठीक है, उसीके अनुसार चलना है।

(११.४० म. पू.)

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२
(विचार–विमर्श)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० २) बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष आज बहुत वादविवाद के बाद यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, इस पर आपने व्यवस्था दे दी है उस व्यवस्था को मान्य करते हैं; फिर भी अर्ज करना चाहता हूं कि एक बजे तक का समय था, इसमें और भी खामियां हो सकती हैं, जैसा कि आपने कहा, तो उन त्रुटियों को समझ कर बहस कर सकें इसके लिए और समय मिलना आवश्यक है....

श्री अध्यक्ष : विरोधी पक्ष के चीफ व्हि को सुन लीजिये पहले।

श्री मानसिंह महार : माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष आज कई दिनों के वाद–विवाद के बाद बजट की बहस का यह अन्तिम दौर चालू हुआ है। इस समय मैं अपने विचार जाहिर करते हुए दु:ख प्रकट करता हूं कि भारत के आजाद होने के बाद आज तक देश के अन्दर, देश की अर्थ-व्यवस्था के अन्दर किसी प्रकार का क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं आया है। दु:ख की बात है कि आजादी के पहले जिस प्रकार के मद हमारे सामने थे उसी प्रकार का बजट का ढर्रा हमारे सामने चला आ रहा है, वही शराब पर टैक्स वगैरह; कोई नई बात नहीं है। उन्हीं बातों पर यह सरकार चलती है। मैं हमारे यहां के दो–तीन विशेष विभागों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। उनमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग जनरल एड–मिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट है। उसके बारे में मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, इस सदन को कि इस विधान सभा को कायम हुए दस वर्ष से अधिक हो गये, यहां हमारी सबसे बड़ी मांग यह रही है कि राजस्थान में तहसीलों का और जिलों का सही ढंग से पुनर्गठन होना चाहिये। यह छोटी सी बात है, इसकी ओर सरकार कोई ध्यान नहीं देती। मैं निवेदन करूं कि जयपुर जिला इतना बड़ा जिला है कि इसके अन्दर विधान सभा की सीटें १७ हैं और इस राजस्थान में कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें कहीं विधान सभा की दो सीटें हैं, कहीं तीन हैं। मैं निवेदन करूं कि हमको इस ओर ध्यान देना चाहिये और डिस्ट्रिक्ट्स का, तहसीलों का डिमार्केशन करना चाहिये। यह बहुत महत्व-पूर्ण विषय है। मैं नहीं समझता कि जनरल

(श्री मानसिंह महार)

एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इस छोटी सी बात के लिए दस वर्ष कैसे लग गये। इस छोटी सी चीज पर पोलिटिकल दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। हमारी ज़मवा रामगढ़ और आमेर तहसीलें तो इतनी बड़ी तहसीलें हैं कि राजस्थान की तीन-चार तहसीलों के बराबर हैं। उनको डिमार्केट करके छोटे रूप में परिणत नहीं किया जाता। या तो आबादी के लिहाज से डिमार्केशन कर लेना चाहिये या एरिया के लिहाज से; दोनों लिहाज से डिमार्केशन किया जाय तो अच्छा रहेगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में दूसरा मसला प्रोमोशन्स का है। मैं निवेदन करूं कि हमारे यहां आज तक जितने प्रोमोशन्स हुए हैं, हैफहेज़र्ड–वे में हुए हैं। इस सम्बन्ध में डिटेल्स सदन के समक्ष सदन की मेज पर रखूं तो आप देखेंगे कि कई आदमी ऐसे हैं जिनको अपोइन्टमेंट के दो महीने बाद ही प्रोमोशन्स मिल गये। जिनका किसी से लगाव होता है तो राजस्थान में येन–केन प्रकारेण उनको प्रोमोशन्स मिल जाते हैं। जिन लोगों की बीस–बीस, पच्चीस–पच्चीस वर्ष की सर्विस है, जो जयपुर स्टेट के समय में एस. डी. ओ. थे, उन लोगों को आइ. ए. एस. में कोई चान्स नहीं दिया गया और जो उदयपुर डिवीज़न में नायब तहसीलदार या तहसीलदार थे उनको प्रोमोशन्स मिले आज वे आइ. ए. एस. अफसर हैं और जयपुर स्टेट के समय में जो एस. डी. ओज़. थे वे आज आर. ए. एस. में बैठे हुए हैं। कहने को कहा जाता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन आते हैं और वे प्रोमोशन देते हैं; पर तरकीब यह की जाती है कि जिनको आइ. ए. एस. में प्रोमोशन नहीं दिलाना होता है उनका सर्विस रेकॉर्ड ही यहां रख लिया जाता है, उनकी अच्छी इन्ट्रीज को नहीं भेजा जाता केवल बेड एन्ट्रीज़ को भेज देते हैं; धोखा देकर इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है। तो माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि इस विभाग की जो प्रोमोशन की नीति है उसको स्पष्ट और निष्पक्ष करना चाहिये।

तो तहसीलों, सब–डिवीजनों का और डिस्ट्रिक्ट्स का डिमार्केशन करना है, नये तरीके से चलाना है, इस ओर ध्यान देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस महकमे में यहां तक हुआ है कि आमेर तहसील को चौमू शिफ्ट करने की बात चली। चौमू में तहसील के लिये मकान भी किराये पर ले लिया गया। एक साल तक बेकार में ही उस मकान का किराया दिया गया, पर तहसील वहां पर शिफ्ट नहीं हुई। हमारी मांग थी कि तहसील तो चौमू में शिफ्ट कर दी जाय और एस.–डी. एम. आमेर में रखा जाय, पर यह सरकार इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। एक साल तक मकान का किराया चौमू में देकर सरकार को फिर उस मकान को छोड़ना पड़ा। ये सारी बातें पोलिटिकल कन्सीडरेशन पर होती हैं। तो हमें कहना पड़ता है कि इस प्रकार की गलत कार्यवाहियां नहीं होनी चाहिये।

दूसरी मद जिसके बारे में मैं निवेदन करूंगा वह है इलेक्शन्स। इलेक्शन्स के खर्चे के बारे में मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं उनके बारे में

(श्री मानसिंह महार)

कुछ अधिक तो नहीं कहना चाहता और मैं ज्यादा कहूंगा भी नहीं, लेकिन मैंने इस सदन में एक स्पेसिफिक मांग रखी थी मालपुरा के एस. डी. एम. के बारे में। उस मुद्दे को ऐसी तरकीब से साइडट्रेक किया गया, टाला गया कि जिसकी कोई हद नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज भी मैं इस बात के लिए सदन में चैलेन्ज करता हूँ कि मालपुरा के एस. डी.-एम. जब धोलपुर में एस. डी. ओ. थे उस समय चावल की मोटरों के परमिट दिये जाते थे तो उन्होंने गलत परमिट इश्यू किया। यू. पी. की सरकार राजस्थान की सरकार को आज भी लिख रही है और कह रही है कि एस. डी. एम. से जांच करके भेजिये या उनको हमारे पास भेजिये। मुख्य मंत्रीजी ने इसको इस तरकीब से टाल दिया कि बुलाने का वारन्ट नहीं है। लफ्जों पर नहीं टाला जाना चाहिये। सरकार को यह अच्छी तरह से मालूम है कि यू. पी. सरकार से सैकड़ों चिट्ठियां राजस्थान सरकार के पास आयी हैं। यदि बराबर की गवर्नमेंन्ट और पड़ौसी सरकार अपनी पड़ौसी सरकार के आदमी को बुलाने के लिए चिट्ठी भेजे तो मैं उसको गिरफ्तारी के वारन्ट से भी ज्यादा अहम चीज मानता हूं। मुख्य मन्त्रीजी ने इसको जिस प्रकार से टाल दिया उनको इस चीज को टालना नहीं चाहिये, यह उनके लिए शोभा की चीज नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : रूल १५४ के अनुसार एप्रोप्रियेशन बिल के समय पुराने पोइन्ट्स नहीं, नये पोइन्ट्स लाने चाहिये। वह पोइन्ट यहां एजीटेट हो चुका उसको नहीं उठाया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): इसको पहले अच्छी तरह से पढ़ लें। जो पोइन्ट्स कट मोशसन्स और डिमान्ड के समय उठाये जा चुके हैं उनको नहीं लाया जा सकता लेकिन जो पोइन्ट्स गवर्नर के एड्रेस पर उठाये गये थे उनको एप्रोप्रियेशन बिल के समय रेफर करने के लिये आप नहीं रोक सकते।

श्री मानसिंह महार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र की तो इस प्रकार पोइन्ट्स ऑफ ऑर्डर रेज़ करने की आदत ही पड़ गई है। मैं नहीं कहता और उस ओर किसी प्रकार का ध्यान न देते हुए अपनी बात जारी रखूंगा। सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की चीजें होती हैं तो उसको और उनको ध्यान देना चाहिये। यह बात नहीं होनी चाहिये कि उसको टालने की कोशिश की जाये। विधान सभा में बात करते हैं तो यह चाह करके कहते हैं जिससे न्याय की दृष्टि से देखा जाय।

तीसरी चीज़ मैडिकल एण्ड हैल्थ के लिए अर्ज करूं। मैडिकल एण्ड हैल्थ एक बहुत ही अहम मसला है। राजस्थान में कई प्रकार की बीमारियां चलती हैं। आज अस्पतालों की व्यवस्था बहुत ही असंतोषजनक है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि अस्पतालों में जिस प्रकार का व्यवहार मरीजों के साथ किया जाता है वह बहुत ही दुखपूर्ण है। अगर मेडिकल एण्ड हैल्थ मंत्री और कोई सदन के माननीय सदस्य इस चीज को देखना चाहें तो किसी दिन वे सवाई मानसिंह अस्पताल

Page No.54

(श्री मानसिंह महार)

में चले जायें तो वे वहां पर देखेंगे कि मरीजों के साथ जो प्रेम और सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार होना चाहिये वह नहीं होता है, मरीजों को किस प्रकार लाइन में लगना पड़ता है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। कल के अखबार में मैं दिल्ली के अस्पतालों की बात पढ़ रहा था। जयपुर में इस प्रकार की चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिये। अस्पताल में अगर एक गरीब भरती होता है, अमूमन जनरल वार्ड में भरती होते हैं जो कि दवाइयों के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, आप देख लीजिये कि १०० में से ६० लोग ऐसे हैं जिनको बाहर से दवाइयां लानी पड़ती हैं और पैसा न होने के कारण खरीदने के लिए वे महरूम रह जाते हैं। पैसा नहीं होता। सरकारी अस्पताल होते हैं, जनरल वार्ड होता है, उनमें भी जो मनोवृत्ति चली है कि प्रेस्काइब करके चिट्ठी दे दी जाती है कि बाजार से ले लो। इसलिए मेडिकल के दूसरे खर्चे में कटौती कर देनी चाहिये और दवाइयों की मद में इतना रुपया जरूर रखना चाहिये कि जनरल लोगों को बाहर से दवाई न लानी पड़े। मैं आपको एक ताजा मिसाल देता हूं। मेरे गांव के एक गरीब बच्चे का हाथ टूट गया। चार रोज पहले की बात कह रहा हूं। वह यहां आया अस्पताल में। उसको २०), २५) रुपये का नुस्खा पकड़ा दिया। उसका बाप रोता रोता आया मेरे पास और बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करूं, २५) रु० के इन्जेक्शन व दवा लिख दी है। वह मेरे गांव का था। मैं यहां रहता था, मैं उसको रेडिली अवेलेबल हो गया। मैंने कुछ रुपया दे दिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद): This is a point through which he is advocating his personal cause and I would like to invite Hon'ble Speakers' attention to rule 154:

"(4) The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been rsised while the relevant demands for grants were under consideration.

(5) The Speaker, may, in order to avoid repetition of debate, require members desiring to take part in discussion on an Appropriation Bill to give advance intimation of the specific points."

These are personal points of which advance intimation to the Speaker is necessary, otherwise there will be no discrimination between debate on Appropriation Bill and cuit motions. Therefore, Sir, he can speak on matters of policy only. He cannot speak on personal points.

श्री अध्यक्ष : Some sort of clarification may be permitted.

श्री मानसिंह महार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझा कि मेरे मित्र की वॉकुबलरी में मेरी बात कैसे नहीं दिमाग में चढ़ी। मैं तो एक पॉलिसी की बात ही निवेदन कर रहा हूं कि अस्पताल की और मदों पर खर्चा होता है उसको कम कर दिया जाय और दवाइयों पर अधिक खर्चा किया जाय। मैं नहीं समझा कि यह पॉलिसी का

(श्री मानसिंह महार)

मैटर कैसे हुआ ? यह समझा देते तो मैं समझता ।

अध्यक्ष महोदय, अब एक अहम मसला निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आयुर्वेद को अलग कर दिया गया । कुछ चीजों में भी बहुत महत्वपूर्ण अन्तर है । आज हमारे देश में हमारी प्रणाली है उसको देखते हुए आयुर्वेद को हमको बहुत अहमियत देनी पड़ेगी । अगर आयुर्वेद को अहमियत देना है तो मेडिकल को एक तरफ रख कर आयुर्वेद और हैल्थ को साथ करना पड़ेगा तब ही पार पड़ेगो । मेडिकल एन्ड हैल्थ बना कर आयुर्वेद को अलग रखना मैं एक घातक चीज समझता हूं । यदि आयुर्वेद को तरक्की देना है तो मेडिकल और हैल्थ पर खर्चा होता है तो वह आयुर्वेद के अ होना चाहिये । क्यों होना चाहिये ? मैं निवेदन करूं कि आयुर्वेद ऐसा विज्ञान है, मैं आपको सही निवेदन करूं कि कई महत्वपूर्ण बीमारियां ऐसी हैं जो मेडिकल साइन्स और दवाइयां ठीक नहीं कर सकी हैं वे आयुर्वेद द्वारा ठीक की गई है । यदि आयुर्वेद का ठीक ढंग से डेवलपमेन्ट करें और बड़ी २ लेबोरेटरीज़ खोलें और काफी पैसा खर्च करें तो जिस प्रकार से कैंसर को ही ले लीजिये आज आयोडीन के अलावा, बम्बई, कलकता गये बगैर और कोई चारा नहीं है । आयुर्वेद में कई ऐसी दवाइयां हैं, जड़ी-बूटियां हैं और उनका 'ठीक प्रकार से अनुसंधान किया जाय तो कैंसर को वे ठीक कर सकती हैं । इसके मरीजों को कलकता और बम्बई जाने की जरूरत नहीं होगी और वे राजस्थान में ही इलाज करा सकेंगे । हैल्थ के सिलसिले में जितनी शोध होती है वह मेडीकल के द्वारा होती है । जो डीस्कवरीज़ होती हैं उधर भी होती हैं । आयुर्वेद को बढ़ाना चाहिए और आयुर्वेद में इस प्रकार की नयी २ चीजें खोलनी चाहिये जिससे सही माने में लाभ उठा सकें । यही नहीं, मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, कि आयुर्वेद का महकमा ही ऐसा है कि १२ बजे के वक्त यह आता है । मैं क्या करूं ? आज आयुर्वेद में इतनी कम तनख्वाह मिलती है जैसे मेडिकल के एक कम्पाउन्डर को मिलती है । मैं आप से सही निवेदन करता हूं कि हमारी देशी पद्धति का इस सरकार के सामने भी इतना भारी अपमान है जिसकी कोई हद नहीं । कम से कम आयुर्वेद के वैद्य आदि हैं । किसी प्रकार बढ़ा कर इस प्रकार नीचे नहीं गिराना चाहिये ।

अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मसले की ओर आता हूँ, हालांकि मंत्री महोदय हैं नहीं; राजस्थान के फोरेस्ट्स की तरफ आता हूं । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने राजस्थान के इन्टीग्रेशन के बाद इलाके की फोरेस्ट वैल्थ को खत्म कर दिया । जहां बड़े बड़े जंगल थे वे सब काट दिये गये । दस लाख की कीमत के जंगलों को लाख-पचास हजार रुपया लेकर कटवा दिया गया और कहा यह जा रहा है कि हम इतने हजार एकड़ में अफॉरेस्टेशन करवा रहे हैं । कभी पुराने जमाने में व्यासजी ने हवाई जहाज से बीज पटके थे । आज हमारी सरकार जंगलों को सुरक्षित नहीं रखती है । यह प्रान्त जिसका ज्यादातार भाग रेगिस्तान है, यही नहीं यह रेगिस्तान बढ़ते बढ़ते आगरे तक पहुंच गया है; उत्तर प्रदेश के लिये भी यह हैडेक बनता जा रहा है और राजस्थान का रेगिस्तान इधर भी बढ़ता जा रहा है, ऐसी

(श्री मानसिंह महार)

हालत में सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार की जो इन्डिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ फोरेस्ट की पॉलिसी है उसको बदलना चाहिये फोरेस्ट हर प्रान्त के लिये और खास तौर से हमारे राजस्थान जैसे रेगिस्तानी प्रान्त के लिये बहुत ही आवश्यक चीज है। यह कह देना कि फलां जंगल को काट कर खेतो योग्य बना रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। हमको जंगल रखना है। हमारे इलाके में पहाड़ बहुत हैं, उन पर जंगलों को डेवलप किया जाय, बहुत अच्छे जंगल डेवलप हो सकते हैं। इससे एक तरफ कोयले की समस्या, लकड़ी की समस्या हल होगी तो दूसरी तरफ हमारे प्रान्त में वर्षा जो कम होती है वह भी बढ़ेगी। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जंगलों को अधिक तादाद में न काट कर उनको बढ़ाया जाना चाहिये। कई पहाड़ आज वीरान हो गये हैं वहां नये फोरेस्ट लगायें जाने चाहिये। इस तरह से नये फोरेस्ट लगाकर हमारे प्रान्त में जो वर्षा कम होने की बात है उसको हम घटा पायेंगे। इसलिये मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

पी० डब्ल्यू० डी० के बारे में ज्यादा निवेदन न करके यही कहूंगा कि काम मे थोड़ी तेजी लाने की कोशिश की जाय। आज पी० डब्ल्यू० डी० में सबसे बड़ा काम है ठेका तो ले लिया जाता है लेकिन ठेकेदार उसको जल्दी पूरा नहीं करते, लिंगर ओन करते जाते हैं। कुछ विशेष सीज़न ऐसे आते हैं जिनमें लेबर सस्ता मिलता है और कई जगह जहां पानी की दिक्कत होती है ठेकेदार लोग पानो नहीं मिलता, इस बिना पर ठेका तो महंगा ले लेते हैं लेकिन उसकी शुरूआत कराते हैं बरसात के दिनों में जब कि पानी की बहुतायत होती है। इससे सरकार को तो कुछ फायदा नहीं होता लेकिन ठेकेदार को जरूर फायदा हो जाता है। यही नहीं जैसा कि हमारे इलाके के अन्दर ठेकेदार लोग कर रहे हैं छोटी छोटी पुलियों को बनाने का ठेका तो लेते हैं, लेकिन आठ-आठ महीने, दस, दस महीने तक आम रास्ता बन्द कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं नींदड़ की घाटी, का वहां जाने के लिये दस मील का चक्कर लगा कर जाना पड़ता है। आमेर तहसील में इस घाटी को बनते हुए दस महीने हो गये लेकिन ठेकेदार लोग ख्वामख्वाह इसको लिये हुए बैठे हैं।

अब मैं एग्रीकल्चर विभाग के बारे में आता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विभाग है जो राजस्थान की सही मायने में उन्नति कर सकता है। अगर आप राजस्थान को सही मायने में उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं तो वह एक ही महकमा है एग्रीकल्चर का जिसके द्वारा राजस्थान की उन्नति हो सकती है। मैं कृषि विभाग और एनिमल हस्बेन्डरी विभाग दोनों को साथ में लेकर निवेदन करना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर में हमारा बहुत पैसा खर्च हो रहा है। सही बात यह है कि समय पर पंचायत समितियों को बीज नहीं मिलता और मिलता है तो उस बीज पर आप इतनी बाड़ी लेते हैं जिसके कारण लोग लेना पसन्द नहीं करते।

(१२.५ म.प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

(श्री मानसिंह महार)

बीज ऐसी जगह से लिया जाता है जो ऑर्डिनेरी बीज होता है। १००-१००, २००-२०० मन बीज थर्ड ग्रेड का ले लिया जाता है। पहले भी जालोर में भैंसवाड़ा ठाकुर से लिया गया था। हमारे यहां की पंचायत समिति गोविन्दगढ़ है वहां पर रद्दी बीज लिया गया। अच्छे बीज के नाम पर चेयरमैन महोदय, हमारी सरकार क्या करती है कि मार्केट रेट्स से दो रुपया, तीन रुपया मंहगा बीज बाजार से खरीदती है। जहां आप मार्केट रेट से ज्यादा दाम देते हैं वहां उतना ही अच्छा बीज होना चाहिये, नहीं तो कोई वजह नहीं कि आप ज्यादा पैसा दें। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि बीज मार्केट से खरीद कर जो बीज वितरण करने की नीति है वह सरकार की सरासर गलत है और इसके अलावा बीज पर बाढ़ी न ली जाय। आप अपने फार्म से बीज दिलवायें। वहां से बीज दिलवा कर बाढ़ी मत लीजिये। अगर आपको उन्नत खेती करानी है तो आप उनको लालच दीजिये और बिना बाढ़ी के दीजिये। उसके ऐवज में आप उनसे बीज लीजिये। उससे कई फायदें होंगे। वह न करके यह किया जाता है कि जहां मार्केट में गेहूँ का भाव २०) रुपया मन है तो आप तेबीस रुपया मन पर खरीदते हैं। इस तरह से अपने आप महंगा पड़ता है और इस तरह से आपको पांच सेर बाढ़ी का लेना पड़ता है अपने घाटे की पूर्ति करने के लिए। बाढ़ी से बीज वितरण करने की जो पॉलिसी है वह भी गलत है। कृषि विभाग के बारे में मैं इतना ही निवेदन करूं कि यह विभाग सही मायने में काम करे तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। इस विभाग के द्वारा गांवों में हिन्दी में पेम्फलेटस् बँटवाये जाने चाहिये। सभापति महोदय, १९३५ में जब मैं इन्दोर में था मैं एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट के पास रहा था। वहां क्या करते थे कि वे लोग पास के गावों में हिन्दी में पेम्फलेट्स छपवा कर बांटा करते थे कि यह हमने नया अविष्कार किया, इस तरह से खेती बोने से ये फायदे हैं, इस तरह से नये नये औजार काम में लाने चाहिये, इत्यादि बातों का उन पेम्फलेट्स में जिक्र होता था। यह बात १९३५ की है। लेकिन हमारा कृषि विभाग १९६२ में भी इस ओर बिल्कुल मौन है। हमारे कृषि विभाग में जो भी आविष्कार किये जाते हैं अच्छे प्रकार के गेहूं या बीजका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिये, इसका गांव के लोगों को पता तक नहीं चलता। इसलिए मेरा निवेदन है कि हर पंचायत समिति को उन्नत बीज से खेती करने के तरीके आदि बातों को लेकर पेम्फलेट्स छपवायें जाय और एक एक पंचायत समिति को दस-बीस हजार की संख्या में दिये जायं ताकि वे अपने क्षेत्र में हर जगह बंटवा सकें ताकि उनको मालूम हो कि हमारा कृषि विभाग क्या कर रहा है। करोड़ों रुपया हम इस विभाग पर खर्च कर रहे हैं वह किसी काम में नहीं आता है। कृषि विभाग के लिये निवेदन करूं, नये औजारों के लिए और ट्रेक्टर्स के सुधारने के लिये वर्कशॉप तो कायम कर दिया गया। उसमें जाकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें लाखों का भ्रष्टाचार है। लाखों रुपयों की उसमें खायगी है। इस डिपार्टमेंट का काम किस तरह से उस वर्कशॉप में होता है यह वहां जाकर ही मालूम हो सकता है।

एनीमल हस्बेन्डरी के लिये मैं क्या

(श्री मानसिंह महार)

निवेदन करूं इसके अन्दर जो भी पैसा लगाया जा रहा है उससे गांव वालों को किसी भी प्रकार से लाभ नहीं पहुंचा है । माननीय चेयरमेन महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जब जानवरों के इलाज के लिये डिस्पेन्सरी खोलने का तकाजा आता है तो हमारी सरकार आमेर जैसे गांव में, जयपुर के गांधीनगर जैसे इलाके में डिस्क्रिमिशन करती है । गांधीनगर में तो जानवरों की डिस्पेन्सरी होनी चाहिये, लेकिन आमेर में आपने डिस्पेन्सरी नहीं की है ।

क्योंकि वहां के काश्तकार कहीं लाभ न उठा लें । गांधी नगर में तो होना ही चाहिये क्योंकि चेयरमैन महोदय, कई मंत्रियों के रिश्तेदार वगैरह वहां रहते हैं । एक-आध गाय रखते हैं तो उनकी गायें बड़े अस्पताल में गन्दी मोरी तक आ जावे तो बहुत कष्ट होता है । पर आमेर का किसान जयपुर अस्पताल में अपने जानवर लेकर आवे तो उसको कष्ट नहीं होता । तो सरकार ने जयपुर शहर में जानवरों की इतनी डिस्पेन्सरीज़ खोल दीं । हमारे गंगापोल में हैं । इसकी हालत देख लीजिये । कितने बीमार जानवर आते हैं ? नहीं मानें तो देख लें । आमेर और गांधी नगर में कम्पीटीशन सा चल रहा है । इसमें आमेर को जरूर मद्देनजर रखियेगा और आप डॉक्टरों को, सही निवेदन करता हूं विदेशी विभागों से ट्रेनिंग देकर लाते हैं, वे तो लीजिये, इन्कार नहीं करता, पर अगर देश में-अपने देश में, मारवाड़ में, शेखावाटी में, हमारे उधर देशी इलाज करने वाले इनके होते हैं वे इतने बड़े बड़े काबिल होते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है । आपकी डॉक्टरों की दवाइयों से वे ठीक नहीं होते । मैं बताऊं रिन्डरपेस्ट का टीका लगाया गया गत साल । तो हमारे यहां दूध देने वाले जितने पशु थे उनमें से ८० प्रतिशत दूध देने से रह गये और कम से कम दो पर्सेन्ट तो जान से मर गये । न मालूम दवाई में क्या खराबी थी । आप चाहें तो जांच करवा लीजिये । दुबारा वहां रिन्डरपेस्ट लगाने वाली टीम आई तो लोगों ने टीके नहीं लगवाये । जब विकास अधिकारी ने अपील की तो हमने कहा कि यह हालत है । लोग हम सरपंचों को और पीटेंगे अगर आप यह कहते हैं तो । अगर टीम वाले उनके पास चले गये तो आफत आ जावेगी । कहा, साहब गलती हो गई । दवा कुछ पुरानी आ गई थी पहले । एक आदमी भैंस खरीदता है, तो पांच सौ रुपये की खन्दी लेकर देता है और उसको पचास रुपया माहवार किश्त के रूप में देना पड़ता है । अब उस बेचारे की भैंस आपकी उस पुरानी दवा से मर गई या उसका दूध सूख गया तो वह तो खत्म हो गया । तो गरीबों की ओर ध्यान दीजिये आप । रिन्डरपेस्ट का टीका अमेरिका में चल गया तो हिन्दुस्तान में भी आंख मीच कर चालू किया जावे, यह यह कोई समझदारी की बात नहीं है ।

आप ऊंट के लिये ले लीजिये । इसमें हमारा राजस्थान क्या कम माहिर है इलाज में ? आप उनमें से एकाध को नौकर रखिये ताकि ऊंट का इलाज यहां के एटमोस्फियर में वह ठीक कर सके । इसी तरह गायों, भैंसों के भी इलाज करनेवाले हैं गांवों में । जो इस तरह की दवाइयां, टीके जो दें उन डॉक्टरों को मत रखिये । उनकी दवाइयों का अनुसन्धान करिये, डेवलप करिये । आपको मालूम होना

(श्री मानसिंह महार)

चाहिये कि अमेरिका और इंगलैंड से पशु-धन की रक्षा के तरीकों में हम किसी प्रकार कम नहीं हैं। तो इन चीजों की ओर भी आप ध्यान दीजिये और जो आपके दवाखाने खोले जावें उनको दस-दस, बीस-बीस गांवों के समूह में खोलिए। यह नहीं कि एक गांव आपके किसी विशेष कृपा-पात्र के लिये महत्वपूर्ण है तो वहां खोल दिया। यह गलत परिपाटी है। इसकी ओर नहीं जाना चाहिये आपको।

कोऑपरेटिव के बारे में तो बहुत थोड़ा कहना चाहता हूं। क्या कहूं? इसको तो मैं महकमा ही नहीं मानता। मैं तो आज भी दावे के साथ कहता हूं, कोऑपरेटिव के मन्त्रीजी से कहता हूं कि कोऑपरेटिव का तो कोई महकमा ही नहीं है राजस्थान में। जो आप यह डींग हांकते हैं कि हमारे यहां इतनी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, इतनी यहां हैं, इतनी वहां हैं, मैं आज फिर आपको सदन में चैलेन्ज देकर कहना चाहता हूं कि आपकी ९० परसेन्ट कोऑपरेटिव सोसायटियां बोगस हैं। आप मेरे साथ चलिये। मैं एक एक को बता कर यह साबित कराऊंगा कि हर कोऑपरेटिव सोसाइटी में पचासों तरह की खराबियां, गफलतें और सरकारी रकम का दुरुपयोग है। इसके लिए तो इतना ही कहूँगा। आप कहते थे तो मैंने एक पर्टिक्यूलर केस दिया और मैंने कहा साहब, सही जांच आप करना चाहते हैं तो ये दो आदमी कोऑपरेटिव में मौजूद हैं उनकी मौजूदगी में आप इसकी जांच कराइयेगा, वर्ना मेरे से कोई रेकॉर्ड वगैरह मत मांगना। बोले, "मैं अपने लेवल पर जांच कराऊंगा।" उनकी जांच हो चुकी है, पर वे जो दो आदमी जिसके लिये मैंने बताया था कि ये सब मुद्दे आपको बतावेंगे उनको आज तक नहीं पूछा गया। जो गलतियां उसमें थीं, गबन था; सब दबा दिया गया और वह कोऑपरेटिव वैसी की वैसी फंक्शन कर रही है। यह आपके मन्त्री के लेवल की जांच का नमूना है। अधिक कह कर क्या करूं? मैं तो कहता हूँ कि इस महकमे तो खत्म कर देना चाहिये या इसको रिवोल्यूशनराइज़ करना चाहिये। कोई दूसरे तरीकों से काम करिये।

बाकी तो यह कोऑपरेटिव का महकमा कोई महकमा नहीं है राजस्थान में, मैं यह दावे के साथ कहता हूँ। जयपुर की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में दो डाइरेक्टरों का चुनाव हुआ। मैं भी वहां पर चला गया, तो मैंने कहा इन डाइरेक्टरों के चुनाव में वोटर्स कौन कौन हैं उसकी लिस्ट तो बता दीजिये। तो वोटिंग ७ बजे होना था उसके दो घंटे पहले चार बजे तक लिस्ट नहीं बनती हमारे यहां; कहा गया जो चले जावेंगे उनमें छांट कर वोट लग जावेंगे। यह हालत है आपकी कोऑपरेटिव की जिस पर आप डींग भरते हैं। हमारे एक सदस्य तो ट्रेनिंग लेने अमेरिका भी घूम आये हैं। तो मैं कहता हूँ, कोऑपरेटिव के मामलों में आप अमेरिका तो क्या, इंगलैंड भी क्या अफ्रीका के घाना से भी मुकाबला नहीं कर सकते। मैं कहूं यह तो राजस्थान के लिए एक शर्म की बात है। राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन में यह कोऑपरेटिव का डिपार्टमेन्ट एक कलंक का डिपार्टमेन्ट है। मैं यह कहता हूँ कि अगर इस डिपार्टमेन्ट को आप सही ढंग पर नहीं लावेंगे तो राजस्थान की उन्नति नहीं हो सकती। हमारा करोड़ों रुपया आप बरबाद कर रहे हैं और इसके लिए डाइरेक्टली एग्री–

(श्री मानसिंह महार)

कल्चर मिनिस्टर रेस्पोन्सिबल हैं । आपने अगर इस विभाग को नहीं सुधारा तो आपको इस महकमे को छोड़ देना चाहिये । या तो वे कोई सक्रिय कदम उठावें अगर उठा सकें तो, नहीं तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है ।

अब मैं अपना कथन सोशियल वैलफेयर मन्त्री की तरफ उपस्थित करता हूँ ।

श्री सभापति : आप मन्त्रीवाइज़ प्रोसीड करेंगे क्या ?

श्री मानसिंह महार : इस महकमे से मुझे विशेष प्रेम है और इसके जो मन्त्री हैं वे भी इसमें बड़ी रुचि रखते हैं । वे गांधीजी के अनुयायी हैं, बड़े भक्त हैं । गांधीवाद को माननेवाले हैं, और गांधीवाद में तो सोशियल वैलफेयर एक बड़ी चीज है । गांधीवाद का सबसे बड़ा सिद्धांत ईमानदारी है । अगर माननीय मन्त्रीजी, जो अपने को गांधीजी के अनन्य भक्त मानते हैं, इस सिद्धान्त को शिरोधार्य रख कर सोशियल वैलफेयर और खादी-बोर्ड के काम में चलें तब तो यह गांधीवाद है, वर्ना मैं तो इसको कंसवाद मानता हूँ ।

मैं निवेदन कर दूं कि सोशियल वैलफेयर के अन्दर जितना भी पैसा दिया जाता है वह बहुत पक्षपातपूर्ण तरीके से दिया जाता है । आज फिर मैं यह दावे के साथ कहता हूँ, इस महकमे के बारे में कि गरीब आदमी जिनको इस महकमे से जरूरत है उनको पैसा नहीं मिलता । आप जांच कर लीजिये अगर मैं ठीक नहीं कहता होऊं तो । और इस जांच में आप हमको एसोसियेट करिये । हम आपको बतावेंगे कि पैसा कैसे और किनको दिया जाता है । आपको एक उदाहरण बताता हूं । ५७ तक जब मैं एम. एल. ए. था हमारी कॉन्स्टीट्यूएन्सी का एक आदमी मेरे पास आया । मेरे बच्चे के लिए स्कॉलरशिप चाहिये, कहने लगा । कहा, आप इस पर साइन कर दीजिये मेरे फॉर्म पर । मैंने कहा यह तो ३००) रु० से कम आमदनी वालों के लिए है, तुम्हारी तो ३००) रु० से अधिक है, यह कैसे मिलेगी ? कहा उसने कि आप तो बस साइन कर दीजिये, वह तो मैं देख लूंगा बाद में । मैंने कहा, मैं तो यह लिखूंगा कि इसकी ३००) रुपये की आमदनी है । उसने कहा, "हां, तीनसौ लिख कर ही साइन कर दीजिये, मैं ले लूंगा ।" मैंने लिख दिया, "The income of this person is three hundred Rupees per month" लिख कर साइन कर दिया । मैं नहीं जानता उसने किस तरह से मेनियुलेट किया । पर यह सही निकला कि उसने अपने बच्चे के लिए स्कॉलरशिप ले ली ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मन्त्री) : नहीं मिली ।

श्री मानसिंह महार : मिल गई । नहीं कैसे मिलेगी ? आप जैसों की सिफारिशें जहां मौजूद हों वहां । फिर नहीं मिलेगी, यह कैसे हो सकता है ? यही तो आपके राज्य में अन्धेरगर्दी है । जितने आपके बोर्डिंग हाउसेज़ हैं, आप हमारे साथ चलिये, हम आपको बतावेंगे । हम चाहते हैं कि मीणों का उत्थान हो, पर उत्थान से मतलब यह तो नहीं कि जिनका उत्थान हो चुका, जो लखपति हैं, जिनके पांच, पांच सौ रुपये महीने की इन्कम है उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दें और जिन गरीबों के बच्चे आज तड़पते हैं शिक्षा पाने के लिये

Page No.61

(श्री मानसिंह महार)

वे पा नहीं सकते पैसे के अभाव में, उनको आप कोई स्कॉलरशिप नहीं दें। यह अन्धेर-गर्दी नहीं तो और क्या है? आप क्या कहेंगे इसे! मैं आपको पचासों बच्चे ऐसे बताऊं गरीबों के जो बड़े ही ब्रिलियेन्ट हैं, पर आपके महकमे से उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती क्योंकि उनके कोई 'पुल' नहीं है। आपके यहां तो आज 'पुल' चाहिये। 'पुल' के बिना किसी का काम नहीं होता।

आपके डाइरेक्टर महोदय भी इसी प्रकार के हैं। बातों में तो रेशम के लच्छे हैं, पर काम करने की बात आवेगी तो किसी मन्त्री की सिफारिश होगी तो जरूर उसका काम कर देंगे, बाकी अगर कोई गरीब के लिये हम जैसे ईमानदार आदमी कहेंगे तो वह डिस्क्वालि-फिकेशन बन जावेगी उस गरीब के लिये। (हंसी) मैं आपको सही कहता हूँ। यह हंसने की बात नहीं है। आज गांधीवाद के नाम पर रोना चाहिये, हंसना नहीं चाहिये। गांधीवाद की हत्या कर रहे हैं आप ऐसी बातें करके कि सोशियल वैलफेयर विभाग में भी सिफारिशें चलती हैं।

आपको गरीबों का उत्थान करना है तो गरीब से गरीब और ब्रिलियेन्ट को स्कॉलरशिप दीजिये, योग्य से योग्य गरीब के बच्चे को दीजिये। पर यह क्या, आज तो कांग्रेस के चीफ व्हिप की चिट्ठी चली गई कि पांच भीलों के बच्चों को चूंकि इन्होंने हमारे इले-क्शन में मदद दी, स्कॉरशिप दे दीजिये और आपने दे दी।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : On a point of order, Sir, I take objection, Sir. Mr. Chairman, this is a direct attack on the Chief whip.

श्री मानसिंह महार : मेरे मित्र को बुरा लगा तो मैं अपनी बात को पीछे लेता हूं....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : The Hon'ble Member may be asked to withdraw his expression.

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य सचेतक) : मैंने कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी और न किसी को कुछ कहा है। I challenge it.

श्री सभापति : उन्होंने अपने शब्दों में वापिस लिया है।

श्री मानसिंह महार : मैं उस लाइट में कहना चाहता था, पर पर्टिक्यूलर आदमी को रेफर नहीं कर रहा हूँ। आप कहेंगे तो मैं चिट्ठी भी प्रस्तुत कर दूंगा। अभी तो नई विधान सभा मिली ही है और अभी तो थोड़ा इधर उधर की मिसाल देकर आगाह करना चाहता हूँ। चिट्ठी अगर चाहेंगे तो इस सदन की मेज पर पुलिन्दा आ जाएगा, आपके घर पर आ जायेगी। मुझे मालूम है कि आपने किस तरह एक हैल्थ सेन्टर के मसले में नाजायज़ तरीके से इन्टरफियर किया था, जब कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट था। आपके खुद के पास गोविन्दगढ़ और खजरोली का मसला आया, लेकिन जहां कांग्रेस की सिफारिश आ गयी तो आपने एक दस हजार की आबादी-वाले कस्बे के साथ नाजायज़ सुलूक किया। मैं कोई व्हिप के नाम से नहीं कहता हूं कि उन्होंने खुद ने लिखी। मेरा मतलब यह है कि ऐसे इन्फ्लुएंशियल आदमी लिख देते हैं और मंत्री महोदय में इतनी हिम्मत नहीं कि वे कह दें कि

(श्री मानसिंह महार)

सोशियल वैलफेयर में ऐसी बात नहीं चलती। अगर वे कह दें कि यह गलत है, मेरे स्टेटमेन्ट को चैलेन्ज कर दें तो मैं आगे उनको सन्तुष्ट कर दूंगा, लेकिन वे चैलेन्ज नहीं कर सकते। आखिर गांधीवाद का इतना असर तो हो कि सही बात को चैलेन्ज नहीं करें। यह मैं मानता हूँ, मेरी भी आत्मा जानती है। इसलिए मैं सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेन्ट के बारे में और खादी बोर्ड के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप इस महकमे में एक रिवोल्यूशनरी चेन्ज लावें। यह महात्मा गांधी की देन है, यह पूज्य बापू की देन है। अगर इसमें भी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार चलता है तो बापू की आत्मा क्या कहेगी? यह आप और मैं दोनों जानते हैं। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है, चेयरमैन महोदय, कि मन्त्री महोदय जो इतने गांधीवादी हैं उनसे कहें कि इन दो महकमों का भ्रष्टाचार तो रोकें ही, नहीं तो राजस्थान रसातल में चला जायेगा।

इसके बाद अधिक बातें मैं निवेदन नहीं करके कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट की तरफ जरूर आऊंगा, क्योंकि इस पर कल भी बहस नहीं हुई और केवल ५-६ कटमोशन्स ही मूव हो सके थे। कॉम्युनिटी डेवलपमेंट ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से हमारे देश का नाम अमेरिका में हुआ है, युनाइटेड नेशन्स में हुआ है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो जगह जगह कहते हैं कि राजस्थान ने पंचायती राज्य की ऐसी पहल की है कि इसको दुनिया को फोलो करना चाहिये, हिन्दुस्तान ही नहीं दुनिया को फोलो करना चाहिए। लेकिन जरा इसका खोखलापन तो देखिये। मैं कहता हूं कि आपका पंचायती राज्य, जिसे एक तरह से कॉम्युनिटी डेवलपमेंट कहते हैं अमेरिका से बहुत पैसा लेता है। क्या आपने कभी यह देखा कि जो एड का पैसा गांवों में देते हैं वह किस तरह से खर्च होता है।

मैं आपसे सही कहता हूं कि ५० परसेंट और कई जगह तो ६० परसेंट जो पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वह नही आया वहां तक तो मैं न्यायसंगत समझता हूं, लेकिन यहां तो जो असली धन देते हैं उसको लोग खा जाते हैं, उस धन का दुरुपयोग होता है। असल में ही बट्टा लग जाता है। मान लीजिए कि किसी काम के लिए २००) रु० दिये जायें और २००) रुपये खर्च कर दें, अगर श्रमदान में चोरी कर लें तो मैं उसको चोरी नहीं कहूंगा, लेकिन उन २००) रु० में से भी १००) रु० ही खर्च करते हैं। मैं इसके लिए चिल्ला कर रह गया कि इस ओर तो ध्यान दिया जाये, लेकिन कोई सुनता नहीं। आज न जाने इस सरकार को रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने के लिए इतना प्रेम क्यों है? कॉन्युनिटी डेवलपमेंट के नाम से जितना पैसा ब्लॉक्स में जा रहा है उसमें मैं दावे के साथ कहता हूं कि २५ परसेंट पैसा ऐसा है कि जिसका ५० परसेंट पैसा नहीं लगता। आप देख लीजिए, जांच करवा लीजिए। चेयरमैन महोदय, इन कामों की जांच के लिए कहा जाता है तो सरकार ऐसा सोचती है कि क्योंकि विरोधी पक्ष की ओर से जांच के लिए सवाल आया है इसलिए इसको हर हालत में दबाया जाये। यह सरकार की नीति है जिसने राजस्थान में भ्रष्टाचार का बोलबाला कर रखा है। हमारी सरकार को चाहिए कि भ्रष्टाचार को दबाने के लिए विरोधी पक्ष का सहयोग लें और चाहे

(श्री मानसिंह महार)

इसके लिए विरोधी पक्ष के मेम्बर कहें या कांग्रेस के मेम्बर कहें सबको एक प्रकार से देखना चाहिए, एक डंडे से हांकना चाहिए। आज भ्रष्टाचार की बात हम कहते हैं। हम कोई कॉन्क्रीट एग्ज़ाम्पल लाकर दें तो आप उसको साइडट्रेक करना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि आप उसमें दिलचस्पी दिखाइये। देखिये आपकी विकेन्द्रीकरण की नीति को अगर हम छः महीने के अन्दर पलट न दें, सही माने में विकेन्द्रीकरण न कर दें तो हमसे कहियेगा। यानी आप कम से कम २० पंचायतों को जांच करवा लें, मेरे साथ २० पंचायतों में चलिये। मैं आपको दिखाऊंगा कि पंचायत समिति वगैरह को जो पैसा दिया हुआ है उस पैसे में से आधा पैसा भी लगा हुआ नहीं मिलेगा। कई समितियां ऐसी मिलेंगी कि जिनमें काम ही नहीं हो रहा है। मैं चेयरमैन महोदय, आपसे सही अर्ज करता हूं, यह डींग हांकने की बात नहीं है, मेरे क्षेत्र में गोविन्दगढ़ पंचायत समिनि को पिछले वर्ष २,०००) रुपये दिये गए डेवलपमेंट के कार्यों के लिए। उससे मैंने पंचायत में इतना काम करवाया कि लोग कहने लगे कि ५ वर्ष में इतना काम कभी नहीं हुआ और उसी २,०००) रुपये में आप जांच कर लीजिये, मैं आपको चल कर बताता हूं बांसा को भी २,०००) रु० दिये गये किन्तु पंचायत के सरपंच ने अपने निजी कुंए में पैसा लगा दिया। उसकी कोई सुनवाई करनेवाला नहीं है। मैंने तो इसके ऊपर विकास अधिकारी, गोविन्दगढ़ को नामजद करके कटौती का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन हमारे प्रस्ताव तो सब रह गए। मैं अर्ज करूंगा कि उस समिति में इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार हस्तक्षेप नहीं करती।

मैं आपको मिसाल दे सकता हूं और सांगानेर समिति में जो तिमाही रूप में खाद के पिट्स के आंकड़े दिए जाते हैं और डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट को वे सारी समितियों के आंकड़े जाते हैं तो सांगानेर से १०० अधिक खड्डे खुदे हुए मैं आपको अपनी पंचायत में दिखा सकता हूं। सबसे काबिल ग्रामसेवक की प्रतियोगिता थी। उसमें फर्स्ट आ गया लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उनके स्टेटमेंट को चेलेन्ज करें, आप जांच करवा लीजिए। मैं नाम नहीं बताऊंगा कि उसमें १२ महीने में पूरी समिति में कितने खड्डे खोदे गए। एक ग्राम सेवक को दो–तीन पंचायतों को देख कर ले लिया गया। आप इसकी जांच कीजिए। फिर मैं कहता हूं कि आप इसकी जांच नहीं करेंगे। आप देखेंगे नहीं, अगर इसको आप बलाये ताक कर नहीं चलें तो मुझे बुलायें मैं आपको ले चलूंगा। आपको दफ्तर में ही आंकड़ों से दिखा दूंगा। यह तो रेकॉर्ड में है गांवों में जाने की जरूरत नहीं है। हमने उन लोगों से चर्चा की तो कहने लगे कि डेवलपमेन्ट को जो आंकड़े दिए जाते हैं वे सही नहीं होते हैं। यह और कहा गया। हमने कहा कि फिर तो ठीक है डेवलपमेंट के जितने भी पोथे मिलते हैं उनको रद्दी की टोकरी में फैंक देना चाहिए। मैं कहता हूं कि गलत फिगर्स दिए जाते हैं तो उनका क्या विकास हो। तो इस कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट के बारे में मैं यह कह रहा था कि इसको सही माने में कामयाब बनाना है तो इसमें भ्रष्टाचार न रखिये। इसमें यह न कीजिए कि ये फलां के रिश्तेदार हैं

Page No.64

(श्री मानसिंह महार)

इसलिए नहीं बोलना है।…………………

मुझे मालूम है, कई बेचारे सरपंच मारे गये हैं जिनके बेचारों के खिलाफ बड़े समय से चार्जेज़ हैं और सुनवाई नहीं की जाती है, क्योंकि बड़ा वायर-पुलिंग चलता है। कई सरपंचों के पास, जो एक पोलिटिकल पक्ष के होंगे तो वायर-पुलिंग चलने से यह होता है और कई सरपंच ऐसे हैं जिन्होंने अन्धाधुन्ध गबन कर रखा है, हजारों शिकायतें होती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो मैं कहता हूं कि यदि आपको पंचायती राज्य को कामयाब बनाना है, हमें अपने प्रान्त को इस देश के अन्दर फर्स्ट रखना है पंचायती राज्य में तो आप इन बातों की ओर ध्यान दीजिये, आप इस पार्टीबाजी से ऊंचे उठिये। पंचायती राज्य में पार्टी नहीं हो। आप मत देखिये कि वह किस पार्टी का आदमी है। अगर सरपंच काबिल है, ईमानदार है तो उसकी कद्र कीजिये। अगर आपकी पार्टी का सवाल है वह बेईमानी करता है तो उस पर और जल्दी कार्यवाही कीजिये। तो मैं तो आपसे कहता हूँ कि हमारे आज पंचायत मंत्री नहीं हैं। वे उठ कर चले गये, उन्हें बुरा लगा इसलिए। लेकिन मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कॉम्युनिटी डेवलपमेंट के सिलसिले में। जो हमारी पंचायत समितियां हैं उनमें आज भी ५० पर्सेन्ट सरपंच ऐसे मिलेंगे जिनको जेनुइन ग्राउन्ड्स पर सस्पेन्ड किया जाय। तो मैं तो कहता हूं कि आज आपके सस्पेन्शन के कारण भी बता दूं कि क्या होते हैं। जिनसे दुश्मनी होती है तो ऑडिट के अन्दर अगर किसी सरपंच ने तीन महीने तक रकम रख ली और बेचारे को मालूम नहीं कि रकम चालान भरकर दूसरे दिन जमा होनी चाहिए, उसने तीन महीने रखी, यह बात ग्राउन्ड बन गया और हो गया। तो ऐसे ग्राउन्ड पर मत कीजिये। मैं कहता हूं, सस्पेन्ड मत कीजिये। ऐसे मामूली ग्राउन्ड्स हों या इधर-उधर के हेरफेर हों तो जैसा कि हमने बजट में आपको माफ कर दिया तो माफ कीजिये। तो इस प्रकार के आंकड़ों के हेरफेर के मामलों में तो कोई सख्ती मत कीजिये, क्योंकि वे पढ़े-लिखे कम होते हैं। उनके पास योग्य क्लर्क्स नहीं। आप जैसे एल०डी०सी०, यू०डी०सी० ये लोग नहीं होते हैं, एकाउन्टेन्ट नहीं होते हैं कि वे बाकायदा कैशबुक मेन्टेन कर सकें जैसा कि आप एक्स-पेक्ट करते हैं। आप देखिये कि कौन हजार रुपये ले गया और हजार में से ५००) रु० खा गया। मैं तो एक क्राइटेरिया मानता हूँ कि जो सरपंच हजार रुपये ले जाकर १,०००) रु० में से ५००) रु. खा गया तो भगवान् के लिए मंत्री महोदय सुनें कि ऐसे लोगो को सस्पेन्ड कीजिये। मैं सरपंच हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि इस महकमे में किस प्रकार आपके पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। आज लोगों ने इस महकमे में सरपंच बनने के बाद गांवों में आतंक फैला रखा है……..

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : आपको भी सस्पेन्ड किया जाय।

श्री मानसिंह महार : हां, अगर मैं गलती पर हूं तो जरूर सस्पेन्ड कीजिये। चेयरमैन महोदय, मैं बुरा आदमी हो गया और वह नोटिस सरकार की तरफ से आयेगा ही। मैं भी जानता हूं क्योंकि विकास अधिकारी मेरे खिलाफ हैं……..

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : या आप उनके खिलाफ हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैं सही खिलाफ हूं। हमारे मन्त्रीजी सुनें। कॉम्युनिटी डेवलपमेंट की बात है। हमारी ब्लॉक की जो बिल्डिंग बनी गोविन्दगढ़ के अन्दर उस बिल्डिंग के लिए जो टेन्डर्स मांगे, वे टेन्डर्स जिस तारीख को आने चाहिए थे उस तारीख को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को ठेका दे दिया जब कि उस दिन वह सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं थी। वह सोसाइटी रजिस्टर्ड दूसरे दिन हुई या उस दिन रात को होती है और सुबह ठेका उस सोसाइटी के नाम दे दिया गया। आप सोचियेगा कि किस तरह से नियमों की अवहेलना होती है, विकास अधिकारी द्वारा गोविन्दगढ़ में। जिस जमीन पर बिल्डिंग बनी वह एक्वायर की गई। तो बिल्डिंग तैयार हो गई, उसके ६ महीने के बाद और पचासों तरह से उस जमीन के मालिक पर दबाव डाला है। आप जरा सोचिये। लेकिन मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूं। वह एक असरमंद आदमी है। विकास अधिकारीजी कहते हैं कि मेरा कौन बिगाड़ सकता है ? कॉम्युनिटी डेवलपमेंट मंत्री हैं तो होंगे, कोई भी हो। मेरा तो सीधा ताल्लुक है मुख्य सचिव और कई लोगों से। मैं किसी से दबनेवाला नहीं हूं। मैं अपना काम करूंगा चाहे ग़लत हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन मैं अपनी जो तानाशाही है उससे हट नहीं सकता। तो मैं इन्क्वायरी के लिए फैक्ट्स दे रहा हूँ। बिल्डिंग बनने के बाद जमीन कितने दिनों से एक्वायर हुई ! बिना एक्वीज़िशन किये किसी ग़ैर आदमी की जमीन पर मकान बनाते हैं, यह कितनी जबरदस्त भूल है, और कोई एक्शन नहीं। कलेक्टर साहब भी चुप हो जाते हैं क्योंकि बड़े आदमियों का रिश्तेदार है। उन लोगों से कौन कहे और कह दिया तो कलेक्टर साहब को भी अपनी जगह छोड़नी पड़े। अगर कोई बिना रुसूक का आदमी इस प्रकार गलती कर लेता तो बेचारे पर आज मुकदमा चलता होता। पर आज यहां रुसूकवालों के बोलबाले हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ।

इसलिए, कॉम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में ये चन्द बातें निवेदन करके अब मैं माइनिंग डिपार्टमेंट के बारे में और थोड़ा सा अर्ज कर दूं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

बस दो मिनट।

यह महकमा वह महकमा है, अध्यक्ष महोदय, जिसमें कि आज जो थर्ड फाइव इयर प्लान हमें मिला है इसमें मैंने देखा है तो मुझको मालूम हुआ है कि माइनिंग की ३ करोड़ की आमदनी ५२ में थी और अब वह ५ करोड़ की हो गई। उसको देखते हुए मैं ५२ से यह सुनता आ रहा था कि राजस्थान के अन्दर तो माइनिंग में बहुत प्रगति हो गई है। मैं समझता था कि ५२ में ३ करोड़ की आमदनी थी, अब तो ५० करोड़ की होगी। लेकिन हमारी सरकार समाजवादी सरकार हैं, चेयरमैन महोदय समाजवाद के अन्दर माइनिंग में बड़े बड़े सेठों से अधिक पैसा ले लें तब तो इनका समाजवाद डूब जायगा।

आज माइनिंग डिपार्टमेंट में देश की एक एक खान से एक एक करोड़पति सेठ को करोड़ों

(श्री मानसिंह महार)

रुपये का फायदा होता है। उस खान से अधिक पैसा नहीं लेते हैं। अगर उससे अधिक पैसा ले लेते हैं तो सोशियलिज़्म भी खत्म हो जायगा। फिर सोशियलिस्ट पार्टी क्यों बैठेगी बेचारी ? तो चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह माइनिंग का महकमा ऐसा है कि मैंने एक कॉन्क्रीट सुझाव दिया था इस सदन के अन्दर पहले कि आप हमारी पंचायतों या पंचायत समितियों को जिनके इलाके में ये माइन्स पड़ती हैं बड़ी बड़ी उनको टैक्स करने की इजाजत दी जाय। अगर आपके हाथ–पैर बंधे हुए हैं और सेन्टर ने जो रॉयल्टी बांध दी है वही लेते हैं आप, तो वह आप लीजिये, लेकिन हमें क्यों रोकते हैं ? हमको कहिये कि हम चाहें तो टैक्स लगायें बड़ी बड़ी माइन्स पर। आप यह भी कर दें भले ही, मुझे कोई एतराज नहीं है कि जिस खान की १०,०००) रू० सालाना से अधिक आमदनी होती है उस पर कर लगायें। यह ऐसा कर दें भले ही। लेकिन ऐसा करके आज्ञा दी जाय तो फिर हम दिखायें कि पंचायत समितियां किस तरह से चलती हैं। आप अगर हमसे यह उम्मीद करते हैं कि कॉम्युनिटी डेवलपमेंट और पंचायत राज के सिलसिले में हम गरीबों पर जिनकी पहले से ही टैक्स से कमर टूट रही है उन लोगों पर, गांव के लोगों पर टैक्स लगायें और उनकी कमर का बोझ और भारी कर दें तो यह नहीं करेंगे। पंचायती राज्य के नाम पर यह जो केमोफ्लेज कर रहे हैं, यह जनता से पैसा वसूल करने की दोहरी नीति अपना रहे हैं। आप चाहते हैं कि पंचायतों के नाम से पंचायतें वसूल करें, वह पैसा लगे आप ही के लिए, लेकिन पंचायतें वसूल करेंगी पैसा ताकि आप बदनाम नहीं हों, तो यह नहीं होगा। अगर आप टैक्स लगाने की इजाजत देते हैं तो बड़ी बड़ी माइन्स पर लगाने की इजाजत दीजिये, फिर देखिये कि भीलवाड़े की पंचायत समितियां खूब मालदार हो जायंगी। हमारे यहां पर दीजिये, गोविन्दगढ़ में मोरीजा आयरन ओर की खान चलती है। सेठ साहब को करोड़ों रुपयों का फायदा होता है। इसी प्रकार से हमारे यहां आमेर की समिति में लोहे की खान से सेठ साहब को करोड़ों का फायदा होता है जिसमें एक करोड़ में से एक लाख ले लेंगे तो इलाके का उद्धार कर देंगे। कुछ दीजिये इजाजत। टैक्स का जो शिड्यूल है उसमें जरा इन चीजों को एन्टर कर दें, फिर देखिये क्या होता है। मेरे एक मित्र ने कहा कि न मालूम कितने रुपये तक का अख्त्यार है। उसका क्या मतलब है ? अगर आपको यह डर हो कि सेठ साहब माइन छोड़ देंगे हमारे टैक्स से तो हम माइन्स को रन करेंगे समिति की तरफ से। यह जिम्मेदारी हम लेते हैं। उससे अधिक पैसा हम समिति को देंगे। लेकिन कुछ करके देखिये। बड़ी बड़ी खानें पूंजीपतियों को दी जाती हैं और जहां घाटा जाता है तो गरीब किसानों, गरीब गांव वालों पर टैक्स लगाने के लिए कहा जाता है, यह चीज नहीं हो सकती।

मोरीजा आयरन ओर माइन्स के लिए मोरीजा गांववालों को बेदखल किया जा रहा है, गांव से निकाला जा रहा है, क्योंकि लोहे के लिए खान को खोलते समय, लोहे के पत्थर को ब्लास्ट करते समय कहीं आदमी न मर जाय। क्यों मर जाय ? आप ब्लास्ट पहाड़

(श्री मानसिंह महार)

के दूसरी तरफ से कीजिये और करते चलिये। क्यों मरेगा? लेकिन दूसरे तरीके से गांव का मलबा उठाने को सेट साहब को दिक्कत आती है, लेकिन हमारी सरकार मलबे के लिये तो सेठ साहब की सहूलियत देखेगी। क्यों नहीं देखे? सेठों की सरकार है, मैंमानता हूं। लेकिन किसान जो गरीब हैं उनके बाल बच्चों के लिये कुछ नहीं करेंगे। यह सरकार के लिए शर्म की बात है। मुआवजे के पैसे देने की बात करते हैं तो तरीका इतना कॉम्पलीकेटेड है कि कितने दिनों में पैसे मिलेंगे, इसका पता नहीं। मकान उठा देंगे तो ये गरीब गर्मी और बरसात में कैसे रहेंगे?

मोरीजा का किस्सा है, और भी माइन्स के बारे में मैं मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करूंगा, हालांकि वे इस समय यहां पर मौजूद नहीं हैं, फिर भी आग्रह करूंगा, उन तक खबर पहुंच जायगी, मजदूरों को छुट्टी नहीं दी जाती है, पेन्शन नहीं दी जाती है। उनको वही मजदूरी दी जाती है, ठेके के रूप में करीब १) रु० रोज नहीं पड़ता है, रोजनामचे में १॥) रु० रोज दिखाते हैं लेकिन छुट्टियां काटने के बाद १) रु० रोज ही पड़ता है। आपने रॉयल्टी बांध दी, परन्तु भारत सरकार जो रॉयल्टी बांधती है वह इसलिये बांधती है कि वह चाहती है कि माइन ओनर्स मजदूरों को अच्छी तनख्वाह देंगे, उनको सुविधाएं देंगे, उनके लिये अस्पताल खोलेंगे, उनके बच्चों की शिक्षा के लिये सुविधा देंगे। उनको रहने के लिये क्वार्टर्स देंगे। लेकिन माइन ओनर्स!एक पैसा भी मजदूरों के लिये नहीं लगाते हैं बल्कि मलबा उठाने के लिये तो उनकी तनख्वाह में से पैसे काट लेते हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि बहुत मुमकिन है उदयपुर में माइनिंग का दफ्तर है वहां पर तरक्की होगी, लेकिन दूसरी जगह तो तरक्की दिखाई नहीं देती। ये बातें कहता हुआ, भाषण समाप्त करता हुआ, एक बात जरूर कहूंगा कि अभी जो अभूतपूर्व बजट वित्त मंत्रीजी ने पेश किया उसके लिये हम उनको जरूर धन्यवाद देंगे, क्योंकि ७ लाख के ७ हजार हो जाते हैं और कहीं ७५ हजार के ७ हो जाते हैं....

एक माननीय सदस्य : शून्य का मूल्य नहीं होता।

श्री मानसिंह महार : मैं समझता हूं, आप राजस्थान को बहुत उन्नति पर ले जायेंगे। मैं उम्मीद लगाये हुए हूं कि अगले १२ महीनों में लाखों, करोड़ों की चिन्ता नहीं है वहां इतना पैसा हम गांव वालों को मिलेगा। आप शून्य के आंकड़े इधर उधर कर दें, लेकिन कुछ गांव वालों के लिये कर दें तो हमारा उत्थान हो जायगा, यह मेरी प्रार्थना है। काबलियत तो बहुत है, जल्दी जल्दी में बजट पेश हुआ, इस कारण शायद गलती करने का वित्त मंत्रीजी को मौका मिल गया। मैं समझता हूं ऐसी गलती आयन्दा नहीं होनी चाहियें। यदि होगी तो गांव वालों के हित में होनी चाहिये। इतना ही कहूंगा। यह सरकार अभी शहरों के उत्थान की ओर ध्यान देती है। शहरों का ध्यान रहना चाहिये, लेकिन गांवों की आबादी के लिहाज से, आबादी के अनुपात से उनका भी उत्थान हो, इस ओर भी ध्यान लगाना चाहिये। कहने को तो यह कहते हैं कि चंबल और भाखरा में करोड़ों रुपये लग गये

(श्री मानसिंह महार)

और ये सब गांव वालों के लिये ही किया। चेयरमैन महोदय, मुझे बड़ा दुःख हुआ मुख्य मंत्रीजी को जब सुना। मैं नहीं समझता था कि फैक्ट्स को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर रखेंगे।....

श्री सभापति : खत्म करते करते आप तो फिर से शुरू करने लग गये।

श्री मानसिंह महार : खत्म कर ही रहा हूं। सभापति महोदय, चंबल की बिजली आई, जयपुर शहर और सीकर को मिल गई, लेकिन गांव वालों को नहीं मिली....

एक माननीय सदस्य : आमेर में भी मिल गई।

श्री मानसिंह महार : बहुत कम तादाद में मिली है। शहर वालों का पेट भर जायगा तब कहीं गांव वालों का नम्बर आयेगा। आप कहते हैं कि हमें उत्पादन बढ़ाना है! यदि हमको हमारा उत्पादन बढ़ाना है तो शहरवालों को, जयपुर और सीकरवालों को बिजली मत दीजिये। पहले हमारे गांव गांव में, खेत खेत में और कुंए-कुंए में बिजली दीजिए फिर देखिए जयपुर का इलाका हराभरा और चमन हो जायगा। लोग आपको आशीर्वाद देंगे। यदि मकानों में लट्टू नहीं भी टिमटिमायेंगे तो क्या हो जायगा, दिये जला लेंगे। दिये जलाने से कई लोगों को फायदा होता है। चेयरमैन महोदय, दीपक से बहुत फायदा होता है। आपके शहरों में छोटे-मोटे कार्य दीपक से चल जायेंगे। गांवों में कुओं में बिजली दीजिये जिससे उत्थान होगा, प्रोस्पर हो सकेंगे। इतने शब्द कह कर निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार गांवों की ओर अधिक ध्यान दे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : निवेदन है कि केवल १५ मिनट रह गये हैं, १५ मिनट में....

श्री सभापति : श्री मुरलीधरजी! आप आसन ग्रहण करिये, मैं पहले माननीय सदस्य की बात सुनलूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १५ मिनट में डिबेट कन्क्लूड नहीं हो सकती और क्योंकि सदन के बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, इसलिये मेरा सुझाव है कि सदन की कार्यवाही अभी स्थगित कर दी जाय और इस बहस को सदन के अगले दिन कन्टिन्यू रखा जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): अभी अगर समाप्त करेंगे तो १५ मिनट का समय कम हो जायगा।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : आपका क्या सुझाव है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी आरम्भ रखी जाय १५ मिनट में कम से कम एक स्पीच तो हो ही जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय सभापतिजी, ऐसा है कि इसके बारे में जो कुछ भी निर्णय दीजिए, मैं चाहता हूं कि आपने प्रारम्भ कर दिया है तो आगे क्या व्यवस्था करते हैं, क्या नहीं, यह आप पर है। यदि आप इजाजत दें तो मैं बोल लूं।

Page No.69

श्री सभापति : अभी व्यवस्था देनी है। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि १५ मिनट बाकी हैं जिसमें एक भाषण हो जाय। १५ मिनट में भाषण समाप्त नहीं होता क्योंकि १० मिनट का समय तो भूमिका में ही लगजाता है। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि १५ मिनट में उनका काम हो जायगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं १५ मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इस समय का उपयोग कर लूं।

श्री सभापति : अभी आपको मैंने बोलने की इजाजत नहीं दी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं १५ मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री सभापति : Yes, Mr. Acharya !

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, मैं आयुर्वेद की नीति और रीति पर सदन के सामने प्रकाश डालना चाहता हूँ। आयुर्वेद, सभापति, एक ऐसा विशेष विषय है, जिसका शहरों से कम और गांवों से अधिक संबंध है। यह विषय....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सभापति महोदय, लीडर ऑफ दी हाउस ने इस बात के लिए एग्री किया था....

श्री सभापति : राजसमन्द के माननीय सदस्य। कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लीडर ऑफ दी हाउस ने एग्री किया था कि बहस इनीशियेट करने के बाद हाउस स्थगित किया जायगा और बहस अगले दिन के लिए जारी रखी जायगी। मैं समझता हूँ उससे पीछे नहीं जाना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : यदि सदन चाहे तो आज १ बजे तक बैठें और उसके बाद जैसी कि माननीय सदस्यों की इच्छा है डिबेट और चले तो और कई माननीय सदस्य उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमें आपत्ति नहीं है। हम यह चाहते हैं कि २९ तारीख को सन्डे है तो भी हम मिलें। २९ तारीख को ४ बजे मिलें और ४ बजे से ९ बजे तक कार्यवाही हो। हमको ५ घंटों का टाइम मिल जायगा, क्वेश्चन आवर होगा नहीं, इसलिए बहस का पूरा समय मिल जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर):२९ के लिए आपने कहा सन्डे है। २९ के चार बजे से कैसे प्रारम्भ करेंगे या तो ३० का कार्यक्रम है इसको तीन को कीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : ३० का कार्यक्रम बन चुका है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। २९ को चार बजे इसलिए रखा है कि २८ तारीख की शाम को सब लोग अपने घरों से चलेंगे और २९ की रात को ग्यारह बजे, बारह बजे पहुंचेंगे और कभी कभी गाड़ी लेट हो जाती है। इसलिए सब खाना खाकर चार बजे आ जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : २९ को ग्यारह बजे रखिये।

एक माननीय सदस्य : तय हो चुका है कि चार बजे का समय रखा जाय।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : जो बात तय हो चुकी है, वह रहनी चाहिये। तय यह हुआ था कि मैं इनीशियेट कर दूंगा। और आज भाषण आगे नहीं होंगे।

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक इधर बैठने वाले सदस्यों का सवाल है हमें आपत्ति नहीं है। We are in your hands; जैसा चाहें वैसा करें।

श्री मानसिंह महार : आपकी तरफ के सदस्य बोल रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : वे बैठ जायेंगे। सदन चाहता है तो कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

श्री सभापति : जिस समय वादविवाद के लिए निश्चय हुआ उस समय आसन को जानकारी नहीं दी गई थी कि इस तरह की बात–चीत तय हो चुकी है। उस समय निर्धारित समय एक बजे तक का था। उस समय के आधार पर राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य को इजाजत दी जा चुकी है। अब दस मिनट शेष हैं, अगर वे चाहें तो अपना भाषण प्रारम्भ कर दें। उन्होंने भाषण प्रारम्भ कर दिया। अगली बार जब कार्यवाही प्रारम्भ होगी तो उनको पहला अवसर दिया जायगा, पहला अवसर उनका होगा। अब दस मिनट शेष हैं, वे एक विषय समाप्त कर दें, जैसा आश्वासन दिया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पांच मिनट कन्ज्यूम हो गये हैं; फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा। सभापति महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है, जो आध्यात्मवाद पर और ....

श्री मुरलीधर व्यास : गृह मन्त्रीजी ने जो आश्वासन दिया था सदन के सामने वह टूट गया है।

श्री सभापति : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ! गृह मन्त्री का आश्वासन, जो उन्होंने सदन के बाहर किसी को दिया, वह आसन पर लागू नहीं होता। आसन ने उनको बोलने की अनुमित दी है। वे अपना भाषण आरम्भ रखें। मैं निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय, मैं अपना पहला वाक्य दो बार दोहरा चुका हूं। अब तीसरी बार दोहराने का साहस कर रहा हूं।

आयुर्वेद शास्त्र — इसका दर्शन है, वह दर्शन आध्यात्मवाद पर है और औषध शास्त्र पर है। इसलिए जैसा मैंने निवेदन किया कि मैं राजस्थान में आयुर्वेद विभाग की रीति–नीति के सम्बन्ध में प्रकाश डालना चाहता हूं। जहां तक दूसरे विज्ञान शास्त्रों का प्रश्न है, कोई विज्ञान इस आध्यात्मवाद को लेकर नहीं चलता। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जो आध्यात्मवाद पर आधारित है और उसका विश्वास लेकर चलता है। इसके शास्त्र में पहली लाइन है, इसकी पुस्तक में पहली पंक्ति है, वह धन्वन्तरि की उपासना और धन्वन्तरि की प्रार्थना से प्रारम्भ होती है। मेरे कहने का आशय यह है कि यह शास्त्र जितना आध्यात्मवाद पर आधारित है और इस पर विश्वास करता है इतना ही उसकी चिकित्सा व्यवस्था पर भी। उदा–

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

हरण के रूप में माननीय सदस्यों के सम्मुख इस शास्त्र का आरम्भ किस तरह होता है, किस विश्वास पर शास्त्र प्रारम्भ होता है और क्या प्रार्थना है, क्या स्तुति है इस शास्त्र को कामयाब करने की, वह है....

धन्वम्तरिं धृत करा मृत पूर्ण कुभं
बन्देरविन्द नयनं मणिमाल्यं मायु–
वेद प्रवर्त्तक मनुस्मृति रोग ताशम ।

पहले धन्वन्तरि की उपासना के बाद शास्त्र की सफलता चाही गई । इसलिए जहां तक इस शास्त्र का आध्यात्मवाद से सम्बन्ध है, वहां इस शास्त्र का चिकित्सा से भी अत्यन्त सम्बन्ध है । बड़ी प्रसन्नता की बात है, सभा–पति महोदय, कि इसके मंत्री भी, जहां तक इसकी व्यवस्था और इसकी काष्टिक औषधियों से सम्बन्ध है, उस प्रान्त से आते हैं, उस जाति से सम्बन्ध रखते हैं, जो जंगलों में रहती हैं और औषधियों से उसका ज्यादा सम्बन्ध है । इसलिए भविष्य के लिए बड़ी आशा है कि माननीय मंत्री महोदय के इस विभाग से संबंध रहने के कारण आयुर्वेद का भविष्य अधिक से अधिक उज्जवल हो सकता है । आयुर्वेद एक बड़ा शास्त्र है और इसके सिद्धान्त बड़े सूत्रों पर आधारित हैं । यदि आदुर्वेद की नींव पर विदेशी चिकित्सा पद्धति की तरफ बह गये तो यह शास्त्र शास्त्र न रह कर एलोपेथी की पद्धति को अपनाने लगेगा अथवा जो अन्य चिकित्सा के विज्ञान हैं, उसमें चला जायगा । इस शास्त्र का सबसे बड़ा सिद्धान्त जिस पर इसका विज्ञान आधारित है, वह सूत्र में, माननीय सभापति महोदय आपके सम्मुख रखना चाहता हूं:—

यस्य देशस्य यो जन्मी तद्देशस्योषधं हितम् ।

जिस व्यक्ति का जिस देश में, जिस प्रान्त में जन्म हो वहां की औषधि उसके लिए उपयोगी होती है । इस सिद्धान्त को सामने रखते हुए शास्त्रकारों ने यह प्रत्यक्ष बतला दिया कि हिन्दुस्तान में पैदा हुए व्यक्ति के लिए दूसरी चिकित्सा प्रणाली कामयाब नहीं हो सकती अर्थात् काष्टादिक या रसादिक एवं भस्मादि उसको चिकित्सा प्रदान करने के लिए कामयाब हो सकती है । सभापति महोदय, इस सिद्धान्त से यह प्रतिपादित किया गया है कि वास्तव में एलोपेथी, जहां तक आयुर्वेद का सम्बन्ध है, इसके मुकाबले में कोई सफलता नहीं रखती और इसके साथ ही साथ इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि आयुर्वेद ऐसा विज्ञान है, ऐसा शास्त्र है जिसको अन्य चिकित्सा विज्ञानों से अलग रख कर ही इसकी उन्नति की जा सकती है । लेकिन दुःख की बात यह है, सभापति महोदय, कि आयुर्वेद शनैः शनैः एलोपेथी के साथ जोड़ा जा रहा है और शनैः शनैः वह समय आ सकता है कि राजस्थान के वैद्य, आयुर्वेद के वैद्य, वैद्य न होकर एलोपेथी के कम्पाउन्डर हो जायं । आपका अनुभव है, सभापति महोदय, इस प्रश्न पर, फिर भी मैं इस सम्बन्ध में कई प्रश्न आपके सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं । जहां तक यहां के औषधालयों का सम्बन्ध है, उनमें एक अजीब परम्परा है····

श्री मुरलीधर व्यास : एक भी मिनिस्टर नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय, आपने कम्पाउन्डर डॉक्टर होते हुए कहीं नहीं देखे होंगे, कम्पाउन्डर सर्जन या

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

डॉक्टर होते हुए किसी भी चिकित्सा प्रणाली में नहीं देखे गये, यह व्यवस्था कहीं नहीं है लेकिन आयुर्वेद के विभाग में कम्पाउन्डर वैद्य होते हुए देखे गये हैं और कम्पाउन्डर आगे से आगे बढ़ते हुए देखे गये हैं। इसलिए जहां तक इसकी व्यवस्था, रीति–नीति का सवाल है, मैं आयुर्वेद के मंत्री महोदय को कहना चाहता हूँ कि आपने स्वयं ने चिकित्सा प्रणाली, प्रणाली नहीं थ्योरी से अनुभव प्राप्त किया है, शिक्षा प्राप्त की है। आप उस प्रदेश के रहने वाले हैं–'यस्य देशस्य यो जन्मी, तज्जं तस्यौषधं हितम्। ['काष्टादिक जहां ज्यादा उपलब्ध होते हैं। इसलिए आयुर्वेद को इस शिकंजे से निकाला जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रणाली में जो विषमता पैदा हो रही है वह एलोपेथी के मिलने से हो रही है। आज हम गांवों का विश्लेषण करें, वहां के आयुर्वेद के वैद्यों का विश्लेषण करें तो हम निश्चित रूप से इस मत पर आ सकते हैं कि आयुर्वेद में काम करने वाला क्या है, उसकी स्थिति क्या है। हम कह सकते हैं कि वैद्य इस युग के एलोपेथी के कम्पाउन्डर हैं, वे आयुर्वेद के काष्टादि और भस्मादि रखने का थोड़ा खर्चा करते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली में चमत्कार नहीं है, जैसा एलोपेथी में है। वे इन्जेक्शन से चमत्कार दिखा सकते हैं, दूसरी औषधियों से चमत्कार दिखला सकते हैं। इस चमत्कार की ओर, इस चिकित्सा की ओर आयुर्वेद के वैद्य शनैः शनैः चले जा रहे हैं। आयुर्वेद में यद्यपि औषधालयों की संख्या, जैसा माननीय सदस्य अनुभव करते हैं बहुत कम है, लेकिन इसकी पूर्ति दूसरे तरीकों से होती जा रही है और हमारा वह तरीका है एलोपेथी की व्यवस्था निभाने का, और काम में लाने का। इसलिए आयुर्वेद व्यवस्था को यह भय हो सकता है कि भविष्य में कहीं एलोपेथी दवायें, इसे निगल न जायं। जब मैं निगलने की बात कहता हूं, सभापति महोदय, तब मैं आपके सामने वह भय रखना चाहता हूँ क्योंकि एलोपेथी में काम करने वाले डॉक्टर, सर्जन या एक्सपर्ट्स आयुर्वेद में विश्वास नहीं रखते है, वे इसकी प्रगति से उदासीन हैं। इस भय को दूर करने की दृष्टि से मेरी मान्यता है कि जब तक आयुर्वेद को ऐसी व्यवस्था न दी जाय, सुचारु रूप से इसमें रिसर्च न की जाय, इसके साथ ही इसको पनपने का मौका न दिया जाय तब तक इसका भविष्य नहीं है। तो मैं निवेदन कर दूं कि जब तक आयुर्वेद के वैद्य योग्य न हों, एक्सपर्ट्स न हों, अनुभवी न हों और आगे पढ़े हुए न हों जब तक इन वैद्यों के हाथ में आयुर्वेद, तब तक मुझे भय है कि ऊंचा नहीं उठ सकता है और एलोपेथी के एक्सपर्ट्स भविष्य में इसको निगल सकते हैं।

(घंटी)

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही रविवार दिनांक २६ अप्रेल, १६६२ के सायं–काल ४ बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् १ बजे रविवार दिनांक २६–४–६२ के सायंकाल ४ बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

———

संक्षिप्त–विवरण

(शनिवार, २१ अप्रेल, १९६२)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ४९०७

भूतपूर्व बैंक ऑफ जयपुर में सरकार के शेयर ।

दूकानों के खुलने की कालावधि ।

भूमि आवंटन तथा नवीनीकरण ।

थड़ियों का बकाया किराया ।

जागीरी बोन्ड्स ।

पोंग बांध ।

लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स के मजदूरों के लिए आवास व्यवस्था ।

नगरपालिका नाथद्वारा का मास्टर प्लान ।

लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स के अस्थायी कर्मचारी ।

नगरपालिका कुचामन ।

बैटरमेन्ट लेवी ।

गैर सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज ।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की स्थापना ।

छड़ियां काटने की चिट्ठियां ।

जयपुर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ।

आयुर्वेदिक औषधालय, कनेरा ।

किसानों से अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा ।

दिनांक ६-४-६२ का स्थगित तारांकित प्रश्न

बरसाती नाले की मरम्मत ।

दिनांक १६-४-६२ का स्थगित तारांकित प्रश्न

हनुमानगढ़ मंडी का विस्तार ।

औचित्य प्रश्न ४९६०

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिये जाने से पूर्व श्री भैरोंसिंह, सदस्य, विधान सभा ने बजट पत्रों में अशुद्धियों के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु एक औचित्य प्रश्न उठाया । इस पर अध्यक्ष महोदय ने उस प्रश्न को अस्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी कि जो शुद्धि-पत्र जारी किया गया है उसका सदन द्वारा स्वीकृत मांगों पर कोई असर नहीं पड़ता और जो कार्यवाही हुई है वह उचित व वैधानिक ढंग से हुई है ।

विधायी कार्य–विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२ ५००७

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय श्री मानसिंह महार ने अपने विचार व्यक्त किये।

श्री निरंजननाथ आचार्य बोल रहे थे कि सदन की बैठक १ बजे रविवार, दिनांक २९ अप्रैल, १९६२ को सायं ४ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

रविवार, दिनांक २९ अप्रैल, १९६२ की कार्यसूची

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६५ का उत्तर देखिये)

List of yearly outstanding arrears on account of Fees Thari.

S. No.	Year.	Total amount outstanding.
1.	1951 to 31. 3 58	4,050.00
2.	1.4.58 to 31.3.59	2,280.00
3.	1.4.59 to 31.3.60	3,509.00
4.	1.4.60 to 31.3.61	12,761.00
	Total:—	22,600.00

Copy of the order of the Administrator, Municipal Council, Jaipur regarding recovery of the outstanding arrears of 15 months on account of Fees Thari.

The representatives of Theri Union are present. They state that the outstanding arrears of 15 months may be recovered in the following manner :—

1. A remission of 50 P. C. may be given to all.

2. Those who pay the outstanding after remission of 50 P. C. may be given a rebate of 10 P. C. in case they pay the entire amount in one instalment within a month.

3. For those who are not able to pay even 40 P. C. of the total outstanding in one instalment the 50 P. C. recoverable amount may be realised in 12 monthly instalments in one year along with the current demand.

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक २१ अप्रैल, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४६०७	७	स्वायत शासन	स्वायत्तशासन
४६०९	२३	दूसरी	दूसरा
४६१५	११	आवर्न्टन	आवन्टन
,,	१७	,,	,,
४६१६	१, ३ व ७	,,	,,
४६१८	१	रुप	रूप
४६२७	८	बनाया	बताया
४६२८	,,	एकीजक्यूटिव	एग्ज़ीक्यूटिव
४६३१	अन्तिम से ३	उप:मंत्री,	उप-मंत्री
,,	,,	स्वायत	स्वायत्त
४६३२	अन्तिम से ४	चेअरमैन	चेयरमैन
४६३३	१५	बेटरमेन्य	बैंटरमेन्ट
४६३४	२	किश्तों में की वसूली जा रही है ?	किश्तों, में वसूली की जा रही है ?
४६३७	६	एकढ	एकड़
४६३८	९	Possition	Position
४६५२	अंतिम से ३	epartment	Department,
,,	अंतिम से २	tht	that
४६५५	२१	पहूँचेगी	पहुँचेगी
४६५६	२	दरख्वास्तें	दरख्वास्तें
४६६१	१७	डिस्क्रेपेन्सीज़	डिस्क्रिपेन्सीज़
४६७३	१५	डिमाएड्स	डिमाण्ड्स
४६८२	अंतिम से ३	सबडिविजन्स	सब हैड्स

१	२	३	४
४६८३	३	सबडिविजन्स	सब हैड्स
४६८८	१	नाक होता है।	नाक होती है ।
,,	२	जाता है,	जाती है,
,,	,,	रहती है। तो	रहती हैं, तो
,,	६	महत्व चाहिये।	महत्व देना चाहिये।
४६८६	७	emands	demands
४६६०	२१	त्रटियें	त्रुटियें
४६६२	२८	o the	of the
४६६६	२२	खला	लाख
४६६७	२३	बैट	बंट
४६६६	२०	अरौ	और
५००१	७	छपने की वजह से	इसके
,,	६	रिटोस्पेक्टिव	रिट्रोस्पेक्टिव
,,	,,	है	हैं
५००३	२	statemeut	statement
,,	१०	gront	grant
,,	१३	कॉन्स्टीटयूशनल	कॉन्स्टीट्यूशनल
,,	१४	Constitutiool	Constitutional
५००८	१	व्हि	व्हिप
५०१०	५	इन्ट्रीज	एन्ट्रीज़
५०१२	१६	उसको	उसकी
५०१३	१७	प्रेस्काइब	प्रेस्काइब
५०१४	२२	Cuit	Cut
५०२१	८	डिस्क्रिमिशन	डिस्क्रिमिनेशन
५०३२	१६	ताक कर	ताक रख कर
५०३७	२१	करके आज्ञा	करने की आज्ञा

१	२	३	४
५०४७	६	धन्वग्तरि....कुमं	धन्वन्तरि–कुम्भ
,,	७	मरिभाल्य	मणिमाल्य
,,	८	ताशम	नाशम
५०५५	११	Theri	Thari